खण्ड-100, अंक-6
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1873
(19 मार्च, 1952 ई0)

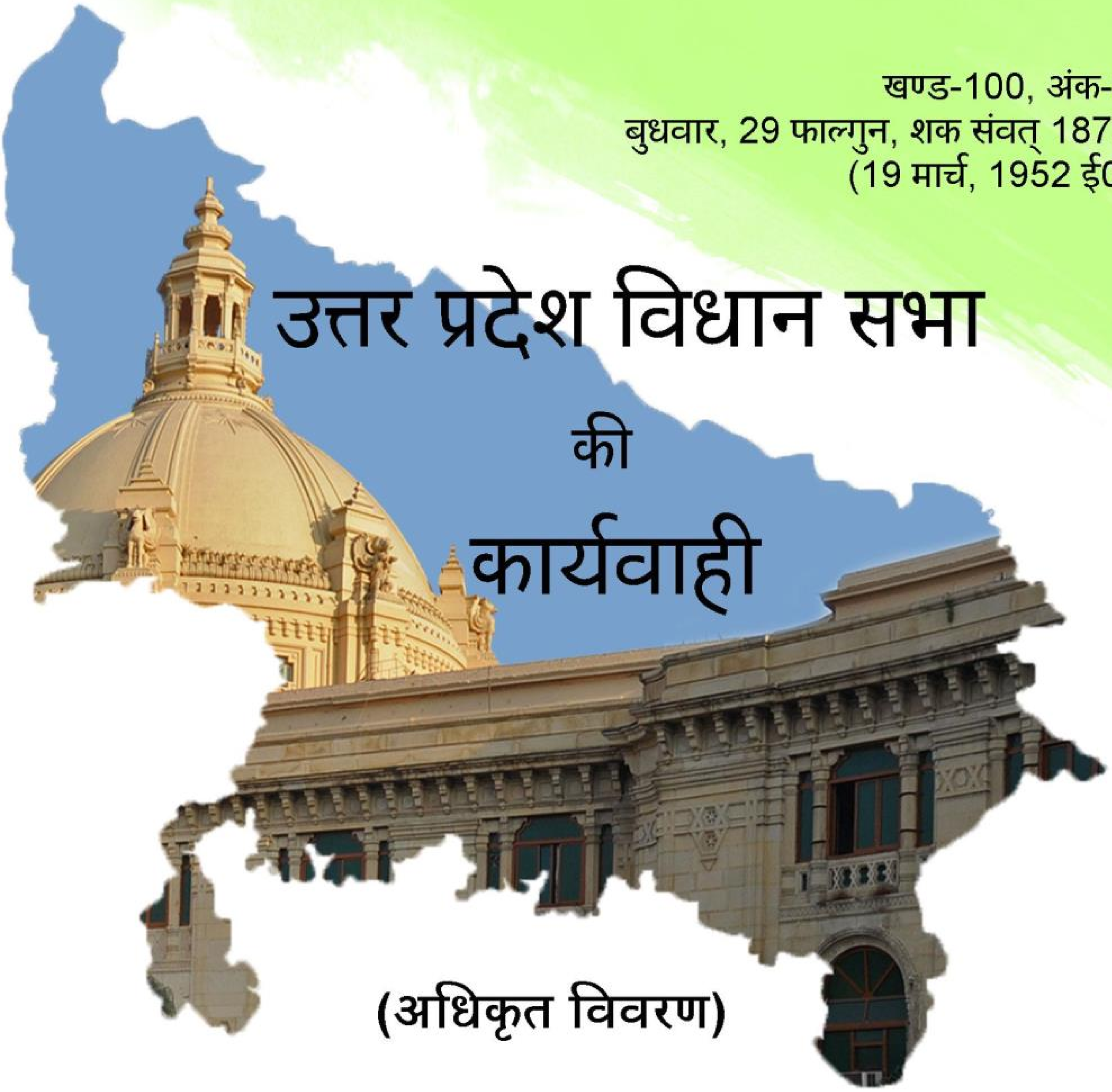

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 100 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१७२)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गौरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाज़िश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री
फ़ज़लुर्रहमान ख़ां, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुख़्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली ख़ां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रज़ा ख़ां, श्री
मुहम्मद रहमत ख़ां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीपति सहाय, श्री

सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बाराबंकी ज़िले के राजनीतिक पीड़ित पंचायत मंत्री

*१—श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी—क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपया बाराबंकी ज़िले के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची, उनके पते और योग्यता के साथ, मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री अत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—बाराबंकी के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची, उनके पते और योग्यता के साथ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

*२—श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी—उक्त मंत्रियों में से राजनीतिक पीड़ित कौन कौन से हैं और राजनीतिक पीड़ित उन्हें किन किन आधारों पर माना गया है ?

माननीय श्री अत्माराम गोविन्द खेर—राजनीतिक पीड़ित पंचायत मंत्रियों की सूची उनके राजनीतिक पीड़ित के आधारों सहित संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३० पर)

वर्तमान सत्र की कालावधि के संबंध में परिप्रश्न

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष जी, अभी भवन के आगे कुछ प्रश्न हमारे सामने बांटे गये हैं कि २१ तारीख की कार्यवाही में ये लिये जायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि २१ तारीख को कोई कार्यवाही होगी भी या वैसे ही बांट दिये गये हैं ?

माननीय अध्यक्ष—यदि होगी तो ये प्रश्न आयेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री—होगी या नहीं, क्या यह गवर्नमेंट बतलाने को तैयार नहीं है ?

माननीय अध्यक्ष—यह तो कार्यक्रम के ऊपर है। यदि वह पहले समाप्त हो गया तो नहीं होगी।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष—अब माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

श्री खुशवक़्त राय—मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक आपत्ति मैं इस समय आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं वह इस प्रकार से है। इस वैधानिक आपत्ति में जिन बातों का सहारा लेना चाहता हूं वह एक तो विधान के अनुच्छेद १९६। ...

माननीय अध्यक्ष—पहले माननीय सदस्य कृपया उस आपत्ति को बतायें।

श्री खुशवक़्त राय—मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न जिस समय उपस्थित किया गया उस समय के बाद सत्र का अवसान हो गया और उस सत्रावसान के कारण विशेषाधिकार का कार्य व्यपगत हो चुका है। मैं यह वैधानिक आपत्ति उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे मित्र यह कहते हैं कि मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं।

माननीय अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो मुश्किल शब्द हों उनको समझाने के लिये अगर आप उसका अनुवाद कर दें तो कोई हर्ज नहीं, वैसे तो हमारी कार्यवाही जिस जबान में होती है वह उसी में होनी चाहिये।

श्री खुशवक्त राय—तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान विधान के अनुच्छेद १९६(३) की तरफ लाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के असर से क्या होता है।

यह बात पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में मान ली गयी है खासकर हाउस आफ कामंस के संबंध में जब वहां प्रोरोगेशन हो जाता है तो जितनी कार्यवाही होती है वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है और उस संबंध में जो एक्सेप्शन (अपवाद) हमारे संविधान में किया गया है वह १९६ (३) में दिया हुआ है और वह यह है कि पेंडिंग बिल्स (लम्बित विधेयक) जो हैं वह लैप्स (व्यथगत) नहीं होंगे। बाकी सारी कार्यवाही व्यपगत हो जायगी।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस सदन के बनाये हुये नियम १७१ की ओर लाना चाहता हूं। नियम १७१ इस प्रकार है—

"सभा के सत्रावसान होने पर समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे।"

मैं इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूं—

"*Effect of Prorogation of Assembly* :—When the Assembly is prorogued all pending notices shall lapse but all bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बना है वह अनुच्छद १९६ (३) को सामन रख कर बना है और आप देखेंगे कि उसका जिक्र भी फूटनोट में है। तो मेरा आप से यह निवेदन है कि हमारे संविधान में प्रोरोगेशन के संबंध में जो प्रोरोगेशन के माने हाउस आफ कामन्स में हैं, उसमें एक ही एक्सेप्शन किया है और वह एक्सेप्शन पेंडिंग बिल्स के संबंध में है। इसके अलावा जितनी भी कार्यवाही असेम्बली के सामन होती है वह सारी की सारी लैप्स हो जाती है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियम ४९ की ओर भी दिलाना चाहता हूं। इसमें यह है—

"At the commencement of every session or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee of Privileges consisting of 10 members ....."

[प्रत्येक सत्र के आरम्भ में अथवा समय समय पर यथास्थिति अध्यक्ष दस सदस्यों की विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा ..... ।]

तो इस नियम को भी पढ़ने से आपके सामने यह बात आती है कि जो कमेटी आफ प्रिविलेजेज (विशेषाधिकार समिति) अप्वाइण्ट (नियुक्त) होती है उसका जो समय है वह सत्र का समय हुआ करता है। सत्र जिस समय प्रारम्भ हो उस वक्त आपको अधिकार है कि आप कमेटी नियुक्त कर दें और उस कमेटी की नियुक्ति सत्रावसान होने के साथ साथ अपन ही आप समाप्ति को प्राप्त हो जाती है। तो "फ्राम टाइम, टु टाइम" (समय समय पर) जो दिया हुआ है वह यह है कि एक कमेटी नियुक्त हुई, उस समय सत्र चल रहा था, लेकिन उसी सत्र के बीच में किसी मेम्बर ने इस्तीफा दे दिया। इसके संबंध में मैं आगे बताऊंगा। और "ऐट दि कमेंसमेंट" (आरम्भ में) जो है वह इस लिये है कि सत्रावसान होगा तो कमेटी समाप्त हो जायगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सत्रावसान हो जाने के बाद यह कमेटी आफ प्रिविलेज जो थी वह समाप्त हो गयी। इसी लिये जब यह नया सत्र प्रारम्भ हुआ और ६ तारीख को हम

[श्री खुशवक्त राय]

लोग यहां बैठे तो आपने नयी प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) नियुक्त कर दी। यह बात दूसरी है कि आपने वही मेम्बर्स उसमें रख दिये।

जो बात "फ्राम टाइम टु टाइम" के बारे में कहना चाहता था वह यह है कि हमारे माननीय सदस्य श्री होतीलाल जी अग्रवाल ने इस भवन से इस्तीफा दे दिया और वह मेम्बर नहीं रहे तो आपको अधिकार है कि उनके स्थान पर अन्य सदस्य को निर्देशित करें। तो उसके लिये "फ्राम टाइम टु टाइम" के शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। मगर सत्र के आरम्भ हो जाने पर एक बार जब कमेटी की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका समय उस वक्त तक चलता है जब तक सत्रावसान न हो।

ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सत्रावसान हो जाने के बाद कुल लम्बित विधेयक (पेंडिंग बिल्स) के अलावा जितनी भी कार्यवाही चल रही हो वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है। इस संबंध में आप देखेंगे कि आप एक पैनल आफ चेयरमैन अपाइण्ट (नियुक्त) करते हैं उसका भी समय वही है उनका भी अवधिकाल उसी समय समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से, और भवन मेंभी आपको स्मरण होगा कि आपने एक निर्णय दिया था कि जो प्रश्न होते हैं जिनके फाइनल रिप्लाइज (अंतिम उत्तर) नहीं दिये गये हैं वह सब समाप्त हो जायेंगे। इन सब से यह बात सिद्ध होती है कि जितनी भी कार्यवाई एक सत्र में चल रही थी उसका कोई भी संबंध दूसरे सत्र से नहीं हो सकता है सिवाय पेंण्डिग बिल्स यानी लम्बित विधेयकों के।

यह विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस भवन के सामने २९ अगस्त को उठाया था। मुझे ठीक तारीख याद नहीं है परन्तु ऐसा मेरा ख्याल है कि २८ अगस्त को यह प्रश्न उठाया गया था और उसके बाद विशेषाधिकार समिति को २९ अगस्त को दिया गया और समिति ने उस पर विचार किया और इसकी अंतिम रिपोर्ट जो आई है वह १५ अक्तूबर, सन् १९५१ ई० को आई है। अगर यह रिपोर्ट इस भवन के सामने २० फरवरी के पहले पेश हो जाती तब तो ठीक था। इससे पहले अगर यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो जाती तब तो सदन को इस पर विचार करने का अधिकार था। परन्तु यह कि जब विशेषाधिकार समिति का प्रश्न और प्रतिवेदन भवन के सामने सत्रावसान के पहले नहीं आया तो इस सदन को जो नये सत्र में है, को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर विचार करे। इस संबंध में मैं आप के सामने "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" के पृष्ठ ३२ पढ़ कर सुनाता हूं। वह यह है कि—

"The effect of prorogation is at once to suspend all business until the Parliament is summoned to meet again. Not only are the sittings of Parliament at an end but all proceedings pending at the time are quashed except impeachments by the Commons and appeals before the House of Lords."

[सत्रावसान का परिणाम यह होता है कि तुरन्त ही समस्त कार्य उस काल तक के लिये लम्बित हो जाता है जब तक कि नयी संसद् फिर समवेत होने के लिये आहूत न की जाय केवल संसद् के उपवेशन ही समाप्त नहीं हो जाते अपितु कामन्स द्वारा कृत महाभियोगों व हाउस आफ लार्ड्स के सम्मुख प्रस्तुत अपीलों के अतिरिक्त तत्समय लंबित सभी कार्यवाही विरस्त हो जाती हैं]

मुझे यह कहना है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। तो हाउस आफ कामन्स में यही एक्सेप्शन है कि इम्पीचमेंट बाई कामन्स (कामन्स द्वारा कृत महाभियोग) वह चीज है जो लैप्स नहीं होती है। अब पेंडिग प्रोसीडिंग्स क्या हैं। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी कार्यवाही चल रही हो वह सभी उसमें आती हैं।

"नोटिसेज" (सूचनाएं) के बारे में मुझे यह बतलाया गया है कि यह शब्द नियम १७१ में इस्तेमाल हुआ है। इसके संकीर्ण मानें भी लगाये जाते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेंडिग नोटिसेज (लम्बित सूचनायें) हर काम के लिये होती हैं। सिर्फ इसका संबंध प्रश्नों से ही नहीं होता है। आप देखें कि जितनी भी कार्यवाही भवन के सामने होती है उस सब के लिये नोटिस देना आवश्यक है चाहे वह गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे

प्राइवेट मेम्बर की तरफ से हो । कोई भी कार्यवाही बिना नोटिस के नहीं हो सकती है सिवाय इसके कि जिसके लिये अपने नियमों में आदेश हो । उन बातों पर ही बिना नोटिस क कार्यवाही हो सकती है । परन्तु ऐसी जितनी कार्यवाहियां ऐसी हैं वे सब नोटिस से आती हैं। तो नोटिस जिन चीजों के लिये दिया जाय वह सभी चीजें पेंडिंग नोटिस में शामिल हो जाती हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न भी नोटिस से होता है और इस तरह से जितनी भी कार्यवाही सदन के सामने होती है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता हुआ करती है। तो बिना नोटिस का जो शब्द आया है उसमें यह भी प्रश्न आता है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह जो नोटिस की बात है इसका ओरिजिन (उत्पत्ति) कहां से है । इसका ओरिजिन हाउस आफ कामन्स के नोटिस पेपर से है । वहां पर हाउस आफ कामंस के सामने जो नोटिस पेपर रखा जाता है उसमें सब चीजें दर्ज होती हैं। जिन चीजों का नोटिस दिया जाता है वे सब नोटिस मानी जाती हैं और हाउस आफ कामन्स में ली जाती हैं। तो नोटिस पेपर में जो चीजें चढ़ती है वे नोटिस कहलाती हैं। तो इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न था और जिस पर यह प्रतिवेदन माननीय उपाध्यक्ष ने बहैसियत उस कमेटी के सदर के उपस्थित किया है लैप्स हो गया है और इस पर यह सदन विचार नहीं कर सकता।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का जो प्रश्न भवन के सामने उपस्थित है उसके ऊपर एक वैधानिक आपत्ति की गई है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न यह भवन नहीं ले सकता है चूंकि इस सभा का सत्रावसान हो चुका था । मेरा निवेदन यह है कि यह आपत्ति भ्रम के ऊपर अवलम्बित है । इस संबंध में प्रक्रिया नियमावली का १७१ नियम रेलेवेंट [सुसंगत] है, जो इस प्रकार है: "सभा के सत्रावसान होने पर समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायंगे।" मेरा निवेदन यह है कि केवल वही सूचानायें व्यपगत हो सकती हैं जिनके लिये सूचनायें देने का इन नियमों में कोई स्थान है। यह आवश्यक नहीं है कि इस भवन में जितनी भी कार्यवाही हों वह सूचनाओं के ही द्वारा हो । बहुत सी ऐसी कायवाही है जिसके लिये किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका ध्यान नियम १७ (३) की ओर दिलाता हूं। वह इस भांति है—

"यदि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करे तो कोई ऐसा कार्य, जिसके लिये सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले किसी दिन भी कार्य सूची में नहीं रखा जायगा।" इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी भी कार्यवाही भवन में हो सकती है जिसके लिये सूचना की आवश्यकता न हो। सूचना की विधि भी अपने नियमों में दी गई है कि किस प्रकार दी जायगी ।

यदि आप नियम १६९ की ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उसमें यह दिया हुआ है "प्रत्येक सूचना, जिसकी नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता हो, सचिव के नाम पर लिखकर दी जायगी और वह मेज पर या उसके कार्यालय में कार्य-काल के भीतर छोड़ दी जायगी। सूचना जो कार्यालय में उपर्युक्त उपनियम में दिये हुये समय के अतिरिक्त अन्य समयों में प्राप्त हो वह अगले खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायगी" ।

नियम १७० इस भांति है "सचिव प्रत्येक सदस्य के पास सूचना अथवा अन्य पत्र की एक प्रतिलिपि, जिसको इन नियमों के अन्तर्गत सदस्यों के प्रयोग के लिये उपलम्य कराना आवश्यक हो, घुमायेगा। "

मेरा निवेदन यह है कि यह जो विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न इस भवन में आया वह किसी सूचना के आधार पर नहीं आया। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस सदन में निम्नलिखित भांति आ सकता है।

[श्री राधाकृष्ण अग्रवाल]

नियम ४४ इस भांति है---

"किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से :

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,

(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

(३) याचिका द्वारा, अथवा

(४) समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

सदन की सूचना में लाया जा सकता है।

परन्तु यदि अवहेलना सदन की वास्तविक दृष्टि में ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकता है।"

इस तरह से यह ४ तरीके हैं जिनसे सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उपस्थिति किया जा सकता है।

श्री खुशवक्त राय--नियम ४५ पढ़ लीजिये।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--मैं उसी पर आता हूं।

नियम ४५ इस भांति है---

"जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत करना चाहे वह जिस दिन शिकायत करने का विचार करता हो, उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी।"

इन चार तरीकों में से सिर्फ यही तरीका है जिसमें यदि सदस्य द्वारा शिकायत हो तो सूचना की आवश्यकता होगी। बाकी तीन तरीकों में सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम ५४ इस भांति है---

"सचिव का प्रतिवेदन--जब सचिव को विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में प्रतिवेदन करना हो तो अध्यक्ष, यदि वह इसके लिये सम्मति दे, सदन को इसका बोध करायेगा। तब सचिव सदन को अपना प्रतिवेदन पढ़ कर सुनावेगा। सदन उस प्रतिवेदन पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में जिसके भीतर प्रतिवेदन मुद्रित किया जा सक और वह सदस्यों को दिया जा सके, विचार किया जा सकता है।"

अगर नियम ५९ के अन्तर्गत कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है तो किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि नियम ५५ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित होता है तो किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। नियम ५५ इस भांति है--

"जब विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत की याचिका प्राप्त हो और जब उस पर अध्यक्ष अपनी सम्मति दे दे तब याचिका या उसका ऐसा भाग जो विशेषाधिकार की अवहेलना से संबद्ध हो, सचिव द्वारा सदन को पढ़ कर सुनाया जायगा। सदन उस याचिका को तत्काल विचारार्थ ले सकता है या यह निदेश दे सकता है कि किसी भावी समय में, जिसके भीतर याचिका मुद्रित की जा सके और उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को दी जा सकें, इसको विचारार्थ लिया जाय।"

नियम ५६ के अन्तर्गत भी अगर भवन के सामने किसी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयेगी तो उसकी सूचना की आवश्यकता नहीं है। नियम ५६ इस भांति है---

"सदन की समिति का प्रतिवेदन जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी शिकायत हो प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भापतिया उसकी अनुपस्थिति में समिति का कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है किस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में चविर किया जाय।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस भवन के सामने उपस्थित हुआ था वह सेक्रेटरी की शिकायत से हुआ था। इसके ऊपर विशेषाधिकार कमेटी ने अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया है। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष ने ८ अक्तूबर को यह प्रश्न विचारार्थ भेजा था। उसमें लिखा हुआ है कि "मेरा ध्यान बिलट्ज़"

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। यह मामला बिलट्ज़ का मामला नहीं है जो इस वक्त सदन के सामने पेश है।

माननीय अध्यक्ष—इसमें किसी खास मामले का हवाला देने का सवाल नहीं है बल्कि जो वैधानिक प्रश्न उठाया गया है उससे ताल्लुक रखता है।

श्रीराधाकृष्ण अग्रवाल—मैंने जो हवाला दिया है वह दोनों मामलों से संबन्ध रखता है, दोनों पर ही लागू होता है। मेरा निवेदन यह है कि सत्रावसान होने से कोई रुकावट नहीं होती और इस प्रश्न को भवन के सामने उपस्थित किया जा सकता है।

श्री फ़ख़रुल इस्लाम—जनाबवाला, यह एक उसूली सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है कि इस हाउस के प्रोरोग (सत्रावसान) होने के बाद उसकी तमाम पिछली कार्यवाही जो इस भवन में जारी रही है खत्म होगी या नहीं। मैं यह समझता हूं कि इसके मुताल्लिक़ जो मेरे दोस्त श्री खुशवक्त राय जी ने सवाल उठाया है वह बिलकुल मुनासिब और सही है। यह एक बुनियादी सवाल है। इस पर इस हाउस को, जनाबवाला को अपनी रूलिंग ऐसी देनी चाहिये जिससे यह चीज़ बिलकुल साफ हो जाय। जनाबवाला को यह मालूम है कि इस हाउस के प्रोरोग होने के सिलसिले में इस हाउस के सबसे पुराने, सबसे काबिल और सबसे ज्यादा होशमन्द मेम्बर श्री तिवारी जी ने अपना इस्तीफा, जब यह सवाल सब-रूल कमेटी में उठाथा, तब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई हाउस प्रोरोग हो जाता है तो उसके प्रोरोग होने के साथ ही उसका सब काम खत्म हो जाता है, वह जारी नहीं रह सकता। लेकिन उस वक्त भी ऐसा ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इसके मुताल्लिक़ दो रायें थीं लेकिन इसके बावजूद वे अपनी राय पर कायम रहे और उसके बाद जब तक वह कमेटी बैठी तब तक वे उस कमेटी में शरीक़ नहीं हुये। मैं समझता हूं कि इसी की बिना पर रूल १७१ बहुत साफ है और बहुत ही क्लीअर है। इसके बाद मैं समझता हूं कि हाउस को और हाउस के मेम्बरान को यह अख्तियार नहीं रहता कि वे इसके खिलाफ आवाज उठायें। रूल १७१ के अल्फाज़ इस तरह से हैं —

"When the Assembly is prorogued all pending notices shall lapse but all Bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

[सभा का सत्रावसान होने पर समस्त लम्बित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे।]

इसके साफ मानी यह है कि सिर्फ ऐसे बिल्स जो इस हाउस के सामने पेंडिंग हैं बाकी रहेंगे और इसके अलावा कोई भी कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। जब तक यह रूल मौजूद है, जनाबवाला, मैं यह कहूंगा कि इसके बाद कोई भी कार्यवाही इस भवन के सामने नहीं हो सकती। एक सूरत हो सकती थी लेकिन वह भी नहीं की गई। वह यह कि एक तजवीज पेश होती कि यह भवन उस पर विचार कर ले। यह सवाल भी हमारे सामने रिजोल्यूशन (संकल्प) के तौर पर नहीं लाया गया। सिर्फ उसी तरह से पिछली कोई कार्यवाही हो सकती थी लेकिन इस भवन ने यह भी नहीं किया। इस तरह से यह हाउस उस जगह पर

[श्री फ़ख़रुल इस्लाम]

नहीं है कि वह इस मसले पर गौर कर सके और उसको लेकर आगे बढ़ सके। इसलिये यह जो प्रिविलेजेज़ कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की रिपोर्ट है वह लैप्स (व्यपगत) हो जाती है और वह लैप्स हो जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री खुशवक्त राय ने इस आदरणीय सदन के सामने उठाया है उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न उन्होंने इससे पहले भी उठाया था और उस वक्त भी उनका कहना वही था कि सत्रावसान या प्रोरोगेशन के बाद किसी कमेटी का चलाना या उसकी कार्यवाही को जायज मानना सही नहीं है। उस प्रश्न पर निर्णय मैंने ३ जनवरी, सन् १९५१ ई० को दिया था और वह उस दिन की कार्यवाही के १०६ सफा पर लिखा हुआ है। अभी इस बीच में एक बात जरूर हुई है कि हमने अपने नियम बनाये। इससे पहले हमारे नियम दूसरे थे और अब नये नियम हमने बनाये। उस निर्णय में मैंने यह कहा था कि, "यह बात कि सत्रावसान का सदन की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह एक सदन की प्रक्रिया का सवाल है और सदन उसे स्वयं तय कर सकता है।" हाउस आफ कामन्स पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव हमारे सदन पर भी पड़ेगा, इस को मानने के लिये मैं उस वक्त तैयार नहीं था। अब जब यह प्रश्न उठाया गया है और नियम १७१ का हवाला दिया गया है तो मुझे यह देखना है कि इससे पहले जो हमारे नियम थे वे क्या थे। आया कोई चीज इस नियम में हमने बदली है जिसकी वजह से मुझे अपने उस निर्णय में कुछ तरमीम करनी पड़े ? इससे पहले जो हमारा नियम इस विषय में था वह १४६ था। उसके अल्फाज ये हैं—

"When the Assembly is prorogued—

(*a*) all pending notices shall lapse except notices of questions to which final replies have not been given;

(*b*) all Bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

[सभा का सत्रावसान होने पर—

(क) ऐसे प्रश्नों की सूचनाओं के अतरिक्त जिनके अंतिम उत्तर न दिये जा चुके हों, समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी ;

(ख) ऐसे समस्त विधेयक जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे।]

अब हमारे जो नियम हैं, आप देखेंगे कि नियम १७१ में जो शब्द हैं, ये सचमुच वे ही शब्द हैं जो दूसरे तरीके से हमारे पुराने नियम में थे। और जहां तक इसके शब्द हैं। "All notices shall lapse" [सब सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी] उसका मतलब मैं यही समझता हूं कि जिन बातों की नोटिस देने की जरूरत होगी अगर उसका नोटिस दे दिया गया है और उन बातों के ऊपर नोटिस के बाद विचार शुरू नहीं हुआ है और उस पर विचार करना जरूरी है तो दूसरे नोटिस की जरूरत होगी। जो सूचना होगी वह व्यपगत हो जायगी। मगर यह बात कि सत्र की जितनी कार्यवाही है वह व्यपगत हो जायगी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो आपत्ति श्री खुशवक्त राय ने उठायी है उसे मैं अनियमित समझता हूं।

श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)—श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर सदन विचार करे। इस संबंध में मुझे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिवेदन कई दिनों से भवन के सामने उपस्थित है। जो सिफारिशें विधान सभा विशेषाधिकार समिति ने पेश

की हैं वह भी विचार के लिये माननीय सदस्यों के सामने एक अरसे से उपस्थित हैं। कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इस प्रस्ताव पर भवन में विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द पन्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के तारीख १५ अक्तूबर, सन् १९५१ ई० के प्रतिवेदन के पैराग्राफ ११ से सहमत है। यह पैरा ११ इस प्रकार से हैं—

"इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये समिति का यह मत है कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त के वक्तव्य में कोई बात ऐसी नहीं है जो श्री त्रिलोकी सिंह के सभा में दिये गये भाषण पर आक्षेप समझी जा सके और इस कारण समिति का मत है कि इस वक्तव्य से सभा के या सभा के सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह के किसी प्रकार के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई है।"

श्री राजाराम शास्त्री—इस प्रश्न पर विचार करने से पहले मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त ने की है या नहीं की है, लेकिन उस वक्त जब कि इस प्रश्न पर विचार हो रहा हो, माननीय गुप्त जी का यहां पर रहना अनिवार्य है या नहीं?

माननीय अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि गालिबन वह इसी वजह से चले गये हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने उनको बताया था कि जिस वक्त इस प्रश्न पर विचार हो रहा हो उस वक्त माननीय सदस्य को यहां पर मौजूद नहीं रहना चाहिये। जब उनकी आवश्यकता हो तो सदन उनको बुला सकता है। आपका नियम इस प्रकार का है। वह यहां पर आये थे और इस प्रश्न के सामने आते ही वह यहां से उठकर चले गये और उन्होंने इस बात का मौका नहीं दिया कि उनसे इसके मुताल्लिक़ कहा जाता। वह खुद ही चले गये।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष ने जो रिपोर्ट अभी इस भवन के सामने पेश की है और जो कमेटी ने सिफारिश की है उसको उन्होंने सामने रखा है। मैं जानता हूं कि ऐसे अवसर पर हाउस आफ कामन्स में ज्यादातर तरीका यह रहता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट होती है और जो कमेटी का निश्चय होता है कि अवहेलना नहीं हुई है तो फिर उसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं की जाती है। मैं सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। चूंकि यह एक ब्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार अवहेलना) का सवाल है और इस ऐवान में इस बात का सवाल कि किस ने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है और किसने नहीं किया है इसमें किसी पार्टी का ख्याल नहीं होना चाहिये। यह इसलिये कि हर शख्स चाहे वह उस तरफ का बैठने वाला हो या इस तरफ का बैठने वाला हो हर एक फर्द का यह पूरा ख्याल होना चाहिये कि इस ऐवान की किसी भी तरीके से तौहीन न होने पाये। यह रिपोर्ट जो अभी पेश हुई है उसमें एक आश्चर्य की बात मालूम होती है कि एक पार्टी के मेम्बरान इस फैसले पर पहुंचे हैं जो

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

अभी उपाध्यक्ष महोदय ने पेश किया और जितने मेम्बर मुखालिफ पार्टियों के थे उन्होंने एक राय से अपनी सम्मति दी है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। ९ मेम्बर्स में से ५ की राय वह है जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आपके सामने रखी है और बाकी ४ ने मुत्तफ़िक़ तौर पर यह राय दी थी कि नहीं, ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ है और माननीय मंत्री महोदय को एक किस्म की वार्निंग (चेतावनी) दी जाय। तो मेरा मतलब यही है कि गोकि यह हाउस आफ़ कामन्स की प्रेक्टिस है लेकिन फिर भी कम से कम ऐसे मामलों में पार्टी का किसी तरह का व्हिप (सचेतक) नहीं होना चाहिये और हर आदमी को एक आज़ादाना और स्वतंत्र तरीक़े से अपनी राय देना चाहिये। मैं जिस वक्त कमेटी में था, गोकि वहां के बहस मुबाहिसे का ज़िक्र यहां न करना चाहिये, लेकिन मैं फिर भी हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि आइन्दा जब भी ऐसे सवाल आयें उनमें हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक जज की तरह से फ़ैसला करें।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह कि माननीय सदस्य ने कहा कि विशेषाधिकार का जो प्रश्न था उस में कुछ मेम्बरों के ऊपर पार्टी का व्हिप था। यह किस आधार पर कहा गया? और माननीय सदस्य महोदय का ऐसा कहना स्वयं विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना---जनाबवाला, मैं समझता हूं कि श्री राधाकृष्ण अग्रवाल ने मेरी तक़रीर को गौर से नहीं सुना। मैंने यह नहीं कहा, मैंने तो यह कहा कि ऐसे मसलों पर पार्टी का व्हिप नहीं होना चाहिये।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)---जनाब स्पीकर साहब, मैंने श्री गोपाल नारायण सक्सेना साहब ने जो इरशाद फरमाया उस को गौर से सुना और समझा था और मैं समझता हूं कि जब मैं अभी उनके इरशाद के मुताल्लिक़ अर्ज करूंगा तो कम से कम हाउस यह समझेगा कि जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया उसको मैं सही समझा। हमारे इस ऐवान में एक कमेटी कायम हुई थी और एक ऐसे काम के लिये क़ायम हुई थी कि जिसको तमाम दुनिया पार्टी पालिटिक्स (दलगत नीति) से ऊपर रखती है। जिस वक्त इस मसले पर जिस पर रिपोर्ट आई है मैंने इस ऐवान में गुज़ारिश की थी कि यह मसला ऐसा नहीं है और इस ऐवान का कोई मेम्बर भी और कोई पार्टी भी इसको इस निगाह से नहीं देख सकती है कि कौन किस पार्टी का है और किसी का किसी से क्या ताल्लुक़ है बल्कि बिला लिहाज़ इस बात के हमारे सामने सिर्फ यह बात होगी कि इस ऐवान की किसी किस्म की कोई तौहीन या इज्जती किसी बात से हुई है या नहीं हुई है।

कोई आदमी भी जो इस ऐवान का मेम्बर हो, ख्वाह वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, इस बात को बरदाश्त कभी भी नहीं कर सकता है कि इस ऐवान की किसी किस्म की बेइज्जती को गवारा करे या इसकी बेइज्जती के मसले पर जो राय कायम की जाय वह किसी बेसिस (आधारों) पर न बनी हो। यह मुमकिन नहीं है। हर मेम्बर की इज्जत और शान इस हाउस की इज्जत और शान है और इस ऐवान की इज्जत हर मेम्बर की इज्जत है। यदि इसे कोई मानने को तैयार नहीं है तो वह गलती पर है, इससे कोई समझदार आदमी इन्कार नहीं कर सकता। इस लिये मैं पूरा भरोसा रखता हूं, ख्वाह कोई मेम्बर इस तरफ का बैठने वाला हो या उस जानिब का बैठने वाला हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं यह समझूंगा कि अगर कोई

इस तरह की बदगुमानी करता है कि पार्टी का व्हिप था तो यह मुनासिब नहीं है ख्वाह इसके यह कहने की वजह कुछ भी हो। जो कुछ मेरे दोस्त पालनजी ने इरशाद फरमाया, हां मैं यह मानता हूं उन्होंने बचने की कोशिश की। अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात का लिहाज रखा कि जो कुछ वह कहना चाहते हैं वह उनकी बदगुमानी जो है, उसकी बिना पर जो कुछ उनके दिल में है वह उनकी जबान पर इस तरीके से लाया जाय कि वह बच कर निकलने की कोशिश कर सकें। उनके दिल की बात को इस तरीके से लाया गया कि उन्होंने बच कर निकल जाने का तरीका अख्तियार किया। यह मैं मानता हूं सही है। इस लिये मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उनकी तकरीर सही तरीके से समझा हूं। किसी बात के कहने की जब जरूरत होती है तभी उसको कहा जाता है, इसको सभी मानेंगे। मैं इसकी बाबत बदगुमानी नहीं कर सकता तो मैं अपने दोस्त गोपाल नारायाण साहेब से, जनाब की वसातत से बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जो कुछ उन्होंने तकरीर की वह तकरीर हरगिज इस हाउस की शायाने शान नही थी। अगर मेरे दोस्त अग्रवाल साहेब को यह शुबहा हुआ है कि इस ऐवान को पालन जी की तकरीर से कंटेम्ट (अवमान) हुई है तो मैं इसे बेजा नहीं समझता हूं, अपने नजदीक। राय इस ऐवान की और दूसरे लोगों की कुछ भी हो, लेकिन मेरी जो राय है वह यही है। सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों के लिये पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और जिन्होंने नोट आफ डिसेंट [विमति टिप्पणी] लिखा है उनके लिये पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया और डेलीबेटली (जानबूझ कर) नहीं किया गया।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—वे मुख्तलिफ पार्टीज के थे। एक ही पार्टी के थे ही नहीं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—इस हाउस की बनाई हुई कमेटी की राय है, इसलिये हमने उसपर ऐतमाद किया मैं नहीं समझता कि कोई वजह हो सकती है कि हम उसे न मानें या उस कमेटी के मेम्बरान पर किसी तरह का आक्षेप करें या उनकी रिपोर्ट के बारे में किसी किस्म की बदगुमानी पैदा करें। हमको इस ऐवान का मियार ऊंचा रखना चाहिये और अपने दिलों को साफ रखना चाहिये। इसमें मुखालिफत या मुआफिकत का कोई सवाल नहीं है। हम इस ऐवान की इज्जत के दिलदादा हैं। मैं हुजूरेवाला से दरख्वास्त करता हूं कि जो कुछ मैंने अर्ज किया है वह ठीक वही है जो कुछ मैंने पालन जी की स्पीच से समझा है। जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया मैंने उसे इस तरह से समझा। मैं समझता हूं कि उनके अल्फाज से दूसरे लोग भी यही माने लगाते होंगे। अगर उनको कुछ गलतफहमी इसके मुताल्लिक है तो मैं अर्ज करता हूं कि वह दूर करलें और मैं इस ऐवान के सामने यह मोशन पेश नहीं कर रहा हूं कि इससे इस मोअज्जिज हाउस की तौहीन हुई है।

श्री अब्दुलग़नी अन्सारी—जनाबवाला, मुझे इसका अफ़सोस है कि इस मामले में हाफ़िज साहब ने बहैसियत लीडर आफ़ दि हाउस के जो तकरीर की है उसमें बिला वजह जरूरत से ज्यादा जोश से काम लिया है। जो कुछ इस वक्त कहा गया और जो मक़सद था वह सिर्फ इस हद तक था कि यह मामला इस कदर अहम है कि मेम्बरान को आजाद होना चाहिये कि वे अपनी राय को बिला किसी असर के क़बूल किये हुये पेश करें। यह वाक़या है कि इस मसले में प्रिविलेजज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) में इख्तिलाफ़ राय हुई। पांच मेम्बरान की राय एक तरफ हुई और चार साहबान की राय दूसरी तरफ हुई। वह रिपोर्ट सब लोगों के सामने है। वाक़यात उसके यह हैं कि २३ अगस्त को इस ऐवान में त्रिलोकी सिंह साहब ने तकरीर फरमाई और उस सिलसिले में २५ तारीख को एक तकरीर रफी अहमद किदवाई साहब ने दूसरे मुकाम पर यानी ऐवान से बाहर की और २८ तारीख को एक स्टेटमेंट (वक्तव्य) इश्यू (जारी) किया गया। स्टेटमेन्ट जो कि ऐवान के सामने होना चाहिये था वह स्टेटमेन्ट (वक्तव्य) खुद एक ऐसी चीज है कि इस मसले को बिला किसी इमदाद के, बिला किसी दलील के वाजह करता है। मैं ऐवान से सिर्फ यह दरख्वास्त करूंगा कि उस स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ लें और उसके बाद फैसला करें। यह मसला ऐसा है कि जिस पर इस ऐवान की अजमत और वक़ार का बहुत कुछ

[श्री अब्दुल ग़नी अन्सारी]

दारोमदार है। अगर यह ऐवान अपने फर्ज को उस तरीके से अन्जाम देता है जिस तरीके से कि उसको अन्जाम देना चाहिये तो उसकी इज्जत न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बाहर भी बढ़ेगी, इज्जत को बट्टा लगेगा मैं यह नहीं कहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी का सवाल है बल्कि गौर, खोज और फिक्र करने का सवाल है कि पांच मेम्बर साहबान ने जो एक राय रखी है और चार मेम्बर साहबान ने जो दूसरी राय रखी तो उसमें कौन किस हद तक सही है और कौन किस हद तक गलत है। अगर चार मेम्बरान की राय सही है तो तमाम मेम्बर साहबान को उनकी राय से इत्तफाक करना चाहिये और अगर अक्सरियत की राय सही है तो मेम्बर साहबान को उनसे इत्तफाक करना चाहिये। मैं आपकी इजाजत से उस स्टेटमेन्ट को पढ़ देना चाहता हूं बावजूद इसके कि वह ऐवान के सामने है लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने उसको नहीं पढ़ा होगा--

"A report has appeared in a section of the Press that Mr. Rafi Ahmad Kidwai made the allegation at a meeting in Allahabad district that Government foodgrains worth about Rs.5 crores were missing. The allegation has no foundation in fact.

A statement to this effect was first made by the Leader of the Opposition, Mr. Triloki Singh in the U. P. Assembly during the course of the food debate held on August 23. He had stated that there was a difference of 165,005 tons of foodgrains between the total quantity procured and imported from 1946 up to August 16, 1951, and the quantity that was expoorted from and consumed in the State during 1946 to July 31, 1951. Allowing for 60,000 tons to be consumed during the course of August 1951, he stated that 105,000 tons were unaccounted for."

[कुछ पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि श्री रफी अहमद किदवाई ने इलाहाबाद जिले की एक सभा में यह आरोप लगाया कि लगभग पांच करोड़ रुपयों का सरकारी गल्ला गायब है। इस आरोप का वस्तुतः कोई आधार नहीं है।

इस आशय का एक वक्तव्य प्रथम बार विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने य० पी० असेम्बली में २३ अगस्त को खाद्य सम्बन्धी वाद-विवाद में के समय दिया था। उन्होंने कहा था कि सन् १९४६ ई० से लेकर १६ अगस्त, सन् १९५१ ई० के बीच जो गल्ला देश मे संग्रह किया गया और बाहर से मंगवाया गया तथा उस गल्ले में जो १९४६ ई० से लेकर ३१ जुलाई, सन् १९५१ तक यहां के लोगों में बांटा गया तथा बाहर भेजा गया १,६५,००५ टन का अन्तर है। उन्होने कहा कि यदि अगस्त सन् १९५१ में उपयोग किये गये ६०,००० टन को भी निकाल दिया जाय तो १,०५,००० टन का कोई "हिसाब नहीं मिलता।"

इस स्टेटमेंट में फिर आगे चलकर गुप्ता साहब फरमाते हैं--

"Then and there it was pointed out by the Chief Minister and myself that the stocks of foodgrains in Government godowns had not been included by him in his calculations."

[उसी समय मुख्य मंत्री ने तथा मैंने बता दिया था कि उन्होंने अपनी गणना में सरकारी गोदामों में जमा गल्ले को सम्मिलित नहीं किया था।]

श्री खानचन्द गौतम--एक वैधानिक आपत्ति है। अभी माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह जी और माननीय श्री गुप्त जी के यहां दिये हुये भाषणों का उद्धरण देने को खड़े हुये ताकि उससे हम लोगों को मदद मिले लेकिन इसके बदले में वह प्रेस रिपोर्ट हमको दे रहे हैं। उससे मदद मिलने के बदले और घबराहट पैदा हो सकती है, भ्रम पैदा हो सकता है। अगर माननीय सदस्य जो यहां का भाषण है उसमें जो संबंधित अंश हैं उनका ही उद्धरण दें तो ठीक है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन ।

माननीय अध्यक्ष--जो विवरण जारी किया गया है उसी को पढ़ रहे हैं। विशेषाधिकार का विषय वही है ।

श्री अब्दुलगनी अन्सारी--मैं समझता हूं कि खानचन्द गौतम साहब ने जरा जल्दी से काम लिया है । जरा सब्र से काम लेंगे तो वह समझेंगे कि यह बहुत जरूरी था ।

"Then and there it was pointed out by the Chief Minister and myself that the stocks of foodgrains in Government godowns had not been included by him in his calculations. The stocks of foodgrains in Government godowns on August 1, 1951 amounted to 135,000 tons. The consumption for the first forthnight of August would be 30,000 tons and thus the difference of 105,000 tons represented the stocks that were physically present in the Government godowns in the state at the end of the first fortnight of August."

[उसी समय मुख्य मंत्री ने तथा मैंने बता दिया कि उन्होंने अपनी गणना में सरकारी गोदामों में जमा गल्ले को सम्मिलित नहीं किया था । जो गल्ला सरकारी गोदामों में १ अगस्त, १९५१ ई० में जमा था वह १,३५,००० टन था । अगस्त के प्रथम पक्ष में जो गल्ला बांटा गया वह ३०,००० टन होगा और इस प्रकार १,०५,००० टन गल्ले का जो अन्तर है वह उस गल्ले को सूचित करता है, जो अगस्त के प्रथम पक्ष के अन्त में राज्य के सरकारी गोदामों में मौजूद था ।]

अब इसके बाद जो अन्तिम पैराग्राफ है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के ऊपर सब कुछ दारोमदार है । गुप्ता साहब अपने विवरण में यह फरमाते हैं :--

"It is surprising that these elementary calculations should have evaded the comprehension of or should have been purposely ignored by those who are reported to have made" and repeated these allegations."

[यह आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने जिनके द्वारा ये आरोप लगाये और दोहराये गये बतलाये जाते हैं, इन प्रारंभिक गणना पर ध्यान देने का विचार नहीं किया या जानबूझ कर उनकी अपेक्षा कर दी ।]

इसी एक जुमले से मालूम होता है कि इसमें कम से कम दो शख्सों के मुताल्लिक कहा गया है । एक वह कि जिसने यह आरोप किया यह जुमला भी किसी तीसरे शख्स के मुताल्लिक नहीं हो सकता । यह तो सीधी-सीधी अंग्रेजी के समझाने का सवाल है इस पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश ही नहीं है । इस विवरण के पढ़ने से ही मालूम हो जायगा कि इसका रुख किस तरफ है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर (श्रीमान् मैं विधान का एक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं) रूल ६६ के अनुसार वाद विवाद संक्षेप्त होना चाहिये । आप देख लीजिये ।

माननीय अध्यक्ष--मैंने देख लिया । माननीय सदस्य मेरे जरिये से आपकी तवज्जह रूल ६६ की तरफ दिलाना चाहते हैं । चर्चा संक्षिप्त होना चाहिये ।

श्री अब्दुल गनी अन्सारी--मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिया है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस स्टेटमेंट को मेम्बरान खुद गौर से पढ़कर अपना फैसला करें और उस जिम्मेदारी का अहसास करें कि जो उनके ऊपर है और जिस जिम्मेदारी को पेशनेजर रख कर उनको अपना फैसला देना चाहिये ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात के कहने की धृष्टता नहीं करूंगा कि यह जो विशेषाधिकार समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें किसी सदस्य या सदस्यों की क्या-क्या मानोभावनायें थीं। लेकिन हम तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे इसका मुख्य कारण यह था कि गुप्ता जी ने इस बात को स्पष्ट-तौर पर जब उनको बतलाया गया था तो समिति के सुझाव और मतभेद देने वाले सदस्यों के सामने कहा था कि मैंने ऐसा वक्तव्य कभी भी इस सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध देने के विचार से नहीं दिया। हमने जितने पत्रों में यह बात प्रकाशित देखी उसमें यह लिखा था कि, गुप्ता किदवई के विवरण का प्रतिवाद करते हैं जैसा मैं पूर्व कह चका हूं मैं ऐसी भी धृष्टता नहीं करूंगा कि इस भवन के सदस्यों ने समिति की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जैसा कि अब्दुल गनी अन्सारी साहब ने कहा कि बहुतों ने पढ़ा नहीं होगा। तो भवन के विरुद्ध यह एक बड़ा लांछन होगा। मैं तो समझूंगा कि सभी ने पढ़ लिया होगा और उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट में स्पष्टतौर से लिखा है कि हमारे देश के पत्रों ने अलग-अलग (शीर्षक) अपने पत्रों में दिये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुप्ता जी ने ये जो शब्द कहे हैं उनका किसी प्रकार से कोई प्रसंग हमारे माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह से नहीं है। मैंने स्वयं "ब्रीफ" शब्द को प्वाइंट आउट किया था, इस लिये मैं अधिक नहीं कहूंगा, संक्षेप में ही विचार प्रकट करूंगा।

दूसरी बात यह है कि आपके जिन ४ सदस्यों ने विमति टिप्पणी दीं उनके कहने पर जितनी बातें, जितना समय, जितनी इच्छायें उनकी थी वह पूरी की गईं और जितनी पुस्तकों का वह उद्धरण कर सकते थे, वह किया गया और इस प्रकार विशेषाधिकार समिति ने पार्टी लाइन पर काम नहीं किया बल्कि सब सदस्यों को पूरा-पूरा अवसर अपने विचार प्रकट करने को मिला। मैं समझता हूं कि वह भी हृदय के अन्दर इस बात को समझते हैं कि बहुमत रिपोर्ट न्यायसंगत है। मगर इस बात का मुझे सख्त अफसोस है कि उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को यहां पर दूसरे रूप में प्रकट किया और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हाफिज साहब ने क्रोध में कहा तो यह तो क्रोध की बात नहीं थी। बल्कि अफसोस की बात थी जो उन्होंने जाहिर की। वह तो सदन की मान-मर्यादा और उनके आत्म-सम्मान की बात थी और जितने विशेषाधिकार समिति के मेम्बर बैठे हैं उनके हृदयों की पुकार थी। श्री गोपाल नारायण सक्सेना का इस प्रकार आक्षेप करना शोभाजनक नहीं था।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि यह शब्दों का आडम्बर और जाल जो है इसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुप्ता जी ने स्वयं यह कहा था मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं कि उस वाक्य का अर्थ दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अंग्रेजी भाषा का इतना विशेषज्ञ नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने वहां पर यह भी कहा कि आप एम० ए० पास हैं। लेकिन एम० ए० होने के मानी यह नहीं हैं कि अंग्रेजी भाषा में पूर्ण रूप से पारंगत हों। हो सकता है कि कहीं भाषा के प्रयोग में कोई भूल हो जाय।

यह प्रश्न जस्टिस और ईक्विटी (न्याय और साम्या) का था। हर एक आदमी समझ सकता है कि पार्टी पर प्रतिबन्ध नहीं था। बल्कि सबने न्याय का साथ दिया। मैं समझता हूं कि वह विशेषाधिकार समिति के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते स्वयं अपने शब्दों को वापस करेंगे और यहां की जो कार्यवाही है उसमें इस प्रकार के शब्द नहीं लिखे जावेंगे। यह मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें, इसमें उनकी ही शोभा है।

श्री खानचन्द गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही से एक बात मेरे मन में आ रही थी कि जिस समय यहां विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो तो उस वक्त प्रक्रिया संबंधी एक सुझाव मैं श्रीमान् के सामने रखूं। जब से इस प्रश्न पर विचार करना आरम्भ हुआ है उसी समय से मैं अवसर खोज रहा था कि मैं किस समय आपके सामने वह विचार रखूं। वास्तव में मेरा वह सुझाव श्री अब्दुलगनी अन्सारी की वक्तृता के पहले ही

आता तो मुनासिब होता और इसी के लिये मैं खड़ा भी हुआ था। माननीय श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने इस सम्बन्ध में जो इंगित किया कुछ उसी प्रकार की बात मेरे मन में आ रही थी और वह इस रूप में कि यहां इस माननीय सदन में हम हर प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हैं, उनमें बहुत से पार्टी के प्रश्न होते हैं, उनके लिये लाजिमी है कि वह प्रश्न, उस दल की सम्मिलित शक्ति से यहां तय हों। ऐसा अगर न हो तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाय। मगर जैसा कि सब लोग मानते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आवश्यक होते हैं, जिन में किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं होता। उसमें इस माननीय सदन की एक कमेटी को, समस्त सदन की या आप की मान-मर्यादा का प्रश्न हो सकता है। ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यह निर्विवाद है कि इस माननीय सदन का कोई सदस्य यह नहीं समझेगा कि यह प्रश्न किसी दल विशेष से सम्बन्ध रखता है। विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही में उसकी रिपोर्ट में जब यह देखा जाता है कि एक दल से सम्बन्ध रखने वाले सभी माननीय सदस्यों ने एक ओर हस्ताक्षर किये हैं और दूसरी ओर के लोगों ने दूसरी ओर दस्तखत किये हैं, इत्तिफाक की बात हो सकती है या उस विशेषाधिकार समिति के सदस्यों की खुशकिस्मती या बदकिस्मती हो सकती है, लेकिन मैं यह यकीन नहीं करना चाहता कि विशेषाधिकार समिति का सदस्य होने की हैसियत से इस माननीय सदन के कोई माननीय सदस्य इस बात का भी ध्यान रखते होंगे कि वह किस दल से सम्बन्ध रखते हैं और उनके सामने जिस व्यक्ति का मसला पेश है वह किस दल का है और प्रिविलेज कमेटी में ऐसी कार्यवाही हो सकती है कि वहां का विचार हमारे सामने पेश होगा। और इस समय वही स्थिति है कि जब इस माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य उस मसले पर विचार करके एक जज की हैसियत से राय देने की स्थिति में है।

विशेषाधिकार का प्रश्न इससे भी विकट और महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आज एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है और इस वजह से यह बहुत ही आवश्यक है कि माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य अपनी हैसियत को न भूले। साधारणतया सावधानी और सचेत कर देने के अतिरिक्त बड़ी-बड़ी सजायें देने का अधिकार इस माननीय सदन को है और इस वजह से यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिस प्रक्रिया के संबंध में मेरे मन में एक विचार आया और मैं आपके सामने और आपकी इजाजत से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। वह यह है कि जब कभी विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश हो, उस समय आपके आदेश पर या उसके औचित्य को समझकर इस सदन में उपस्थित सभी दलों के नेतागण अलग खड़े होकर सदन में यह घोषित कर दिया करें कि मेरी पार्टी के समस्त सदस्य इस समय हमारे सचेतक के अंकुश से बरी हैं और प्रत्येक सदस्य अपनी राय देने के लिये आजाद हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—श्रीमान् नियम ६६ को ध्यान में रखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो बहस हो रही है वह रेलेवेंट (संगत) है?

माननीय अध्यक्ष—नियम ६६ में मुख्तसिर होने के सिवाय और कुछ नहीं, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे।

श्री खान चन्द गौतम—पहले अगर मुझे सचेत किया जाता तो मैं संक्षेप में कह सकता था लेकिन अब तो मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं इस लिये इसकी अब जरूरत नहीं रहती। मैं निवेदन करता हूं कि एक अच्छी परम्परा की शुरुआत समझकर सभी दल के नेतागण इस अवसर से लाभ उठायें और खड़े होकर घोषित कर दिया करें कि उनके दल का प्रत्येक सदस्य सचेतक के अंकुश से बरी है और जज की हैसियत से निष्पक्ष राय दे सकता है। इस प्रदेश की विधान सभा को गौरव प्राप्त है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर इसने पहले कदम उठाया

[श्री खानचन्द्र गौतम]

है और यह भी गौरव की बात होगी कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमेशा वैमनस्य और दलबन्दी से बरी होकर उस पर विचार करने की परम्परा को यहां डाल दें और सभी दल के नेतागण अपने दल के सदस्यों को व्हिप (सचेतक) के अंकुश से मुक्त कर दिया करें। केवल यही बात मुझे निवेदन करना है।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, मैं नहीं चाहता था कि इस बहस के अंदर मैं कोई हिस्सा लूं। इस मामले पर बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैं। मैंने यह देखा कि जिन साहबान ने इस वक्त तक तकरीर की है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस हाउस की शान, अजमत, इसके विकार और इसकी बड़ाई का खयाल रखा जाय और हमारे लिये सब से अच्छी और प्यारी चीज यह है कि हमारे सदन की बात ऊंची हो और यही नहीं कि इस सूबे में हो बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इसका नाम रौशन हो और इसकी शान, अजमत और बड़ाई कायम हो। लेकिन जो तकरीरें यहां की गई हैं उससे वह बात नहीं रहती। इस शान में जरूर फर्क आ जाता है जिसे कायम रखने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। मैं तो इस मसले को इस तरह से देखता हूं कि इस सदन के मेम्बरान की एक कमेटी कायम हुई जो प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) के नाम से है जो तहफ्फुज करने वाली है और हमारे हुकूक की और उन चीजों की जो प्रिविलेज (विशेषाधिकार) से ताल्लुक रखती हैं।

जिस वक्त कोई कमेटी इस हाउस में फार्म होगी उस वक्त यह समझना कि उसमें किस-किस पार्टी के मेम्बरान थे और किस-किस पार्टी से उन मेम्बरान से ताल्लुक था यह अल्फाज और यह खयालात ही इस हाउस की शान के खिलाफ हैं। प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) प्रिविलेज कमेटी है। उसके अन्दर इसका सवाल कि वह किस पार्टी के मेम्बरान से मुश्तमिल है यह सवाल ही शायानेशान नहीं है हाउस केलिये। अगर हम लोग समझते हैं कि प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) के मेम्बरान वहां पर अपनी राय देते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम फलां पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और फैसले का असर फलां पार्टी के फलां मेम्बर पर अच्छा या बुरा पड़ेगा और अगर ऐसी राय देते हैं तो प्रिविलेज कमेटी के मुताल्लिक यह खयाल कायम करना हमारे लिये कोई शोभा नहीं देता। विशेषाधिकार समिति इस हाउस ने कायम की है और वह कायम हो गई तो वह किसी पार्टी के एलाइनमेंट (संबंध) से बालातर है। उसका फैसला भी उस तहत में होता है जिस तहत में यहां हाउस में फैसले होते हैं और जितने फैसले होते हैं वह अकसरियत और अकलियत की बिना पर होते हैं। जिस तरफ ज्यादा राय होती है उस तरफ वह फैसला माना जाता है और जिस तरफ रायें कम होती हैं उसका फैसला मुस्तरद कर दिया जाता है। कल के दिन की बात है कि जमींदारी का मसला इस हाउस के सामने आया। जमींदारों ने तरह-तरह के मसले उठाये, तरह-तरह की दलीलें दीं और हर-हर चीजों पर तवज्जह दिलाई लेकिन फैसला किस तरह से हुआ? फैसला वही समझा जाता है जो कि ज्यादा गिनती वाली जमात ने किया। लिहाजा आज वही चीज और वही उसूल आपके सामने है। जो उसका अकसरियत का फैसला है और जिस फैसले के अन्दर ज्यादा तादाद मेम्बरान की है वही फैसला काबिले कबूल होगा और यही आपके यहां का उसूल है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर जब हम विचार कर रहे हैं तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम पार्टी के लिहाज से विचार न करें और मुशकिल हमारे सामनेयह हो जाती है कि जब मैं दस्तखतों को देखता हूं तो कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों कीसब की राय यह है और विपक्ष के विभिन्न दलों कीराय दूसरी है। कमेटी अपने निर्णय में ही दो दलों के विचारों को मालूम पड़ती है। मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पार्टी के नहीं, बल्कि इस सदन के सदस्य की हैसियत से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस तमाम बहस से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि

बहुत कुछ इसमें बाल की खाल निकाली जा रही है। मामला बिलकुल स्पष्ट इस तरह से है कि माननीय सी० बी० गुप्ता जी का एक वक्तव्य अखबारों में पढ़ा और माननीय श्री किदवाई जी ने उन पर यह आरोप लगाया कि पांच करोड़ का गल्ला कम हो रहा है। भवन के अन्दर जब यह मसला आया और माननीय गुप्ता जी का ध्यान इधर दिलाया गया तो उन्होंने यह बात कही कि इस तरह के जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे गलत हैं और बेबुनियाद हैं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी का यह आरोप था कि उन्होंने इस मसले को पेश किया है इससे किदवाई साहब और त्रिलोकी सिंह जी दोनों एक साथ बांध दिये जा रहे हैं।

मेरा अपना ऐसा खयाल है कि इन दोनों चीजों को हमें अलग ही रखना चाहिये। इस भवन के बाहर माननीय किदवाई जी और श्री त्रिलोकी सिंह जी एक विचार रखते हों, उससे हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां तक इस भवन की बहस का ताल्लुक है उसका मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि बहस का मुख्य आधार माननीय किदवाई जी का भाषण है जो उन्होंने बाहर दिया है। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा विचार है कि श्री त्रिलोकी सिंह जी का यह खयाल करना कि उनका अपमान करने की गरज से ही गुप्ता जी ने भवन में यह बयान दिया मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह मुनासिब नहीं। साथ ही साथ जब मैं इस रिपोर्ट को देखता हूं और पृष्ठ दो पर जब मैंने यह देखा कि एक तरफ तो श्री त्रिलोकी सिंह जी यह महसूस करते हैं कि उनका अपमान हुआ और उनके नाते इस भवन का अपमान हुआ, मैं इसे मानता हूं कि अगर त्रिलोकी सिंह जी का किसी तरह से अपमान होता है तो वह भवन का अपमान है। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने जब इस बात को स्वीकार किया कि जब वक्तव्य उन्होंने दिया, तब उनकी निगाह के आगे माननीय किदवाई साहब थे त्रिलोकी सिंह जी नहीं थे और उन्होंने उनका केवल हवाला मात्र ही दिया ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि मामूली शिष्टाचार और मौजूदा परम्परा जो चली आई है कि एक व्यक्ति ने अगर गलती भी की है और उसके बाद वह यह कहता है कि मेरा मंशा आपके दिल को दुखाने को नहीं था तो उस आदमी की वह बात मान ली जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा यह नम्र निवेदन है कि अगर गुप्ता जी इस बात की जिद करते कि श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो कहा वह गलत था और उनके वक्तव्य को ले कर वह उन पर आक्षेप करते तो मेरे ऊपर यह असर पड़ता कि हमारे सदन का अपमान किया गया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आया उन्होंने त्रिलोकी सिंह जी का अपमान किया है या नहीं।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब वह साफ साफ अपने वक्तव्य में यह कह रहे हैं कि त्रिलोकी सिंहजी को सामने रख कर उन्होंने नहीं कहा उनका संकेत केवल इसलिये कर दिया क्योंकि उन्होंने भवन में यह प्रश्न सबसे पहले उठाया, तो मेरा खयाल है कि इस चीज को यहां खत्म किया जाय। इससे सदन का भी गौरव बढ़ता है और माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी का भी गौरव बढ़ता है।

माननीय मंत्री जी ने जब एक वक्तव्य द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उनका मंशा किसी का अपमान करना नहीं था तो उसे स्वीकार करना चाहिये। रिपोर्ट देखने से भी यही पता चलता है कि अधिकांश सदस्यों पर भी यही असर पड़ा कि गुप्ता जी ने माननीय किदवाई को ही सामने रखा है, न कि त्रिलोकी सिंह जी को इन सब बातों पर विचार करने के बाद मेरे ऊपर यह असर पड़ता है कि इस सदन को इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी का अपमान नहीं मानना चाहिये। माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर कभी भी कोई बात किसी मेम्बर को चोट पहुंचाने वाली कही जाती है तो वह अपमान सदन का अपमान होगा और सदन उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन सब बातों पर विचार करने के बाद मेरा ऐसा खयाल है कि कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की जाय और इस मामले को अधिक नहीं बढ़ाया जायगा। जो कुछ बयान

[श्री राजाराम शास्त्री]

माननीय श्री गुप्ता जी ने दिया है उसे श्री त्रिलोकी सिंह जी मान लें। इसमें हमारे सदन की प्रतिष्ठा है और माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी की भी प्रतिष्ठा है। ऐसे मामलों में जितनी ही ज्यादा खींचातानी करके और कानूनी चीजों को निकाल कर जो भी भवन के अन्दर कार्यवाही होगी, उस मसले पर जितनी ही ज्यादा बहस होगी, उसको जितने ही ज्यादा रंग में रंगने की कोशिश की जायगी उतने ही ज्यादा इस भवन के भाव खराब होते जायेंगे। सदन की भावना को कायम रखने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि आप यही खयाल करें कि जितने मेम्बरान ने इस पर विचार किया है वह किसी पार्टी की भावना से विचार नहीं किया है और श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो सवाल पेश किया था वह भी इस गरज से पेश नहीं किया कि वह किसी दूसरी पार्टी के मेम्बर हैं या न इस गरज से किया था कि वे माननीय मंत्री को कुछ नीचा दिखाना चाहते थे। मेरा अपना खयाल है कि अगर इस तरह की भावना भवन के अन्दर रखी जाय तो इस भवन का गौरव भी बढ़ सकता है। मुझे आशा है कि इसी भावना से प्रेरित होकर दोनों पक्ष के लोग इस मसले पर विचार करेंगे।

श्रीचतुर्भुज शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मसले पर बहस अब बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह को और इस पर बोलने का मौका दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस वादविवाद में बतौर हिस्सा लेने का नहीं था बावजूद इसके कि मैं इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि जब कभी प्रिविलेजेज का मामला इस सदन के सामने आये तो विरोधी दल के नेता का यह कर्तव्य है कि वह उस पर अपना मत प्रकट करे। लेकिन इत्तिफाक से जो मामला सदन के सामने पेश है उस प्रश्न को मेरे ही द्वारा इस सदन में उठाया गया था। इस लिये मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस सिलसिले में अपना कोई मत अब प्रकट न करूं। श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने शुरू में ही यह बात फरमा दी थी कि हाउस आफ कामन्स का यह दस्तूर है कि जब कभी प्रिविलेजेज कमेटी की ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया होता है कि अभियोग सिद्ध नहीं हुआ तो उस पर वादविवाद नहीं होता। मैं समझता हूं कि हमें उसी प्रथा का अनुसरण करना चाहिये। हां, जब कभी भी हाउस आफ कामन्स में ऐसी बात हुई है कि प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) ने यह कहा है कि अभियुक्त के खिलाफ अभियोग सिद्ध हो गया है तो उस पर जरूर वादविवाद भी हुआ है। हमारी प्रिविलेजेज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, चाहे वह यूनानीमस रिपोर्ट (सर्वसम्मत प्रतिवेदन) हो या मैजोरिटी रिपोर्ट (बहुमत प्रतिवेदन) हो, लेकिन उसके यही अर्थ हैं कि यह अभियोग सिद्ध नहीं हुआ है इस लिये उस पर और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इस सिलसिले में मेरे मित्र श्री राजाराम शास्त्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे मैं मजबूर हुआ कि इस आदरणीय सदन के सामने अपने विचार रखूं। उनका खयाल यह था कि जो बातें कही गई वे निजी हैसियत से कही गईं। श्रीमान्, आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी इस आदरणीय सदन की कमेटी की, उसके किसी मेम्बर की, या पूरे सदन के विशेषाधिकारों की यदि कोई अवहेलना होती तो वह पूरे सदन का ही अपमान होगा और किसी एक व्यक्ति का अपमान न होगा। मैंने इसी ख्याल से जब यह मामला मेरे इल्म में आया, तुरन्त जितनी जल्दी हो सका, इस आदरणीय सदन का ध्यान मैंने उस ओर दिलाया और मेरी बात पर विचार करने के बाद ही माननीय अध्यक्ष ने प्राइमाफेसी प्रत्यक्षतः केस बना समझा। तभी उस कमेटी को बनाया गया था। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय श्री राजाराम शास्त्री अपने दिल से बिल्कुल यह बात निकाल दें कि इस सिलसिले में मेरी अपनी कोई राय है और मेरी अपनी कोई भावना है। मेरी जितनी भी भावनायें थीं वे उसी दिन समाप्त हो गयीं जिस दिन इस आदरणीय सदन के सामने मैंने अपनी शिकायत पेश कर दी और वह मामला प्रिविलेज कमेटी

(विशेषाधिकार समिति) के सामने चला गया। प्रीविलेज कमेटी की जब कभी भी यह ख्वाहिश हुई कि मैं उस मामले में उनको कुछ मदद दूं तो मैं हमेशा हाजिर हुआ और उनको मदद दी।

यह मामला किसी निजी व्यक्ति का मामला नहीं है। श्रीमान्, मैं आपकी सेवा में यह भी अर्ज करूंगा कि प्रीविलेज (विशेषाधिकार) के मामले में किसी भी सदन को बहुत ही भावुक नहीं होना चाहिये। यह मामला बड़ा गम्भीर है, इस पर बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिये और इसलिये मैं हाउस आफ कामंस की नीति, प्रथा के अनुसार यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में कोई मजीद कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—मैं सिर्फ मुख्तसरन एक दो बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक तो यह है कि इस सदन के विशेषाधिकार की रक्षा के लिये यह परम आवश्यक है कि सब के लिये, प्रत्येक सदस्य के लिये, यह समझा जाय कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है। उसके विरुद्ध किसी धारणा का होना वह विशेषाधिकार और इस सदन की शान पर कुठाराघात करना है। इसलिये किसी भी माननीय सदस्य का यह समझना कि कोई भी सदस्य ईमानदारी से काम नहीं करता है, इस सदन की इज्जत और शान के खिलाफ़ जाना है। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आखिर यह सवाल पैदा कैसे हुआ और इसमें क्या चीज थी। मैं उसकी कोई तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, न कहता हूं कि इसमें जाना चाहिये और न उसके बारे में कोई बहस मुबाहिसा में हिस्सा ही लेना चाहता हूं। मगर यहां तो एक चीज अखबार में छपी और उसके बारे में यह कहा गया कि इस सदन के एक सदस्य के सिलसिले में सदन के विशेषाधिकार के विरुद्ध कुछ बातें हुई हैं। सबसे बुनियादी बात इस सदन के लिये सदस्य की हो सकती है कि उसकी यह नीयत नहीं थी, उसकी यह गरज नहीं थी, सदन उसकी बात माने या न माने। अगर आप उसे नहीं मानें तो यह सदन की शान नहीं हो सकती है। इस सदन के सदस्य की बात के ऊपर इस तरह की तोहमत लगायी जाय कि जो वह कहते हैं सही नहीं है, जो गरज यह बतलाते हैं वह गरज नहीं थी, जो यह कहते हैं उसका कतई यह इरादा नहीं था। मैं किसी भी सदस्य की इस तरह की बात को ठीक नहीं मानता। फिर मैं आम से कहता हूं कि हमें इस बात को मानना चाहिये कि हम इस सदन के हर एक सदस्य को सम्मानित सदस्य कहते हैं और आनरबिल मेम्बर कह कर बातें कही जाती हैं इसलिये उनकी जो बातें हों उन्हें हमें सही मानना चाहिये। उनकी बातों का, द्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी, मुद्दई मुद्दाइलह, की तरह से माने निकालना मैं ठीक नहीं समझता। एक लफ्ज को लेकर के उसके डिक्शनरी में माने ढूंढ़ना और उसके तरह तरह के माने निकालना ठीक नहीं होता है। हमें तो देखना यह है कि इसका क्या मजमूई नतीजा निकलता है। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि जब हम विशेषाधिकार की रक्षा की बातें करें तो उस अधिकार की जो बुनियाद है उसे कुरेद कर न फेंक दें। अल्फाज की बारीकी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों के सम्मान की बात है। जैसा कि इस रिपोर्ट में है उसके न मानने पर और उसके विरुद्ध जाने पर इस सदन के सदस्यों को फिर सोचना पड़ता यह तो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है वह उसी के अनुसार है। माननीय सदस्यों न देखा कि इसमें जिनका सम्बन्ध था उनका ही बयान था उन्होंने कहा और अपनी सफाई दी। फिर इसके बाद इस रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उसको मानना तो आवश्यक होता ही है परन्तु उसकी बुनियाद में जो उसूली बात है उस को छोड़ दें और सभी बुनियादी बातों के खिलाफ जावें तो फिर इसको अपमानित करना ही हो जाता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी गर्ज से हो परन्तु जब हम व्यक्तिगत रूप से सदस्य का मान नहीं रखें तो फिर सदन के सम्मान की बात कैसे होती है? सदन के सम्मान

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

की बात तो सदस्यों के मिले-जुले सम्मान की ही बात होती है। अगर वह निकल जाय तो फिर सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे रह जाता है? वह आधार ही नहीं रह जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमको बुनियादी बातों को नहीं भूलना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जब हम सदस्यों को माननीय सदस्य कहते हैं। तो वह उसका सम्मान ही है और उसी आधार पर सबका सम्मान होना जरूरी है। इसी आधार पर अगर हम काम करेंगे तो ऐसे सवाल नहीं उठेंगे और अगर उठेंगे भी तो बहुत आसानी के साथ हल हो जायेंगे। जहां तक इसका सम्बन्ध है मुझे थोड़ा खेद है कि इस मामले पर इतनी लम्बी बहस हुई क्योंकि जहां विशेषाधिकार कमेटी की रिपोर्ट यह होती है कि उसके खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं हुई तो फिर उसके बारे में कोई लम्बी बहस नहीं होती है क्योंकि सदन को शौक नहीं है कि ऐसी बात पर कोई बहस करे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट मंजूर की जायगी।

श्री हरगोविन्द पन्त--मैं अब कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के दिनांक १५ अक्टूबर, सन् १९५१ ई०, के प्रतिवेदन के पैरा ११ से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष--अब "ब्लिट्ज" साप्ताहिक द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

कब्ल इसके कि मैं माननीय उपाध्यक्ष को इसके मुताल्लिक प्रस्ताव पेश करने के लिये कहूं मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इस आदरणीय सदन को इस बात की इत्तिला दूं कि श्री होमी दीनशा मिस्त्री, जिनके खिलाफ इस आदरणीय सदन ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, बम्बई से गिरफ्तार होकर यहां लाये गये थे और उनको आज यहां पर पेश किया जाने वाला था। कल सुप्रीम कोर्ट के हुकुम से उनको रिहा कर दिया गया था और इसके साथ ही मैंने उनको एक नोटिस दिया था जिसमें इस बात की उनको सूचना दी गई थी कि यह प्रश्न आज इस आदरणीय सदन के सामने लाया जायगा और यहां उनको मौका होगा कि वह अपनी सफाई या जो भी वह इसके मुताल्लिक कहना चाहें वह यहां आकर कहें लेकिन मुझे यह इत्तिला देनी है कि वह इस आदरणीय सदन में नहीं आये हैं। इसलिये बदरजहा मजबूरी जो भी कार्यवाही हम करेंगे उनकी अदम मौजूदगी में ही वह कार्यवाही करनी होगी।

श्री खुशवक्त राय--मुझे इस संबंध में भी वही आपत्ति उठानी है और मेरी इस पर भी वही वैधानिक आपत्ति नोट कर ली जाय।

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य की इसी तरह की वैधानिक आपत्ति पर आज ही निर्णय दे चुका हूं। इसलिये फिर उसी आपत्ति पर कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं समझता।

श्री हरगोविन्द पंन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर जिस के अनुसार बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना की गई है यह सदन विचार करे।

मैं संक्षेप में इस संबंध में सदन के सामने यह कहना उचित समझता हूं कि यह मामला "ब्लिट्ज" साप्ताहिक पत्र जो बम्बई से छपता है उसके २९ सितम्बर, सन् १९५१ के सफ़ा २ पर छपा हुआ है। यह अखबार बम्बई में छपता है और उस के काफी ग्राहक उत्तर प्रदेश में हैं और

वह यहां पढ़ा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस अखबार के मजमून को देखते हुये और इस मामले में इस भवन का अपमान समझते हुये इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष उस के निर्णय और राय के लिये भेज दिया था। उस लेख का शीर्षक अंग्रेजी में छपा था कि "यू० पी० स्पीकर वीटोज डिसकशन आन "ब्लिट्ज" "इन असेम्बली" विशेषाधिकार समिति ने इस लेख पर अच्छी तरह से विचार किया और जिन शब्दों को उसने आपत्तिजनक समझा वह शब्द इस तरह से है--

"U. P. Speaker vetoes discussion on Blitz.

It is an open secret that instead of trying to set up healthy parliamentary traditions he (Nafisul Hasan) is looking to Pant for guidance in his decisions."

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने ब्लिट्ज पर चर्चा करने की आज्ञा नहीं दी।

यह एक स्पष्ट बात है कि वे (श्री नफीसुल हसन) निरुपाध संसदीय परम्परायें स्थापित करने का प्रयत्न करने की अपेक्षा अपने विनिश्चियों में पन्त के इशारों पर चलते हैं।]

यह शब्द खास तौर पर इतने अपमानजनक हैं कि इनके विषय में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इन शब्दों के विषय में जो कुछ वह कहना चाहते हों, इसका उत्तर देने और सफाई दाखिल करने का उन्हें नोटिस देकर पूरा मौक़ा दिया गया लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं हुये। विशेषाधिकार समिति ने अपना निर्णय दिया है कि यह लेख न केवल इस सदन के आदरणीय स्पीकर महोदय का अपमान है बल्कि सारे भवन का अपमान है। इसी के लिये आज फिर इस सदन के सामने प्रकाशक और प्रिण्टर को बुलाया गया था और आशा यह थी कि शायद वह अपनी सफाई भवन के सामने उपस्थित करें। कल शाम तक उनका मौजूद होना सिद्ध ही है और यह आशा होती थी कि वह शायद अपनी सफाई सदन के सामने आज उपस्थित करें। उनका सब से हाल का अंक जो छपा था उसमें यह कोशिश की गई थी और उसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपने यहां के संवाददाता के द्वारा कुछ सफाई भवन के लिये भेजी थी पर उनके चुनाव में पड़े रहने के कारण उन तक नहीं पहुंच पाई और वह कहां चली गयी इसका अभी पतानहीं है। जो भी हो, वह आज इस सदन के सामने उपस्थित नहीं हैं। माननीय सदस्यों न इरिपोर्ट पर विचार भी किया होगा और अब प्रस्ताव है कि इस पर पूरे तौर पर विचार किया सजाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जो प्रस्ताव मेरे मित्र माननीय उपाध्यक्ष जी ने पेश किया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के नियम १७३(६) के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करूंगा कि इस प्रतिवेदन पर विचार स्थगित किया जाय। मेरा मंशा यह है, जैसा मैंने अभी दूसरे सिलसिले में कहा था, विशेषाधिकार के प्रश्न पर इस आदरणीय सदन को काफी सजग रहना चाहिये और साथ ही साथ बड़ी होशियारी से काम करना चाहिये। मुझे भय है कि जहां इस मामले में काफी सजगता बरती गयी जाहिरा जो उस अखबार में निकला और हमारे सामने आया उससे मेरे दिमाग़ में तनिक भी इस बात का संदेह नहीं है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। उसमें अध्यक्ष पर बिलकुल साफ़ साफ़ लांछन लगाया गया है। यह कहा गया है कि वह इस प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टिर की तरफ देखते हैं और उनके इशारे से काम करते हैं। लेकिन प्रिविलेजेज के मामले में जो कार्यवाही करने के हमारे नियम हैं उनकी पाबन्दी करना हमारे लिये बहुत जरूरी है। हमारे यहां के प्रिविलेजेज के मामले में जो क़ायदे हैं वे क़ानून हैं इस प्रदेश के। "They form part of the law of the land." (वे प्रदेश की विधि के भाग हैं।) और इस आदरणीय सदन का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उसके प्रिविलेजेज की कहां अवहेलना हुई है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन साथ ही साथ इसको भी नहीं भूलना चाहिये कि यदि हमारे नियमों की कहीं जरा भी अवहेलना हुई तो फौरन् अदालत बीच में आ जाती है। इस मामले में हमने यह देखा भी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुकुम

[श्री त्रिलोकी सिंह]

दे दिया हालां कि वह हमारे वारंट पर यहां गिरफ्तार करके लाये भी जा चुके थे। मामला उठ गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन (क्षेत्राधिकार से बाहर होने) का। वह यह था कि आया इस आदरणीय सदन को कार्यवाही करने का अधिकार है उनके खिलाफ भी जो इस प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं। प्रोरोगशन (सत्रावसान) पर श्रीमन् ने अभी अपना फैसला दिया है, उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह हालत न हुई होती यदि एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) ने कमेटी को अपनी राय दी होती जो उनसे मांगी गई थी। मुझे इस बातका और भी दुख है कि सरकार ने भी इस सिलसिले में कोई सहयोग कमेटी को नहीं दिया। कमेटी की रिपोर्ट में मैं लिखा पाता हूं कि सरकार को भी चिट्ठी भेजी गयी ऐडवोकेट जनरल की राय के संबंध में लेकिन सरकार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे देशों में और विलायत में, अमरीका में जहां कहीं भी प्रिविलेजेज़ का प्रश्न आता है यदि सरकार के अफसरान पार्लियामेंट या असेम्बली को वहां सहयोग न दें तो जाहिर है कि कार्यवाही के चलाने में पूरी सफलता नहीं होती। हमें दुख है कि इस प्रदेश की सरकार ने भी इस सिलसिले में लापर्वाही बरती। मुझे यक़ीन है कि अगर इस प्रदेश के ऐडवोकेट जनरल की राय कमेटी को हासिल हो गयी होती तो कमेटी अपना एक दूसरा रुख अख्तियार करती।

मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश है। हमें यह भी मालूम हुआ, श्रीमन्, आपके द्वारा कि बावजूद इसके कि मिन्त्री साहब को कल हुक्म दिया गया था कि आज मामला यहां पेश है लेकिन उन्होंने यहां आने की जहमत गवारा नहीं की। हमको यह भी मालूम है कि इस सिलसिले में जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह यह है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाय, कारावास का दंड दिया जाय। मैं यह निवेदन करूं कि पिछले १०० वर्षों के अन्दर हाउस आफ़ कामन्स में किसी व्यक्ति को भी विशेषाधिकार की अवहेलना में कारावास का दंड नहीं दिया गया हालांकि अधिकार उनको है और इस आदरणीय सदन को भी है। तो कमेटी की ऐसी सख्त रिपोर्ट के बाद एक तरफ तो उनका निश्चित मत है और दूसरी तरफ़ अदालत की काट पेंच है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि इस पर विचार स्थगित किया जाय। विशेषाधिकार की अवहेलना में इस आदरणीय सदन का कर्त्तव्य है कि अपने मान और मर्यादा को क़ायम रखने के लिये जो भी उचित कार्यवाही हो उसको अमल में लाये। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि एक असेम्बली में एक पार्लियामेंट में जो उसके विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो दूसरे सेशन में भी उस पर कार्यवाही की जा सकती है। यह नहीं है कि आज यह असेम्बली खत्म हो जाय तो जो नई असेम्बली मई मास में बनेगी उसमें इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठा कर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हाउस आफ़ कामन्स में ऐसा तरीक़ा है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इसकी मिसालें दी गयी हैं--

"Contempts Committed during one Parliament were punished by another Parliament."

(एक संसद् की कालावधि में कृत अवमान का दूसरी संसद् की कालावधि में दंड दिया गया।) इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर कोई जल्दी नहीं होनी चाहिये। लीगल ओपीनियन (विधिक अभिप्राय) के अभाव में कुछ ऐसी कार्यवाही हो गयी कि सुप्रीम कोर्ट के लिये यह मौक़ा हुआ कि वह इस आदरणीय सदन की आज्ञाओं के निफ़ाज होने के बीच में दख़ल दें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज इस प्रश्न पर विचार स्थगित किया जाय।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां---जनाबवाला, लीडर आफ़ दि अपोज़ीशन ने जो तक़रीर अभी खत्म की है मुझे उनसे पूरा इत्तफ़ाक़ है। मुझे भी अफ़सोस होता है यह मालूम करके जब मैं यह देखता हूं कि विशेषाधिकार कमेटी ने जब यह चाहा कि क़ानूनी तरीक़े से पूरा इत्मिनान हासिल कर लिया जाय और ऐडवोकेट जनरल की राय हासिल की जाय और उसके ऊपर गवर्नमेंट से दरख्वास्त की गयी कि वह क़ानूनी राय हासिल करने में मदद दें, लेकिन यह देखकर कि वह सलाह उनको हासिल न हो सकी यक़ीनन यह चीज़ क़ाबिल अफ़सोस है। उसी के

साथ साथ म उनके एक एक लफ्ज से इत्तफ़ाक़ करता हूं कि इस हाउस की इज्जत और अजमत को क़ायम रखने के लिये हमें हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिये और कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे इस हाउस की इज्जत में फ़र्क़ आये। बेशक जबकि मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अन्दर ऐसी मिसाल मौजूद है, जिसकी बहुत सी मिसालों पर हम अमल करते हैं, कि अगर एक पार्लियामेंट का ज़माना खत्म हो गया है तो उस मसले को दूसरी पार्लियामेंट में लें और उसके ऊपर अपनी राय को दें तो मेरी राय बिल्कुल यही है कि इस मामले की अहमियत को देखते हुये, इस चीज़ को देखते हुये कि इसके कितने फार रीचिंग अफेक्ट (दूरगामी प्रभाव) हैं, अगर इसका फैसला इस वक्त वैधानिक राय न होने की वजह से मुमकिन नहीं है तो यकीनन आइन्दा जो असेम्बली का इजलास हो उसमें इस मामले पर पूरे गौर और फिक्र के बाद फैसला किया जाय।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह प्रस्ताव किया है कि इस पर विचार किया जाय और माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी ने यह संशोधन किया है कि इसका विचार स्थगित किया जाय। समिति की रिपोर्ट हमारे सामने है। इस मसले पर कोई हम अंतिम निर्णय करें उसके पहले मैं यह जरूर चाहता हूं कि इन तमाम बातों के दौरान में जो कुछ चीजें हमारे सामने आ गयी हैं और उससे जो पेचीदगी पैदा हो गई है और इस वक्त जो हमारी स्थिति है इस सब पर पहले गौर कर लिया जाय।

जिस समय यह मामला पेश हुआ अध्यक्ष जी ने उसको समिति के सामने सुपुर्द किया, समिति ने तमाम विचार करने के बाद अब भवन के सामने पेश किया है कि हम उस पर क्या करें। इस बीच में हमने देखा कि अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया और वह गिरफ्तारी के चंगुल से निकल भी गया। अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि अपमान हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारी कार्यवाही बिलकुल गैर क़ानूनी थी। हम अभी इसका फैसला कर भी न पाये थे कि उन्होंने अपमान किया या नहीं, इसका फैसला पहले हो गया कि हमने जो कुछ किया वह बिलकुल ग़लत किया। अध्यक्ष महोदय, सच मानिये, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इस वक्त हालत क्या है, इस वक्त मैं निर्णय करने वाला हूं या अपराधी हूं। मुझे काम सौंपा गया था कि मैं निर्णय करूं कि ब्लिट्ज ने ग़लती की है या नहीं लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि भवन ने ऐसे ढंग से गिरफ्तारी कराई कि वह खुद ही गैर क़ानूनी बात हो गई लेकिन फिर भी मुझे चाहे अभियुक्त समझें, चाहे न्यायाधीश समझें, जो कुछ भी हमारे सामने स्थिति है उस पर हमें स्पष्ट दृष्टि से विचार करना है।

सब से पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट हमको दी गयी है, इस पर लिखा हुआ है, गोपनीय। यह "कांफीडेंशल" रिपोर्ट है। गवर्नमेंट अपनी इस रिपोर्ट को कांफीडेंशल (गोपनीय) समझती है और भवन के अन्दर सब को यह वितरित कर दी गयी है और मैं यह देखता हूं कि बाहर भी इसकी खूब चर्चा होने लगी है। तो ऐसी हालत में जब कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव पेश करते हैं कि इस गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाय तो सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि यह रिपोर्ट गोपनीय है या यह बिलकुल खुली हुई है। अगर इसको हम मान भी लेते हैं कि गोपनीय थी तो अब नहीं रही और वह हमारे सामने है और उस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष—यह कमेटी की कार्यवाही थी मेम्बरान की इत्तिला के लिये, इसलिये उसे गोपनीय लिखा गया था। रिपोर्ट का हिस्सा गोपनीय नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री—मेरी अपनी राय यह है कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट·····

माननीय अध्यक्ष—इसमें गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। यह असेम्बली सेक्रेटेरियट से आई है।

श्री राजाराम शास्त्री—बहुत अच्छा, लेकिन जब मैं अखबारों को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि बम्बई के अखबारों में भी इसके कोटेशन (उद्धरण) आ रहे हैं । यह गोपनीय रही नहीं, यह सही बात है ।

किसी बात को करने के पहले अदालत यह करती है कि वह मुद्दई और मुद्दाइलय दोनों की बात सुनती है और उसके बाद अदालत फैसला करती है कि क्या निर्णय देना चाहिये । हम ऐसी चीज का फैसला देने बैठे कि न अभियुक्त हमारे सामने आया और न उसकी कोई बात ही हम सुन पाये । खैर, दुर्भाग्य है कि हमने कोशिश काफी की, लेकिन अभियुक्त चंगुल में नहीं आया । दोनों रिपोर्ट के पढ़ने से एक बात का फर्क मालूम पड़ा । जिन रिपोर्टों के संबंध में अभी हमने बहस की थी चन्द्रभानु गुप्त जी के बारे में और इसमें दोनों में एक अन्तर मालूम पड़ता है । उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो दोनों लड़ने वाले फ़रीक़ थे उन दोनों को बुलाया गया था लेकिन इस रिपोर्ट में मुझे ऐसा मालूम होता है कि समिति ने ब्लिट्ज के सम्पादक को तो बुलाया था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय को जिनका अपमान किया गया और जिनकी बात भी समिति को सुननी चाहिये थी उनको समिति के अन्दर नहीं बुलाया गया था । ऐसा रिपोर्ट के देखने से मालूम होता है । खैर, समिति ने बुलाया हो या न हो । उनका मान और अपमान हमारे भवन का मान और अपमान है और इसलिये हमें केवल इसी बात पर विचार करना है कि जो कार्यवाही हमने की या ब्लिट्ज के सम्पादक ने जो कार्यवाही की वह कहां तक जायज है । कोई अभियुक्त जब मुसीबत में पड़ता है तो अपने वकील को बुलाता है और हुकूमत जब मुसीबत में पड़ती है तो अपने ऐडवोकेट जनरल को बुलाती है ।

इस मामले में यक़ीन मानिये सारी रिपोर्ट पढ़ जाइये मुझको तो अपनी समिति की दयनीय दशा पर तरस आया । तरस इस माने में आता है कि काम बड़ा गम्भीर है, समिति चाहती है, कि जल्द से जल्द कोई फैसला हो, ऐडवोकेट जनरल को बुलाया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं । अगर ऐडवोकेट जनरल की हैसियत से मेरी राय मांगते हैं तो क़ानून विभाग की तरफ से मांगिये और अगर प्यारे लाल बनर्जी के नाम से मांगते हैं तो आप मेरी फीस अदा कर दीजिये । यह बात भी इस रिपोर्ट के अन्दर लिखी हुई है । हमारी समिति ने इसे आवश्यक समझा कि इस भवन की एक कमेटी जिसके हाथ में इस भवन के मान और अपमान का प्रश्न सौंपा गया वह अपने ही ऐडवोकेट जेनरल से राय मांगे कि इस मुसीबत के वक्त हमारी मदद करो तो ऐडवोकेट जनरल कहते हैं कि आप फीस लाइये तब मदद की जाय । हमारी कमेटी के मेम्बरों को गुस्सा आया और उसने कहा कि ब्लिट्ज के रिपोर्टर को भी समन (आहूत) किया जाय, ब्लिट्ज के सम्पादक को भी समन किया जाय और ऐडवोकेट जनरल को भी समन किया जाय । हमारी कमेटी का गुस्सा बिलकुल जायज था । लेकिन मुझे अफसोस यह लगता है कि कमेटी को गुस्सा तो जायज आता है लेकिन वह अपने को इतना कमजोर पाती है कि किसी तारीके से वह अपने गुस्से को काम में नहीं ला पाती । ऐडवोकेट जनरल ने राय नहीं दी । कमेटी को क्रोध आया । उसने हुकूमत को लिखा कि ऐडवोकेट जनरल ने राय नहीं दी । हुकूमत को देखिए कि चिट्ठी का जवाब ही नदारद । अब जरा सोचिये कि हमारी समिति बेचारी करे तो क्या करे ? ऐडवोकेट जनरल साथ नहीं देता, हुकूमत साथ नहीं देती । मुझे सारी कार्यवाही को पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि समिति यह महसूस कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके और जितना सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जा सके लिया जाय और ब्लिट्ज के सम्पादक को जेल की हवा खिला दी जाये । इधर ऐडवोकेट जनरल यहां फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिये । हुकूमत चिट्ठी का जवाब नहीं देना पसंद करती । ऐसा मालूम पड़ता है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त । समिति कहती है कि ऐडवोकेट जनरल को जल्दी से बुला लो हुकूमत जवाब देना पसन्द नहीं करती नतीजा यह है कि समिति का जो हाल होना चाहिये वही हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बड़े अफ़सोस के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि समिति बेचारी को जब कोई राय देने वाला न मिला तो अपनी अक्ल से उसने

काम लिया। जल्दबाजी में जो काम होता है वह कभी अच्छा नहीं हुआ करता। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी की। इस मामले में, इस मुसीबत के वक्त जितनी जल्दबाजी हो सकती थी उतनी हमारी हुकूमत ने की। पुलिस को भेजा और जितने तरीके हो सकते थे बुलाने के वह किये गये। लेकिन इस मौके पर यह बात भी कहनी पड़ेगी कि हमारी नियत बिल्कुल साफ थी कि ब्लिट्ज के सम्पादक के साथ हम कोई अपमानजनक बर्ताव करने के लिये तैयार नहीं हैं और मैं समझता हूं कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति मानेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ब्लिट्ज के सम्पादक को जितना आराम दिया जा सकता था वह दिया गया। एक आदमी जिसको हुकूमत समझती है कि उसने माननीय सदन का अपमान किया हो, उसको कार्लटन होटल में ठहराया गया और ठहराया भी एक दो दिन के लिये नहीं, बल्कि पूरे एक हफ्ते तक।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं बार बार कि "जिसको हुकूमत समझती है"। हुकूमत से क्या ताल्लुक इन बातों से? अगर कोई गिरफ्तारी की गयी तो वह इस माननीय सदन के हुकुम के मुताबिक और उसकी विशेषाधिकार कमेटी के हुक्म के मुताबिक। हुकूमत का नाम क्यों लिया जा रहा है?

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत बड़ी गलती मेरी दुरुस्त कर दी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह दोबारा गलती कभी न हो। मैं सदन का नाम लूंगा।

तो सदन की तरफ से जितना आराम दिया जा सकता था उतना आराम उनको दिया गया। मैं इस बात को केवल इसलिये कहता हूं कि आज जब सारे देश में इस बात का शोर मचा हुआ है कि गिरफ्तारी चोर और डकैतों की तरह से की गयी, गलत ढंग से की गयी, तो कहीं हमारे सदन के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन (आक्षेप) न आ जाय, इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जहां तक इस सदन का ताल्लुक था आपने काफी आराम दिया। लेकिन इस बात को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से गिरफ्तारी बम्बई में की गयी और जैसा बर्ताव पत्र के सम्पादक के साथ किया गया वह चोर और डकैत के साथ भी नहीं किया जा सकता था। गिरफ्तारी की जा सकती थी, कोई उन्होंने चोरी नहीं की थी कोई डकैती नहीं की थी। अखबार में कोई चीज छपी उसके लिये गिरफ्तारी जरूरी थी, उनको आना चाहिये था, मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की गयी कि सुबह का वक्त था जब कि दुनिया सो रही थी तब जा कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उनको कपड़े तक नहीं लेने दिये गये। अभी कई रोज पहले जो उनकी माता विधवा हुई थीं उनसे मिलने की प्रार्थना उन्होंने की कि मिलने का मौका दे दिया जाय लेकिन पुलिस ने उनको मौका नहीं दिया। बिना उनको माता से मिलाये हुये, बिना उनको जरा सा वक्त दिये हुये मोटर में बिठाकर रवाना कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अफसोस और कुछ अपमान सा मालूम होता है यह कहते हुये कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई, अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में.....

श्री फ़ख़रुल इस्लाम--एक बात पूछना चाहता हूं कि यह जो अफसर गये थे, किस गवर्नमेंट के अफसर गये थे?

श्री राजाराम शास्त्री--लीजिये यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है! यह सवाल किसी वकील ही का हो सकता है। मैं यह कह रहा था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत का जमाना होता और इस तरह की गिरफ्तारी की गयी होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उधर के बैठने वाले एक एक व्यक्ति जमीन आसमान एक कर देते। लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत में जिसके संविधान में दुनिया के सामने ऐलान किया गया है कि व्यक्ति की हम प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी स्वतंत्रता की हम इज्जत करते हैं, उसके साथ आज इस तरह का व्यवहार होता है और इस प्रकार से गिरफ्तारी होती है। मुझे अफसोस है कि अभी तक उस गिरफ्तारी के बाद सारे देश के अन्दर जिस तरह की आवाज उठनी चाहिये थी, एक जाग्रत नागरिकों की तरह से आवाज उठनी चाहिये थी कि यह तरीका गलत है, वह नहीं हो सका। पर मुझे अफसोस है कि इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं साफ कहना चाहता हूं कि ब्लिट्ज के सम्पादक

[श्री राजाराम शास्त्री]

ने हमारे अध्यक्ष को जो अपमानजनक शब्द कहे हैं उसके लिये मैं बेशक ब्लिट्ज की निन्दा करता हूं । लेकिन साथ ही साथ हमारे वारंट के बाद जिस तरीके से ब्लिट्ज के सम्पादक की गिरफ्तारी की गयी उसकी भी मैं निन्दा करता हूं । सदन क्या करेगा मैं नहीं जानता ।लेकिन मैं ईमानदारी के साथ समझता हूं कि हमारा गौरव इसी में है कि सदन को भी यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि बेशक हमारी यह मंशा नहीं थी और ब्लिट्ज के सम्पादक की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गयी है वह गलत है। हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से उनकी गिरफ्तारी की जाय। जिस तरह से कभी पहले विचार करते वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे माननीय सदन का गौरव तभी बढ़ सकता है जब हम इसका अपमान बरदाश्त न करें । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस सदन का गौरव तभी बढ़ सकता है जब हमारा कोई अपमान न कर सके । लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे की भी इज्जत करें। हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि हमारा कोई दूसरा अपमान करे। लेकिन हम यह भी बरदाश्त नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से किसी तरीके से किसी व्यक्ति का अपमान किया जाय । उन्होंने माननीय अध्यक्ष के लिये जो अपमानजनक शब्द लिखे उसकी मैं निन्दा करता हूं लेकिन हमारे वारण्ट को जिस तरीके से लागू किया गया एक व्यक्ति की जिस तरीके से बेइज्जती की गयी मैं समझता हूं कि वह भी गलत बात है और अगर भवन सम्पादक को सजा देना स्वीकार करता है तो उसके साथ ही साथ भवन को यह भी स्वीकार करना चाहिये कि हमारे वारंट पर जो गिरफ्तारी की गयी, वह गलत है उस पर हमें अफसोस है क्योंकि अब सवाल यह उठता है कि हमारे लिये रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सख्त से सख्त सजा दी जाय। जेल खाने की हवा खिला दी जाय। मैं ऐसे मौके पर केवल एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को जेल खाने की हवा खिला कर या फांसी के तख्ते पर लटका कर किसी का बड़प्पन नहीं बढ़ सकता है। महात्मा गांधी का जीवन हमारे सामने है। बड़े से बड़े अपराध तक को सुधारने का उन्होंने एक ही तरीका सीखा कि उदारता से भी दंड दिया जा सकता है। वह कारागार के और फांसी के ढंग से कहीं महत्वपूर्ण और उच्च हुआ करता है। दुनिया की तवारीख हमें यह सिखाती है कि चाहे आप किसी को फांसी पर लटका दें, या चाहे जेलखाने की सजा ही क्यों न दें उससे कभी दुनिया की बुराइयां दूरनहींहोंगी।

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि-मंत्री)—प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। प्रस्ताव विरोधी दल के नेता का यह था कि आज इस विषय पर विचार स्थगित कर दिया जाय और माननीय सदस्य का जो व्याख्यान हो रहा है वह उन का उपदेश हो रहा है या सेल्फ कंडेमनेशन कहा जा सकता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है उस का वह समर्थन कर रहे हैं या उसका वह विरोध कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि उस नियम के अनुसार, जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, बहस बहुत संक्षेप में होनी चाहिए । आप जो कुछ कह रहे हैं बहुत लम्बा हो गया है, मुख्तसर होना चाहिये । इसलिये उस नियम की अवहेलना है।

माननीय अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि इस वक्त एक प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्ष का है। उस का एक संशोधन है कि इस पर विचार स्थगित किया जाय और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार कर लिया जाय। तो इस वक्त जो बातें माननीय सदस्य कहते हैं गालिबन जब यह प्रस्ताव मंजूर हो जायगा कि इस पर विचार किया जाय तो यह ज्यादा अच्छा होगा। असल प्रश्न यह है कि इस पर विचार किया जाय या स्थगित कर दिया जाय । इस का निर्णय हो जाने के बाद उसकी तफसील में जाने की जरूरत होगी।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह चाहा था कि प्रस्ताव और संशोधन दोनों की बात जरा सामने रख दी जाय और आखिर में मैं यह कहूं कि मेरी राय क्या है। समर्थन में दोनों ही चीजें भवन के आगे रखने के बाद मुझे जरूर इस बात का अफसोस है कि माननीय कृषि मंत्री की समझ में यह बात नहीं आ रही है कि मैं प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं या संशोधन के पक्ष में बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष--वह तो मैंने आपको बतला दिया कि जो असल प्रश्न है उसी पर आप बोलें।

श्री राजाराम शास्त्री--हां, उसी पर मैं बोल रहा हूं। यह जरूरी नहीं है कि हर चीज को पहले ही कह दिया जाय। मैं चाहता था कि पहले समझा दिया जाय, फिर कहा जाय कि मेरी क्या राय है। मेरा ख्याल यह है कि माननीय मंत्री महोदय समझने की गलत कोशिश करते हैं। यकीन मानिये कि उनकी समझ में शतिया आ गया होगा। अब तो बहस सिर्फ इसी बात पर होगी कि इस पर विचार किया जाय या न किया जाय। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि एक सही काम को गलत ढंग से किया गया है। इसकी सजा किसको मिलनी चाहिये। जो गलत काम करे उसको मिलनी चाहिये। इसलिये जहां तक उस चीज का ताल्लुक है कि हमारे सदन का और माननीय अध्यक्ष का अपमान हुआ इस पर जब बहस होगी तब मैं कुछ कहूंगा।

इस वक्त तो यह चीज चल रही है कि आया हम इस पर इस वक्त विचार करें या न करें जब अभियुक्त मौजूद नहीं है और कटघरा खाली है। ऐसे मौके पर यकीन मानिये कि इस बात की जरूरत है कि हम लोगों को इस बात की जानकारी हो जाय और माननीय अध्यक्ष महोदय आप सख्त से सख्त स्टेप्स (क़दम) लीजिये कि हमने जो सही क़दम उठाया था उसमें कौन सा व्यक्ति भवन में है जिसके गलत काम की वजह से भवन को अपमानित होना पड़ा। अगर उसका पता लग जाय तो उसी को उस कटघरे में रखा जाय। हमने जो सही निर्णय किया था उसमें उसके गलत काम की वजह से हमें अपमानित होना पड़ा। मामला सारे देश के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हम जल्दबाजी की वजह से फंस गये। अब हम कोई ऐसी गलती न कर बैठें जिससे दुबारा अपमानित होना पड़े। मुझे ऐसा खतरा लगता है इसलिये मैं, संशोधन के पक्ष में हूं। उस रोज जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की गयी थी और उसी समय प्रस्ताव भी पास कर दिया गया हम लोगों को पता तक नहीं लगा। ऐसी हालत में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिये। आप, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष भी हैं और अच्छे नामी गरामी वकीलों में से भी हैं। आप ऐसा काम कीजिये जिससे अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन आयंदा कोई गलती न हो जिससे भवन को अपमानित होना पड़ें। मुझे पूरी आशा है कि इस पर माननीय अध्यक्ष ध्यान देंगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ मैंने कहा है उस भवन भी समझ गया होगा और माननीय कृषि मंत्री भी समझ गये होंगे।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इस भवन में विचार विनिमय हो रहा है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए इस भवन के माननीय सदस्य श्री राजाराम शास्त्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो इस भवन की मर्यादा के विरुद्ध थीं। जो प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है उसके पढ़ने से यह साफ प्रकट होता है कि ब्लिट्ज के सम्पादक को प्रिविलेजेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की तरफ से बुलाया गया लेकिन उसकी अवहेलना की गई। उनसे जिस प्रकार की सहायता की आशा की जाती थी उस जांच के सम्बन्ध में वह उनसे नहीं मिली। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई मसलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि ब्लिट्ज के सम्पादक के साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। जो काम प्रिविलेजेज कमेटी के सुपुर्द हुआ था उसमें कोई संदेह नहीं कि वह इस माननीय सदन के स्पीकर महोदय के विरुद्ध जो आक्षेप किया गया था वह उस भवन के ऊपर एक आक्षेप था और भवन की शान के खिलाफ था। इसमें संदेह नहीं कि ब्लिट्ज के सम्पादक ने इस सदन की शान और प्रतिष्ठा का ध्यान

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

न रखते हुए अपने अखबार में जो कुछ लिखा वह उचित नहीं था। ऐसी सूरत में जो कार्यवाही इस सदन के द्वारा की गई, उन्हें गिरफ्तार कराया गया वह तो नियम के अनुसार और जैसी हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस है उसके अनुसार उचित ही थी। इस भवन को यह अधिकार है कि नियम के अन्तर्गत और हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस के अन्तर्गत वह गिरफ्तारी का वारंट भेज सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टिट्यूशन की अनुच्छेद २२ केअन्तर्गत उसेछोड़ने का आर्डर दे दिया। अनुच्छद २२ के प्रथम खंड में यह लिखा हुआ है—

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice."

[कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसी बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायगा।]

इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जो गिरफ्तारी की गई वह अवैधानिक की गई थी, अथवा इस माननीय सदन ने जो अधिकार का प्रयोग किया वह किसी मानी में गलत था। गलती केवल इतनी ही थी कि गिरफ्तारी के बाद किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया गया।

यह भी एक प्रश्न है लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिये था इसलिये उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु इस भवन के माननीय स्पीकर द्वारा उन्हें रिहा करते हुए एक यह नोटिस भी दिया गया कि आज आपके मामले पर विचार होगा और उसके द्वारा उन्हें भवन में उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया। यद्यपि वे रिहा हो गये थे, लेकिन फिर भी आज वे इस भवन के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं और जब कि इस मसले पर उनके संबंध में यहां चर्चा हो रही है, उन्हें अपनी बातें कहने का मौका था। ऐसी सूरत में उन्हें अवश्य उपस्थित होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि चूंकि वे आज उपस्थित नहीं हुए हैं इसलिये इस भवन को यह अधिकार है कि वह उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करे या न करे इस पर वह विचार कर सके। इसके साथ ही साथ इस भवन के बहुत जल्द डिजोल्व (विघटित) होने का भी प्रश्न है।

नियमावली के अन्तर्गत अगर हम आज ब्लिट्ज के सम्पादक के विरुद्ध दंड का प्रस्ताव करें तो उसमें भी एक कठिनाई यह होती है कि हाउस जब डिजोल्व हो जायगा और अगर हम कारावास के दंड का निर्णय करते हैं तो वह अमल में भी आ सकेगा या नहीं और अगर आ सकेगा तो कितने दिन और कितनी अवधि के लिये वह हो सकता है। ये सब कठिनाइयां हैं। माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस प्रतिवेदन को स्थगित करने का संशोधन पेश किया है। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अब स्थगित करने के बाद अगली नई असेम्बली में फिर इस प्रतिवेदन पर विचार हो सकेगा या नहीं। हमें इस बात को भी सोचना होगा। मामला इतना आगे बढ़ चुका है और प्रिविलेजेज कमेटी के सदस्यों की राय इतनी अहमियत रखती है तथा और भी जो कार्यवाही हुई है उसको देखते हुए हमें एक निश्चय पर पहुंचना है कि इस भवन के मान की रक्षा किस प्रकार से हो। इसमें संदेह नहीं है कि जितनी पहिले कार्यवाही हुई है उससे यह बात तो स्पष्ट ही है कि ब्लिट्ज के संपादक ने जो अवहेलना की है नोटिस की तामील की गई और उसकी भी आज अवहेलना की है, उसके द्वारा उसने भवन के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस

पहुंचाई है और उनके ऐसा करने की मंशा है। ऐसी स्थिति में मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस भवन को उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये।

जहां तक कारावास में भेजने के अधिकार की बात है हाउस आफ कामन्स में इसकी प्रेक्टिस है। इसके अतिरिक्त हमें फाइन (अर्थ दंड) करने का अधिकार हो तो उस पर भी विचार करना है लेकिन अगर जुरमाना करने का कोई ऐसा नियम नहीं है और केवल कारावास के द्वारा ही दंड देने का अधिकार है तो उस समय एक कठिनाई यह भी आ जाती है कि यदि हम इस समय यह निर्णय दें तो क्या हमें उन्हें गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जनाबवाला, इस वक्त सजा के बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सवाल तो यह है कि आया इस पर विचार किया जाय या नहीं।

माननीय अध्यक्ष--उसी पर विचार करने के लिये तो वे कह रहे हैं कि उस वक्त विचार कर सकते हैं या नहीं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस भवन को तो यह अधिकार है कि उनको फिर से गिरफ्तार करा लें और उन्हें कारावास का दंड दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे कोई बाधा नहीं पहुंचती कि हम उन्हें फिर गिरफ्तार करा सकें। वह तो केवल इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उन्हें २४ घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस (उपस्थित) नहीं किया गया। अगर हम इस निर्णय पर पहुंचें कि उन्हें कारावास का दंड देना चाहिये तो फिर उन्हें गिरफ्तार करा सकते हैं और उन्हें दंड दिया जा सकता है। लेकिन कठिनाई जो कुछ है वह यह है कि गिरफ्तारी कराने और इस हाउस के डिजाल्व (विघटित) हो जाने पर फिर किस प्रकार उस पर अमल हो सकेगा। इसलिये इस कठिनाई को देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि नया हाउस जो आने वाला है, अगर उसमें हम फिर इस प्रतिवेदन को उपस्थित कर सकें तो अवश्य हमें आज इस प्रश्न को मुल्तवी कर देना चाहिये और इस सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्य या स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगला अधिवेशन जो आने वाला है अगर उसमें हम इस पर विचार कर सकते हैं, तब इसको स्थगित कर देना चाहिये।

श्री नवाजिश अली खां--अध्यक्षम महोदय, मैं ११ बजे से बैठा तमाम हाउस की प्रोसीडिंग्स को बड़े ग़ौर से वाच (निरीक्षण) कर रहा था कि यह कार्यवाही जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसका रिएक्शन (प्रतिक्रिया) इस हाउस में क्या पड़ता है, और किस किस्म की कार्यवाही हम इस हाउस में करते हैं। लेकिन इस दौरान में आज बाज तकरीरें ऐसी हमारे हाउस में हुई कि जिसने मुझको मजबूर कर दिया कि मैं इस वक्त आराम से न बैठूं, बल्कि इस वक्त मैं खुद अपना प्रोटेस्ट पेश कर दूं। इस वक्त यह केस जो हमारे सामने पेश है वह हिन्दुस्तान में अपनी नाइयत का पहला केस है और यह महज एक टेकनिकल प्वाइंट है जो किसी गलती से छूट गया है। इसमें कोई मेरिट की बात नहीं है। लेकिन यहां पर इस किस्म की तकरीर करना कि कटघरा ऐसे ही रह गया या यह हो गया यह ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि आज हम लोगों के सामने यह पहला केस आया है और हमारे हर नक्ल व हरकत को पूरे तौर पर तमाम मुल्क में वाच किया (देखा) जा रहा है। इस तरह की तजलील व तहदीक तकरीरें करके इस भवन की प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) को मेरे ख्याल में हम बढ़ाने के बजाय उसे और कम कर रहे हैं। यह रिजोल्यूशन ६ तारीख को पास हुआ। जिस दिन यह रिज्योल्यूशन पास हुआ क्या उस दिन माननीय सदस्य की आंख नहीं खुली? क्या एक मिनट के अन्दर ही रिज्योल्यूशन पास हो गया? अगर उनको ६ तारीख को पता नहीं हुआ तो ७ तारीख को उसे मालूम कर सकते थे या बाद में भी सेक्रेटरी साहब से दरियाफ्त कर सकते थे। स्पीकर साहब से पूछ सकते थे। लेकिन इस किस्म की बातें करना खुद

[श्री नवाजिश अली खां]

आज के मौके पर जो कि पहला ट्रायल अपनी नौइयत का है, ठीक नहीं है। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि हाउस की जिन्दगी में यह पहला ऐसा मामला है जो कि गम्भीर मामला है। इस पर बहुत संजीदगी के साथ गौर करना चाहिये। जैसा कि मौर्य जी ने अपनी तकरीर में इसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने इसको बढ़ाकर नहीं कहा। अगर वह बढ़ाकर इसको कहते तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी और मैं खड़ा भी न होता। जब वह इशारा करते हुये चल दिये तब मुझको जरूरत हुई कि इसके मुताल्लिक कुछ अपने ख्यालात का भी इजहार करूं और अपने ऊपर ज्यादा लगाम न लगाऊं।

दूसरी बात यह है कि यहां पर एक मंत्री महोदय ने यह कहा कि गवर्नमेंट का इससे कुछ वास्ता नहीं है। यह बात सही है। यह हाउस का मसला है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर गवर्नमेंट के कर्मचारियों का कोआपरेशन (सहयोग) हाउस को न मिले तो वह एक मिनट के लिये भी नहीं चल सकता। लिहाजा गवर्नमेंट का ताल्लुक इससे तो है ही। अगर यहां पर गवर्नमेंट की मदद न मिले तो कुछ नहीं हो सकता। और एसेम्बली उनसे इस तरह की मदद जरूर एक्सपेक्ट (आशा) करती है।

हाउस में यह पहली ही शुरूआत है। अगर किसी मामले में किसी मशविरे की जरूरत हो तो वह सरकार से मिलती है और बगैर उसके काम नहीं चल सकता। तभी पूरी तरह से काम चल सकता है। यह हमारी आजादी का नन्हा सा पौदा है उसको पानी से इस तरह से सींचना चाहिये कि जिससे वह बुलन्द होता जाय। मैं तो यह कहता हूं, जैसा कि मेरे दोस्त ने फरमाया है, कि यह एक ब्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार की अवहेलना) का सवाल है अगर उसमें किसी मेम्बर को या उस कमेटी को जो हाउस ने बनाई है पूरी मदद न दी जाय तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, यह सब गवर्नमेंट के सामने है उसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि आपको इन प्वाइंट्स (बातों) पर निहायत सही और बहुत सोच कर कदम उठाना चाहिये ताकि हाउस मुतमइन रहे।

तीसरी बात यह है कि इस मामले को अगले हाउस में ले जाया जाय। यह बात मैं इसी मोमेंट में तो नहीं कह सकता। अगला हाउस इसको करने के लिये कम्पीटेंट (योग्य) होगा या नहीं कि वह इस केस को कर सके, वहां पर यही टेक्नीकल प्वाइन्ट उठ सकता है। लेकिन अगर वह कर सकता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। महज हमसे जरा सी टेक्नीकल गलती हो गई कि हम उसको २४ घंटे के अन्दर पेश नहीं कर सके। किसी मुलजिम को २४ घंटे से ज्यादा बन्द नहीं रखा जा सकता है। यह ऐसी चीज है कि जिसको हर एक समझता है। जो २४ घंटे से ज्यादा डिटेन (निरोध) करने की बात है वह फंडामेंटल राइट से क्लैश (मौलिक अधिकार से विरोध) करती है। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि अगर कोई इन्सान हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) को किसी तरह से लो (नीची) करता है या कोई इस तरह की चीज लिखता है जिससे इसको धक्का पहुंचता है तो उसके मुताल्लिक गौर करना जरूरी है। इसी तरह से मैं यह समझता हूं कि इस केस के मुताल्लिक भी जो सही और मुनासिब कदम हो वह उठाना चाहिये। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)---इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में काफी बहसें उस तरफ से भी और इस तरफ से भी हुई। वह काफी हैं। किसी को चाहे ताज्जुब हो हमारे भाई राजाराम शास्त्री की तकरीर पर, लेकिन मुझे जरा भी कोई आश्चर्य नहीं मालूम होता और मैं इस बात की भी जुर्रत नहीं कर सकता कि उन्होंने जो इतनी लम्बी चौड़ी तकरीर की उस का ज्यादा हिस्सा गैरमुताल्लिक था और क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको आज्ञा दी और उन्होंने तकरीर की, लेकिन उनके पास वजूहात थे लम्बी तकरीर करने के

और मेरे पास वह वजूहात नहीं हैं क्योंकि मुझे अभी आइन्दा भी सदन में बोलने का मौका मिलेगा और उनका शायद आखिरी मौक़ा है। इसलिए मैं तो लम्बी चौड़ी बातों में नहीं जाऊंगा। मैं तो मुख्तसरन कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने फरमाया कि यह गिरफ्तारी चोरों की सी गिरफ्तारी हुई और उनको इस बात की शिकायत है। शाह लोगों की गिरफ्तारी कैसे होती है, यह मैं नहीं जानता। उनको इस बात की भी शिकायत है कि इस गिरफ्तारी के मुताल्लिक कोई एजीटेशन (आन्दोलन) नहीं हुआ। उनका शायद यह खयाल था और शायद यह ख्वाहिश रही कि इस बात पर सारे सूबे की जमीन आसमान एक कर दी जाती और देश भर की जमीन उलट दी जाती। उनकी बम्बई में गिरफ्तारी की गई और वहां से उन्हे आराम से हवाई जहाज से लाया गया, उसके बाद कार्लटन होटल में उनको रखा गया। तो क्या उन को जो इतना आराम से रखा गया और लाया गया, इसी से गिरफ्तारी ग़लत तौर से हुई? और कहीं चोर भी कार्लटन होटल में रखे जाते हैं? आपने आक्षेप करते हुये यह भी फरमाया कि यह कैसे हुआ कि प्रिविलेज कमेटी में यह मुद्दई का बयान नहीं लिया गया, यानी माननीय अध्यक्ष महोदय का बयान नहीं लिया गया। लिहाजा यह भी ग़लती शायद वह समझते थे कि समन या वारंट का प्रोसीजर जो...

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--मैं आपके जरिये से अर्ज करना चाहता हूं कि राजाराम शास्त्री साहब ने जो तक़रीर दी है उसी का जवाब माननीय मंत्री जी इस ढंग से दे रहे हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--आखिर में आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने फरमाया कि माननीय अध्यक्ष का बयान नहीं लिया गया। प्रिविलेज कमेटी ने निहायत अक्लमन्दी से काम किया कि जो मुलज़िम था उसको मौक़ा दिया कि तुम हमारे सामने या तो खुद आओ या बजरिये खत जो कुछ आपको कहना है इस न्यूज आइटम (समाचार) के मुताल्लिक़ आप कहिये। उनको इतनी खातिर से रखा गया। इस तरह की फैसिलिटी (सुविधा) उनको पहले ही दी गई कि वह खुद आ सकें तो आवें या खत के जरिये से लिख भेजें, लेकिन उस पर भी यह कहना कि भलमनसाहत नहीं बरती कहां तक मुनासिब हो सकता है। अगर उनका क़ानूनी फर्ज नहीं था तो अख्लाक़ी फर्ज तो था ही कि जब उनको ऐसा मौक़ा दिया गया तो कम से कम २ आने का जो टिकट लगता है वह लगाकर कोई मुख्तसिर सा जवाब दे देते लेकिन ऐसा करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जहां तक माननीय अध्यक्ष का ताल्लुक़ है, उस न्यूज आइटम में साफ़ चीज मौजूद थी और क्या यह जरूरी था कि वह आकर विटनेस बाक्स में कहते कि हाउस की मानहानि हुई और तौहीन हुई है? इस चीज की जरूरत थी? आर्डर मौजूद, न्यूज आइटम मौजूद और दूसरा फ़रीक़ इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता। कमेटी के सामने काफी मसाला था। कमेटी के लिये बिल्कुल ओपिन था कि वह अपने पूरे वाक़यात हाउस के सामने रख देती और रखा, ६ तारीख को अगर ग़ालिबन मेरी याददाश्त ठीक है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--७ को।

माननीय श्री हुकुम सिंह--७ को यह सवाल यहां आया। हमारे सब दोस्त मौजूद थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो ग़ैरहाजिर थे। हां, हो सकता है कि वक्त से पहले ही घर चले गये हों। सदन के सामने यह सवाल पेश हुआ और यह फैसला हुआ कि वारंट आफ एरेस्ट (गिरफ्तारी का अधिपत्र) जाना चाहिये। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त राजाराम जी ने या किसी और ने यह नहीं कहा कि सदन का यह फैसला ग़लत था। राजाराम जी सर हिलाते हैं। गोया वह इत्तिफाक़ करते हैं कि फैसला ठीक हुआ। इस सदन का अधिकार था और इसने कोई ग़लती नहीं की। हमें अख्तियार है और हमने

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

वारंट जारी कर दिया। अगर कोई टैक्निकल मिस्टेक(प्राविधिक त्रुटि) हो गई और वह छूट गये तो मेरे लायक़ दोस्त इतने परेशान हुये कि हम इस पर अब विचार भी न करें। ऐसे बुज़दिलों के लिये यहां जगह नहीं है। मैं साफ कहता हूं। हमने फैसला किया। हमारे सामने वह सवाल आया और टैक्निकल ओमीशन (प्राविधिक त्रुटि) का सवाल भी हमारे सामने आया। रिलीज का भी आर्डर हमार सामने हैं। इसके यह मानी नहीं हैं कि अब हम इस पर विचार भी न करें। इतना परेशान तो नहीं होना चाहिये कि बस अब हम सोचेंगे भी नहीं। तो मैं तो यह अर्ज़ करूंगा कि इस तरह से काम करने से काम नहीं चल सकता। यह बिल्कुल इन्नोसेंट (सरल) प्रस्ताव है कि आइये, हम लोग ज़रा अब इस पर सोचें कि यह जो कार्यवाही आज तक हुई है और जब यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय तब उसे अमल की शक्ल क्या हम दें और क्या स्टेप (कार्यवाही) लें। यह हमको और आपको तय करना है। जो बात आप इस सिलसिले में मुनासिब कहेंगे उसे मैं फौरन मान लूंगा। इस प्रस्ताव के बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय कोई न कोई शक्ल लायेंगे। अगर वह चीज़ नापसन्द होगी तो हम उसे नामंजूर कर देंगे और अगर माकूल बात होगी तो क्या वजह है कि हम उसे न मानें? हमारे नवाब साहेब ने भी कहा कि रिलीज़ हो गया और हमारा ऐक्शन ग़लत लिया गया। ठीक है, रिलीज़ हो गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके हम पाबन्द हैं। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि हम और आगे कुछ विचार भी न करें।

इन शब्दों के साथ मैं श्री त्रिलोकी सिंह की तरमीम की मुख़ालिफत और उपाध्यक्ष जी के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी ने पेश की है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं वैसी तक़रीर नहीं करना चाहता जैसी कि भाई राजाराम जी ने की थी या हमारे माल मंत्री ने की थी। वाक़ई जैसा कि भाई नवाज़िश अली जी ने कहा, ऐसा नाच तमाशा पहले कभी देखन में नहीं आया।

यह कोई शोभा भवन की नहीं है जिस तरीक़े की यह दो तक़रीरें हुई हैं और न मैं उस तरह की कोई तक़रीर करना चाहता हूं। यह एक बड़ा अहम मसला है। इसमें ख्वामख्वाह के लिये गर्मी, बुज़दिली और बहादुरी का जिक्र लाना इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। भाई त्रिलोकी सिंह ने यह तरमीम पेश की, मैं समझता हूं बहुत सोच समझ कर पेश की और एक अच्छा मौक़ा दिया भवन को कि उस पर ग़ौर किया जाय। क्योंकि जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने किया और आज जो अख़बारों में शाया हुआ, यह तो मैं जानता हूं कि इस भवन के सब सदस्य मानेंगे कि उससे इस भवन का काफ़ी अपमान हुआ। यह मानना पड़ेगा और हमको यह ग़ौर भी करना पड़ेगा कि यह अपमान इस भवन का और, अध्यक्ष महोदय इस भवन के साथ आपका भी हुआ, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट आज पढ़ी और जिस तरीक़े से वहां के चीफ़ जज ने रिमार्क्स आपके लिये और इस भवन के लिये पास किये वे कोई ऐसे नहीं थे कि जिनसे आपकी और इस भवन की शोभा बढ़ती। वाक़या यह है कि जिस वक्त प्रिविलेजेज़ कमेटी की पहली मीटिंग हुई मैं भी उसमें शरीक था। हर एक मेम्बर की राय थी कि जो ब्लिट्ज़ अख़बार ने लिखा है यह वाक़ई में डिफ़ेमेटरी (अपमानजनक) है और इसके ख़िलाफ कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये।

मेरी पार्टी ने पहले से ही इस ब्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार की अवहेलना) के सवाल को उठाया। हम हमेशा यह चाहते थे कि इस भवन की इज्जत और विकार ऊंचा होता जाय

और इसी वजह से हर एक की उस वक्त राय थी और वाक़या यह है कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जो ब्लिट्ज अख़बार ने लिखा वह जरूर इस भवन की शान को घटाने वाला और अध्यक्ष महोदय की शान को तो बहुत ही ज्यादा घटाने वाला था। लेकिन जहां यह राय थी वहां उसके साथ-साथ हर एक मेम्बर की क़रीब क़रीब यह राय जरूर थी कि उसमें कानूनी मशविरा ले लिया जाय। मैंने हानिमेन के केस की मिसाल दी थी। वह बड़ा मशहूर मुक़दमा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वारंट जारी किया था लेकिन वाक़ई में यही फैसला हुआ कि जब तक वे यहां के जुरिस्डिक्शन (क्षेत्राधिकार) में न आ जायं गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैंने उसकी तरफ़ तवज्जह दिलायी थी और यह कहा था कि कानूनी मश्विरा लिया जाय और माननीय श्री चरण सिंह ने भी मेरा समर्थन किया था। उसके बाद दो मीटिंगों में मैं शरीक नहीं हुआ, लेकिन बाद को जब मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी उससे भी साफ जाहिर होता है कि हर एक की यह जरूर राय थी कि आला से आला कानूनी राय लेने के बाद कोई कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री नवाज़िश अली खां—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (मैं एक विधान का प्रश्न उठाता हूं)। क्या वह बातें जो प्रिविलेज कमेटी में हुई थीं, हाउस के अन्दर पेश हो सकती हैं?

माननीय अध्यक्ष—उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहिये। रिपोर्ट में जितना लिखा है उसी का जिक्र किया जा सकता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उसके अलावा मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन रिपोर्ट के पढ़ने से यह साफ जाहिर है कि क़ानूनी मश्विरा नहीं लिया जा सका। क्या वजह हुई? ऐडवोकेट जनरल (माहधिवक्ता) की इसमें क्यों राय नहीं ली गयी, मैं नहीं जानता। तो यह जाहिर है कि जल्दबाजी से जरूर काम लिया गया। इसमें भी मेरा ख्याल है कि किसी को शक और सन्देह न होना चाहिये कि अगर कानूनी मश्विरा वाला दर्जे का ले लिया जाता तो शायद यह नौबत न आती कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कर दे। आज, जनाबवाला, ब्लिट्ज के एडिटर ने सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल नहीं छेड़ा है कि उसकी गिरफ्तारी ग़ैर-क़ानूनी है बल्कि उसने यह भी लिखा है कि यह प्रिविलेजेज कमेटी का इस तरह का जुरिस्डिक्शन बम्बई में है ही नहीं यह भी मसला अब ग़ौरतलब है। मालूम नहीं इसके ऊपर जजेज क्या फैसला देते हैं। मुमकिन है कि कल वह उसका फैसला दें, परसों दें या ६ रोज के बाद दें। आज हम फिर कोई फैसला कर लें और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करे कि यह फैसला अल्ट्रा बायरिस (अवैध) है और बिल्कुल ग़लत है। वह कोई इस सभा भवन की इज्जत को ऊंचा नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कहा इस जल्दबाजी का यह नतीजा हुआ —हमारे भाई माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि इस सदन ने उस दिन पास किया और इत्तिफाक राय से पास किया कि वारंट जारी किया जाय। वाक़या है, जो वाक़यात हैं उनको छिपाने की भी जरूरत नहीं है। वाक़या यह है कि ७ तारीख़ को जब यह पेश किया गया तो लोगों के दिमाग़ में ख्याल था कि जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस तरह का प्रस्ताव यहां पेश कर रहे हैं कि वारंट जारी किया जाय तो जरूर कानूनी मश्विरा ले लिया गया होगा। हर तरीक़े से इस अम्र को माननीय अध्यक्ष महोदय और दूसरे मुत्तबिरों ने भी गौर कर लिया होगा।

माननीय अध्यक्ष—वह मश्विरा ले लिया गया था।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—तभी तो माननीय उपाध्यक्ष ने पेश किया होगा क्योंकि यह तो हर शख्स की राय थी कि डिफेमेटरी (अपमानजनक) है। मगर अब रिपोर्ट पढ़ने से यह मालूम होता है कि रिपोर्ट में इस तरह की कोई रोशनी नहीं डाली गई है कि किस

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

वक्त किस से मश्विरा लिया गया। जैसा माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मश्विरा ले लिया गया था तो जरूर लिया गया होगा। यह मैं मानता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि अगर इस पर और ग़ौर खोज किया गया होता तो शायद यह नौबत न आती। इसलिये मैं आपके जरिये से दरख्वास्त करता हूं कि इस मसले पर पूरी तरह से ग़ौर करें और जो तजवीज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है उसके ऊपर भी अब आपको कानूनी मश्विरा ले लेना चाहिये और जब यह जाहिर है कि यह सवाल दूसरी असेम्बली में उठाया जा सकता है जहां हमारे माल मंत्री जी बड़ी बहादुरी और बड़े जोरों से आये हैं ज्यादा जोरों से बोल सकते हैं और वहां वह रोशनी डालेंगे और जो कुछ भी सजेशन (परामर्श) देना होगा देंगे। इस वक्त मैं भी सदन का मेम्बर हूं, उस वक्त नहीं होऊंगा, उस वक्त उनकी जिम्मेदारी होगी। इस वक्त मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और उस जिम्मेदारी को समझते हुये मैं कोई ग़लत राय देने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मेरी दरख्वास्त है कि जो संशोधन श्री त्रिलोकी सिंह ने पेश किया है उसको वह मंजूर कर लें और इस बहस को आज स्थगित कर दें।

श्री बेचनराम गुप्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर विवाद बन्द किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--अभी तो कई माननीय सदस्य और माननीय मंत्री बोलना चाहते हैं।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, ताकि किसी किस्म की कोई ग़लतफहमी न हो, मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि मैं उस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं जिसको कि सदन के सामने श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है। इसके साथ ही इस विषय पर कुछ कहने के पहले मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं श्री गोपाल नारायण सक्सेना से इस मामले में बिलकुल सहमत हूं कि ऐसे गम्भीर मसले पर हमको हंसी मजाक के साथ विचार नहीं करना चाहिये। चाहे हम किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, लेकिन यह एक गम्भीर सवाल है, भले ही हमारी बातों पर कोई खुश हो और कुछ लोग दाद दें, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि कहीं ऐसा करने से हम हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) को, उसकी शान को नीचे नहीं गिरा रहे हैं। यह हममें हर एक को सोचना चाहिये। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने नालायकी की हो, गवर्नमेंट के कामों को क्रिटिसाइज (आलोचना) करें, मगर ऐसी बात किसी मेम्बर को नहीं करनी चाहिये जिससे कि सदन के किसी सदस्य की या सदन की किसी कमेटी की हंसी होती हो। उदाहरण के लिये श्री राजाराम जी ने कई ऐसी बातें कहीं उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य इसलिये हुआ कि वह गम्भीर मसले पर गम्भीरता के साथ बोल सकते हैं और बोलते रहे हैं, लेकिन आज न मालूम किस रौ में उस तरीक़े पर बोल गये जिसकी कम से कम मुझको तो उनसे आशंका नहीं थी। जैसा कि अभी गोपाल नारायण जी ने कहा कि यह बात सही है कि ७ तारीख को जब हाउस के सामने यह रिपोर्ट पेश हुई तो हो सकता है कि मेम्बरों ने यह मान लिया होगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में कानूनी राय ले ली होगी। मगर यह कहना कि हमने जल्दी में पास कर दिया। बग़ैर सोचे समझे, यह हाउस पर रिफलेक्शन (आक्षेप) होता है कि हमने जल्दी में पास कर दिया और अपने फर्ज को अदा नहीं किया। फिर यह कहना कि हमारी प्रिविलेज कमेटी ने जिद की वजह से किसी खास आदमी के खिलाफ फैसला कर दिया कि उसको सजा दी जाय, जब कि उसमें सभी पार्टी के लोग थे और यह कमेटी का युनानिमस डिसीजन (निर्विरोध निश्चय) था, यह भी एक ऐसी बात है जो आमतौर से इस सदन को सदस्य नहीं पसन्द करेंगे।

अब जहां तक कि इस मुख्य प्रश्न का सवाल है यह बिलकुल सही है कि यह मसला हिन्दुस्तान में बिलकुल नया है। हिन्दुस्तान में कम से कम इसके लिए हमारे सामने कोई नजीर नहीं है। और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस देखने से भी पूरे पूरे तौर से कोई केस मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें कनवेंशंस (प्रथाओं) पर होती हैं। इंगलैण्ड में कुछ उनके कनवेंशंस हैं, जो वहां के सदस्य और हाउस के अधिकारी भी जानते हैं। हमको उनका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। इसलिये बहुत सम्भव है कि शुरू-शुरू में हमसे कुछ ग़लती भी हो जाय। मसला हमारे सामने यह नहीं है कि गिरफ्तारी जो हुई वह ग़लत हुई या सही हुई। सवाल हमारे सामने यह है जैसा कि श्री गोपाल नारायण जी ने कहा कि वह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से राय देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मुमकिन है कि किसी न किसी दिन यह मसला कोर्ट के सामने आ जाय। तो यह मामला सबजुडिस (विचाराधीन) कहा जा सकता है। इसलिये जिस आजादी के साथ उसकी बाबत यहां राय जाहिर की गयी है मैं अपने को उतना आजाद नहीं पाता खास तौर से इसलिये कि वह अप्रासंगिक है। सवाल यह है कि हम आगे बढ़ें या न बढ़ें। जहां तक मैं देखता हूं कोई कारण नहीं है कि अपने काम को क्यों रोकें। गिरफ्तारी सही हुई या ग़लत हुई, आगेचल कर जो कुछ फैसला करें, उसके मातहत गिरफ्तरी की जरूरत होगी या नहीं होगी यह बाद का मामला है। इस वक्त सवाल यह है कि हाउस की प्रिविलेज को तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया। मैं देखता हूं कि इसमें कोई दो राएं नहीं हैं कि यह कंटेम्पट (अवमान) हुआ। अब अगर कंटेम्ट हुआ तो हाउस को उस मामले को डील करने का अख्तियार है।

जहां तक यह सवाल है कि कोई ग़ैर कानूनी बात न हो जाय पहली बात तो यह है कि मैं देखता हूं कि इस प्रिविलेज कमेटी में सात मेम्बरों में से चार वकील हैं। उन्होंने जरूर ग़ौर किया होगा। साथ ही जैसा कि माननीय स्पीकर ने कहा कि इस कमेटी के बाहर भी लीगल ओपीनियन (विधिक-अभिप्राय) उन्होंने ले ली थी। मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि इसके पहले जब एक मसला हाउस के सामने पेश था तब उसमें लीगल रेमेंबरेंसर की राय ले ली गयी थी। मैं समझता हूं कि सदन इस बात को पसन्दकरेगा कि मैं इसमें का कुछ हिस्सा पढ़ दूं।

श्री खुशवक्त राय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि पूरा ही पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष—हां, बहुत ज्यादा नहीं है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—

"I have examined the points in issue in this matter. Under Article 194 (3) of the Constitution, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law and until so defined shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees at the commencement of this Constitution.

This may be interpreted to mean that this article lays down only the quantum of the privileges and immunities of a House. The word 'powers', however, may be given a little wider meaning

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

and may also include powers in all matters and also powers in the matter of privileges. The privileges and the powers of the House of Commons have not been codified but are based on precedents and are, therefore, to some extent elastic. It will take quite an appreciable time before powers and privileges develop by a process of evolution based on precedents. At present, however, the only guide is the powers and privileges of the House of Commons. In various cases which have come up before the House of Commons it has been held that libellous attacks on the Speaker or on members of the House pertaining to their duties *qua* the House amount to contempt of the House and can be made the subject of Commitment. The only point which requires consideration in the present matter is whether the House can exercise jurisdiction over the persons who do not reside within the state of U. P., but may be charged with the offence of committing a contempt of the legislature. Obviously this question could not arise in any case in the House of Commons which has been reported as there are no states forming any federation there and the question will, therefore, have to be decided on general principles.

A parallel may be found in cases dealt with by the various High Courts for contempts committed against them. The earliest case is that of the well-known journalist, the late Sir Surendra Nath Banerji. This case is reported in 10 Indian Appeals on page 171. The only observation in the judgment of reported case which is relevant is that a contempt by a libel published out of court is not included amongst the various offences under the Indian Penal Code and that such contempts are not punished under the Indian Penal Code or the Code of Criminal Procedure. Section 5 of the Code of Criminal Procedure will also not be of much avail in attracting provisions of the Criminal Procedure Code to such an offence. In a more recent case it has been held by the Calcutta High Court—1949 Calcutta, I. L. R. page 355, Onkar Mal *versus* Padampat Singhania— that the High Court is entitled to punish a person for contempt of its orders even though he was residing outside its jurisdiction, provided he was residing in the Dominion of India and that if a different view is taken, a person residing beyond the jurisdiction in the Dominion can always escape punishment, which could not be a reasonable view. Taking all the circumstances into consideration I am of opinion that it is open to the House to take action for its contempt or for the contempt of the Hon'ble Speaker or any member of the House against persons residing outside the State. It is also open to the House to send for the person charged for contempt in custody

to be produced before the Bar of the House by warrant issued. It is the duty of the State to which the warrant is sent to give all aid for the due execution of the warrant issued by the Speaker of the House. The punishment which the House can award can be enforced by the Speaker under the authority of the House and executive authorities shall be bound to carry out the directions of the House."

[इस विषय में विवादग्रस्त बातों पर मैंने विचार किया है । संविधान के अनुच्छेद १९४(३) के अधीन राज्य के विधान मंडल के सदन की, तथा सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जिनको विधान मंडल विधि द्वारा समय समय पर निरूपित करेगा और जब तक वे इस प्रकार निरूपित न होंगी तब तक वे उसी प्रकार की होंगी जिस प्रकार की संयुक्त राज्य के पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की, उसके सदस्यों की और समितियों की इस संविधान के आरम्भ होने पर थीं ।

इसका निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता है कि इस अनुच्छेद में सदन के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की नियत मात्रा ही बताई गई है । 'शक्तियां' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें समस्त विषयों की शक्तियां और विशेषाधिकार के विषयों की समस्त शक्तियां भी सम्मिलित की जा सकती हैं । हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार और शक्तियां विधिबद्ध नहीं की गई हैं किन्तु पूर्वताओं के ऊपर आधारित हैं और इसलिये कुछ हद तक नमनशील हैं । इसके लिये काफी समय अपेक्षित है कि शक्तियां और विशेषाधिकार पूर्वताओं के आधार पर विकास की प्रणाली से उन्नत हों। तो भी इस समय पथ प्रदर्शन के लिये केवल हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार और शक्तियां हैं । बहुत से मामले जो कि हाउस आफ कामन्स के सामने आये उनमें यह बात मानी गई कि सदन के अध्यक्ष या सदस्यों का, जो कि सदन की हैसियत से अपना कर्तव्य पालन करते रहे, अवमान करना सदन का अवमान करना है और उन पर वाग्वद्धता का आरोप किया जा सकता है। वर्तमान विषय में केवल एक ही बात है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सदन अपने क्षेत्राधिकार का उन व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग कर सकता है जो उत्तर प्रदेश के राज्य के भीतर नहीं रहते किन्तु वे विधान मण्डल के अवमान की वाग्वद्धता के अपराध में लिये जा सकते हैं। स्पष्ट है कि यह प्रश्न हाउस आफ कामन्स के किसी मामले में नहीं उठ सकता था जो कि बयान किया गया है क्योंकि वहां कोई राज्य नहीं है जो किसी संघ का निर्माण करें और इस लिए यह प्रश्न साधारण सिद्धान्तों पर निश्चित होना चाहिये ।

इसी प्रकार समानान्तर उन मामलों में भी पाया जा सकता है जो विभिन्न हाई कोर्टों ने अपने विरुद्ध अवमान के किये हैं । उनमें हाल ही का मामला प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का है । इस मामले की रिपोर्ट १० इंडियन अपील के पृष्ठ १७१ पर छपी है । इस मामले में जो निर्णय हुआ उसमें संगत बात यह है कि कोर्ट के बाहर अवमान-लेख के प्रकाशन से जो अवमान हुआ, वह इंडियन पीनल कोड के अधीन बहुत से अपराधों में सम्मिलित नहीं किया गया और यह कि ऐसे अवमान इंडियन पीनल कोड या कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन दण्डनीय नहीं हैं । कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन ५ ऐसे अपराधों की ओर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आदेशों के आकर्षण में अधिक लाभप्रद नहीं है। एक अधिक हाल ही के मामले में १९४९ कलकत्ता, आल इंडिया रिपोर्टर पृष्ठ ३५५, ओंकार मल बनाम पद्मपत सिंहानिया—कलकत्ता हाई कोर्ट ने

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]
निर्णय किया कि हाई कोर्ट को अपने आदेश के अवमान के लिए किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी रहते दण्ड देने का अधिकार है किन्तु शर्त यह है। कि वह भारतीय उपनिवेश में रहता हो और यह दूसरा विचार लेना कि कोई आदमी डोमीनियन के क्षेत्राधिकार के बाहर रहता है तो वह सदैव दण्ड से छुटकारा पाजाता है न्यायोचित नहीं है। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी सम्मति है कि सदन को इसका अधिकार है कि यदि उसका या माननीय अध्यक्ष का या सदन के किसी सदस्य का किन्हीं व्यक्तियों ने अवमान किया हो और वे राज्य के बाहर रहते हों तो उनके विरुद्ध वह सदन कार्यवाही कर सकता है। सदन को इसका भी अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति पर अवमान का अभियोग लगाया गया हो तो वह उसको अपने अभिक्षण में रख सकता है और वारंट जारी करके सदन के बार के सामने प्रस्तुत कर सकता है। उस राज्य का भी जिसके पास वारंट भेजा जाय यह कर्तव्य है कि वह राज्य उस वारंट के सम्पादन में पूर्ण सहयोग दे जो कि सदन के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है। वह दण्ड जिसको सदन देना चाहता है, अध्यक्ष द्वारा सदन के अधिकार से प्रवर्त्तन किया जा सकता है और कार्यपालिका-अधिकारी सदन के निर्देशों के पालन के लिए बाध्य होंगे।]

यह उनकी राय का पोरशन (अंश) है। इसके माने यह हैं कि स्पीकर महोदय ने जब सदन के सामने यह मसला रखा तो उनके पास लीगल ओपीनियन थी जिससे साबित होता है कि उनके बाहर रहते हुए भी उन पर मुक़दमा चल सकता है और वारंट इश्यू (जारी) हो सकता है और जिस स्टेट का तालुक़ हो उस स्टेट की ड्यूटी होगी कि वह हर तरह की मदद करे और हाउस जैसे चाहे वैसे सजा दे। हो सकता है कि इसके खिलाफ भी कोई दूसरी लीगल ओपीनियन हो। जैसा कि श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने हार्नीमैन के केस का जिक्र किया है। दोनों किस्म की राय हो सकती है। लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस मामले में काफी छानबीन कर ली गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे पास काफी सामग्री है और कोई वजह नहीं है कि इस मामले को आगे न चलाया जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स--माननीय स्पीकर महोदय, मैं बहुत मुख्तसरन चन्द बातें इस मामले में कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो मैं यह समझता हूं कि आपके नोटिस में और आपके जरिये से गवर्नमेंट के नोटिस में आनी चाहिये, वह यह है कि वह गल्ती जिसकी वजह से मिस्टर मिस्त्री मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचे वह क्यों हुई। वह इसलिये हुई कि कुछ कायदे और कवायद जो गवर्नमेंट के बने हुये हैं उनके मुताबिक पाबन्दी नहीं की गई। जाब्ता फौजदारी के मातहत जो कुछ कायदे हैं, उसके बमूजिब कोई भी मुल्जिम जब पकड़ कर आता है और खासकर जब कि वह पुलिस कस्टडी में हो तो पुलिस आफिसर का काम है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। यह बात क्यों रह गई। मैं नहीं कह सकता और न मेरी ख्वाहिश ही है कि मैं इसको और आगे डिसकस (चर्चा) करूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त जो तजवीज इस ऐवान के सामने है वह सिर्फ इतनी है कि आया उस रिपोर्ट पर जो कि प्रिविलेजेज कमेटी ने दी है ऐवान विचार करे या न करे। मेरे दोस्त लीडर आफ दि आपोजीशन (विरोधीदल के नेता) ने यह तजवीज पेश की कि इस तजवीज को स्थगित कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि उनका इस तजवीज को पेश करना उनके नजदीक किसी सही राय है और उसकी कोई कीमत हो सकती है, लेकिन मैं जब उस मामले को पूरी तौर पर अपने दिमाग में दुहराता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त ऐसा करना मेरे नजदीक इस ऐवान के लिये एक गलती होगी। जो मौका कि आज दरपेश है वह इस ऐवान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं आया और

वह इतना अहम है मेरे नजदीक कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उसकी सही और पूरी अहमियत को समझा नहीं है। वह बहुत अहम है। इस ऐवान के आनरेबिल स्पीकर के मुताल्लिक़ एक अख़बार में इस किस्म की बात कही जाय यह इस तमाम लेजिस्लेचर की इज्जत की जड़ों की बुनियाद को खोदकर फेंक देना है। बहुत ही ज्यादती की बात है जिस किसी ने भी की है। मुझे इसका अफसोस है कि ऐसा मौका आया और एक अखबार के एक डिप्टी एडीटर के खिलाफ इस ऐवान को इस किस्म की कार्यवाही करनी पड़ी। हो सकता है कि यहां के रहनेवालों को उस कानून से नावाकफियत हो जो कानून बगैर लिखा रायज है मैं उससे वाकिफ़ न हूं और मुमकिन है कि मुझसे उसके अन्दर गलती हो जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं यह सोचता हूं कि इस बात की तरफ अफसरान की तवज्जह दिलाने की जरूरत है ताकि आइन्दा भी अगर ऐसा मौका फिर आवे तो ऐसी गलती न हो। इसके बाद दूसरी बात जो है वह यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ट आफ व्यू को सामने रखा जावे। ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू (प्रशासन के दृष्टिकोण) को सामने रखने का मैं मश्शाक हूं लेकिन जब इस बात को देखना हो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ साद हो तो है और इस वजह से यह जरूरत है कि थोड़ी देर कर दी जाय तो देर करना बेहतर है बजाय इसके कि कोई जल्दी की जाय। मैं इन शब्दों के साथ अपनी राय यह पेश करना चाहता हूं कि बेहतर यही है कि ऐसी तरमीम को जो कि मेरे लायक दोस्त ने इस तरफ से पेश की है, मंजूर किया जाय बशरतेकि आइन्दा सदन को यह अख्तियार कुल्ली हासिल हो कि वह इस पर ऐक्शन (कार्यवाही) ले सके और हुक्म मुनासिब सादिर कर सकें। इन शब्दों के बाद मैं बैठ जाऊंगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--लेकिन मुझे उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं है। मैं समझता हूं कि हर आदमी महसूस करेगा कि सब बातें कही गईं मुताल्लिक़ और गैर मुताल्लिक़ लेकिन जहां तक मैं समझा हूं मेरे दिमाग ने उसकी अहमियत को ग्रास्प (ग्रहण) नहीं किया और वह यह कि जब यह बड़े बड़े अखबारों में रेफर (निर्दिष्ट) किया गया, कमेटी बैठाई गई और कमेटी ने लिखनेवालों की खिदमत में बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त भेजी और उनसे इसके मुताल्लिक दरयाफ्त किया और यह मौका दिया कि वह तशरीफ लावें और जो कुछ भी कमेटी को उसके मुताल्लिक़ समझाना चाहते हैं वे समझावें, लेकिन उन्होंने उससे कोई फायदा नहीं उठाया।

एक पुराने मेम्बर होने के नाते मैं समझता हूं कि यहां लेजिस्लेचर का कुछ ज्यादा तरीका नहीं रहा है कि अखबारों की बातों को इस फ्लोर के ऊपर दोहराया जा सके। लेकिन इस सिलसिले में मुझे कहना पड़ता है, जो शायद कल की खबर है, किसी अखबार में इसके मुताल्लिक़ लिखा है कि वह रिप्रेजेण्टेशन उनकी तरफ से क्यों नहीं हो सका। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि एक शख्स ने मुझे बुलाया और मैंने किसी वजह से दूसरे से कह दिया कि तुम जाकर मेरी तरफ से यह कह देना तो जहां मैंने उन साहब को यह इत्तिला दी थी वहां उस कमेटी को भी, जिसने मुझसे दरख्वास्त की थी, यह लिख सकता था कि फलां शख्स मेरी तरफ से आ कर वेरिफिकेशन देगा (सिद्ध करेगा)। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह उन साहब ने क्यों नहीं किया यह काबिले बहस नहीं है, न इस पर कोई बहस होनी चाहिये। खुलासा यह है कि उस कमेटी को जो इस हाउस ने बनाया था उसको कोई रोशनी इस मामले के मुताल्लिक़ उस तरफ से नहीं मिली। ऐसी हालत में उसने एक रास्ता, जो उसको रूल्स की रोशनी में था, अख्तियार किया। यहां से वारण्ट जारी हुआ। वहां पर गिरफ्तारी कैसे हुई इसके मुताल्लिक़ कुछ कहा गया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मगर इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि इस हाउस का मेम्बर होने की हैसियत से मेरे दिमाग में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी की शख्सियत पर जाऊं या उसके मुताल्लिक़ नुकताचीनी करूं। लिहाजा जो बातें कही गईं उनको छोड़ता हूं। यहां से वारण्ट जारी हुआ। वारन्ट गवर्नमेंट

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

ने नहीं भेजा, वरन् स्पीकर साहब ने हाउस के सामने दरख्वास्त पेश की। हाउस ने उसे मंजूर किया। उसके मातहत वह वारण्ट जारी हुआ। वारंट गया, वह गिरफ्तार होकर आया फेडरल कोर्ट के सामने मामला पेश हुआ और फेडरल कोर्ट के डिसीजन के सामने हुकूमत ने सरेइ तात खम किया और उसको छोड़ दिया। जहां तक इसका ताल्लुक है कि उनके साथ बरताव कैसा हुआ वह तो राजाराम जी ने बयान कर दिया। मुमकिन है उसमें हमने गलती की हो। स्टेशन पर आये तो लाने के लिये कार भेजी गई, कार में बैठ कर वह आये। कार्लटन होटल में ठहराये गये, जिसका बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड, बड़ा सुपीरियर होटल है। लखनऊ का सबसे बड़ा होटल है, जहां बमुकाबले और होटलों के सब तरह की सहूलियतें मिलती हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिबल (प्रतिष्ठित) जगहों में समझा जाता है। पुलिस वहां रही हो, लेकिन उनके पास आदमी आते जाते रहे, जैसा कि उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है। और किसी तरह से यह बात किसी के सामने नहीं आई, किसी की यह जुरअत नहीं हुई कि कोई यह कहे कि खुदा न खास्ता जिस इज्जत के वे मुस्तहक़ थे, उसको ख्याल में नहीं रखा गया। बल्कि उसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया। जब उन्हें रिलीज का आर्डर दिया गया तो दुबारा अपनी तरफ से उनकी खिदमत में यह दरख्वास्त दी गई कि आपका मामला कल हाउस के सामने पेश है, आप तकलीफ फरमायें, वहां तशरीफ ले आयें। और उस मामले पर रोशनी डालें, लेकिन उससे भी उन्होंने हमें महरूम रखा। मैं नहीं समझ सका कि इसके क्या माने हैं यह क्या तरीका है? अगर किसी ने ठीक काम किया है तो उसके पास पूरी इखलाक़ी जुरअत होनी चाहिये, उसके पास कुव्वत होनी चाहिये कि वह आकर उस चीज का मुकाबला करे। अगर किसी से गलती हो गई है तो उस गलती को मान लेने में किसी को जरा भी गुरेज नहीं होना चाहिये। जब वे यहां लखनऊ में मौजूद थे, यहां ठहरे हुये थे और आज हाउस के सामने उनका मामला था तो वे भी हाउस की बात को सुन लेते और हाउस के सामने अपनी बात भी रखते। अब कहा यह जाता है कि इस मामले को मुल्तवी कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि हमने इस बात की अहमियत समझी भी है या नहीं और यह कि उसके मुताल्लिक़ हमको क्या प्रोसीजर अडाप्ट करना है कि हाउस को जो प्रिविलेजेज मिले हुये हैं उनको कायम रखने का क्या जरिया हमारे पास हो सकता है। मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि एक यह मसला भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि चूंकि वे इस प्राविंस से आउटसाइड (बाहर) रहते हैं इसलिये उनको पकड़ा भी जा सकता है या नहीं। ठीक है, एक मसला यह भी है। लेकिन यह भी हो सकता है कि सवालों के मुताल्लिक़ दो रायें हो सकती हैं। किसी काम को करने का यह तरीका नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिख कर भेजें कि हुजूरवाला यह सवाल पैदा हुआ है, हम इस मामले में जनाब से राय लेना चाहते हैं। हमको खुदा ने अक्ल दी है, थोड़े पढ़े हैं या ज्यादा पढ़े हैं हमको उससे काम लेना चाहिये। उसके लिये हमारे पास जो लोग मशविरे के लिये हैं, उन्होंने यह मान लिया है कि आउटसाइडर को पकड़ा जा सकता है। इसलिये जो एहतियात किसी काम को करने की बरती जा सकती है वह बरती गई। बाज साहबान ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो छोड़ने का फैसला दे दिया उससे इस हाउस की बेइज्जती हो गई, लेकिन मैं इसको बेइज्जती महसूस नहीं करता हूं। यह तो एक ईमानदारी की बात है कि किसी काम को करने में मामले की हकीकत तो देखकर कार्यवाही की गई। हमारी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। हम उसके आर्डर्स की तामील करते हैं। उन्होंने जो राय कायम की है उसकी हम इज्जत करते हैं। यह तो सब लोग ही मानते हैं कि लोगों में इख्तलाफ राय हुआ करती है। दो वकीलों में, दो जजों में और दो हाईकोर्टों की राय में इख्तलाफ हुआ करता है। एक ही मसले पर एक हाईकोर्ट की एक राय होती है और दूसरे हाईकोर्ट की दूसरी राय होती है। वकील लोग इस चीज को बखूबी समझते हैं कि लोगों की राय में इख्तिलाफ राय हुआ करता है। किसी ने इस बात का एहसास नहीं किया कि एक आदमी हमारी इज्जत का एम्ब्लेम (प्रतीक) है उसके मुताल्लिक़ यह कहा जाय कि वह ईमानदारी से काम नहीं करता वह दूसरों के कहने से काम करता है। मैं कह सकता

हूं कि इस हाउस के लिये इससे जलील बात और कोई हो नहीं सकती। मेरे दोस्त यह कह रहे थे कि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, लेकिन मेरा कहना तो यह है कि वे अपनी जिम्मेदारी से बच कर निकल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं इस बात को नहीं कहता लेकिन उन्होंने खुद कहा, इसलिये कहता हूं कि वे तो खुद इस हाउस में आ नहीं रहे हैं। उनके आने जाने का मैं कतई जिक्र नहीं करता, लेकिन वे चाहते हैं कि जिस जमाने में वे इस हाउस के मेम्बर हैं उस जमाने में तो यह बात पैदा हुई, बहैसियत मेम्बर के वे उसमें बैठे, इस मामले में अपनी राय दी और फिर इसे मुल्तवी करा कर छोड़ कर चले जायेंगे और आगे आने वाले हाउस पर इसे छोड़ जायेंगे कि वह इस पर फैसला करे। मैं नहीं समझ सका कि फिलवाक़ै इसका मक़सद क्या है कि उसको स्थगित कर दिया जाय। इस बात को कहना कि जो कुछ कहा गया वह क्या कहा गया और उसके अन्दर क्या चीज है, उनके खिलाफ क्या होगा? क्या उनको सजा मिलेगी? यह तो एक दूसरा क्वेश्चन (प्रश्न) है। सब से बड़ा क्वेश्चन यह है कि जो बात कही गयी वह बात बिलकुल ऐसी है जिसको कंटेम्पट (अवमान) समझना चाहिये। इस हाउस में कुल चीजों के मुताल्लिक़ हिस्टरी बनेगी जो कि रेकार्डेड (उल्लिखित) है। इस मसले के ऊपर यहीं से हिस्टरी शुरू होगी। हमको इस मसले पर सीरिअसली (गंभीरता पूर्वक) और विचारना है। यह जो मोशन पेश किया गया है वह सिर्फ इतना ही है उस रिपोर्ट पर विचार किया जाय। रिपोर्ट पर विचार करने का माने हैं कि मोशन प्रीमिलिनरी (प्रारम्भिक) है और हाउस को मंजूर करना है कि उस रिपोर्ट पर विचार किया जाय।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि इस हाउस में इस पर विचार हो सकता है तब फिर वह इसको क्यों छोड़ दे कि उसे आगे लिया जाय। इसकी अहमियत को समझना चाहिये और हमें इस बात को महसूस भी करना चाहिये कि अखबार कहते हैं, आदमी भी कहते हैं, उनका बीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार अवहेलना) भी होता है, सारी चीजें दुनिया के अन्दर होती हैं, यह ठीक है और दुनिया का हर एक शख्स गलत और सही काम करता है। लेकिन इस किस्म की बातें, जिस किस्म की यहां कही गयी हैं यह मेरे नजदीक इतनी बड़ी बात है कि इसको यह करार देना कि रेज्योलूशन की बुनियाद पर फैसला हो यह वाक़ई कंडेमेबिल (निन्दनीय) बात है। यह कहा गया कि इसको स्थगित कर दिया जाय। तो इस मसले को स्थगित तो कतई नहीं किया जायगा। यह मोशन जो इस वक्त हमारे सामने विचार करने के लिये है उसे इस हाउस को पास करना है। मैं नहीं कह सकता कि नेक्स्ट स्टेप (अगली कार्यवाही) क्या होगा। हम इस पर जो कुछ भी अपनी राय देना चाहें वह दे सकते हैं। आखिर में मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि कुछ साहबान ने यह भी कहा कि इस मामले में बहुत जल्दबाजी की गयी है। जिन्होंने यह कहा उनमें श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी भी हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका दूसरा स्टेज क्या था। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की गई है।

जिस वक्त से यह मामला रखा गया और जिस वक्त से हाउस ने कमेटी बनाई तो यह मामला उसके सुपुर्द किया गया। उसने क्या-क्या किस वक्त काम किया वह इसमें लिखा हुआ है। जिस वक्त हाउस ने यह हुक्म दिया कि वारण्ट भेजा जाय तो वहां पर वारण्ट भेज दिया गया। अगर यह जल्दबाजी है तो फिर और कितना इसके ऊपर गौर होता। हाउस का हुक्म था तब वारण्ट भेजा गया। इसी हाउस में इस चीज को लाना था क्योंकि यह हाउस खत्म होने वाला है अगले हाउस के लिये यह काम रह जाता यह मुमकिन नहीं था। वहां पर वारण्ट भेजा गया और वह वहां से गिरफ्तार होकर आये। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। तो उसके मुताबिक़ किया गया जो कुछ भी हो हम इस पर गौर करें और उसके बाद जो रेजोलूशन आवे उसके ऊपर गौर करें और सही राय कायम करें। पहले इसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर कर लिया जाय। यह हाउस की जिन्दगी के आखिरी लमहे हैं। इस आखिरी वक्त में हमारे ऊपर ऐसा काम आकर पड़ा है, जिससे हम यह साबित करें कि वाक़ई हम ठीक मेम्बर

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

लेजिस्लेचर के थे और हमने अपने फरायज को अच्छी तरह से अदा किया जो कि हमारे ऊपर आयद होते थे । इस वास्ते जो मोशन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने पेश किया है उसके मुताल्लिक़ मेरी दरख्वास्त है कि वह मंजूर किया जाय ।

श्री अब्दुल बाक़ी---जनाबवाला, मैं इस तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इस राय का नहीं हूं कि इस मामले पर गौर करने में किसी तरह से जल्दबाजी की गयी । बल्कि मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो राय कायम की गई है और जो कार्यवाही की गई है उसमें तमाम चीजों को पेशेनजर नहीं रखा गया है । अब जो दिक्कत पहले थी उससे कई गुना दिक्कत पैदा हो गई है । सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है । मेरे लायक दोस्त जो उधर से तकरीर कर रहे हैं उन्होंने यह नहीं बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कदम उठाया जाय । सुप्रीम कोर्ट की पूरी तजवीज हमारे सामने नहीं है । जब तक हमारे सामने पूरी तजवीज न हो तब तक पूरी तरह से सही कदम उठाने के लिये गौर करना कुछ सही नहीं है । इसलिये क़ब्ल इसके कि हम कोई फैसला लें हमारे सामने पूरी पिक्चर होना लाजिमी है । नहीं तो उससे यह अन्देशा हो सकता है कि उससे कोई दिक्कत पैदा न हो जाय । मेरे उस तरफ के दोस्त यह समझते हैं कि जो दिक्कत थी वह हल हो गई है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस हाउस के सामने किसी मुक़द्दमे को चलाने का और सजा देने का काफी और डिटेल (विस्तार) के साथ कोई प्रोसिजर (प्रक्रिया) मौजूद नहीं है । अगर हम ऐसी ही प्रोसीजर शुरू करें तो हमको सिविल प्रोसीजर से मदद लेनी पड़ेगी । यह कहना कि जो कन्वैन्शन्स (प्रथायें) हैं उनसे काम चल जायगा और वही काफी है यह गलत है । बहरहाल हम को मदद लेनी पड़ेगी पैनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से । सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल ही हुआ है और अब तक जो राय आई है वह पहले की है । उसके बाद किसी लायक दोस्त ने नहीं बताया कि क्या राय है । फिर भी जो साहबे राय हैं या जिन में क़ानूनी सलाहियत है उनसे इस फैसले के बाद राय ली गई है या नहीं ? अभी किसी ने इस तरफ रोशनी नहीं डाली है । पहले बताया गया कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय थी कि ऐसा किया जाय, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसके बाद हमारा काम किस नवइयत का होना चाहिये और हम क्या प्रोसीजर अख्तियार करें यह राय हमारे सामने अभी नहीं है । जो कुछ राय आप इस वक्त दे रहे हैं वह तो लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय पर ही है । एक मर्तबा जब इन्सान को ठोकर लगती है, जहां उससे ओमिशन (चूक) होता है या उसने जहां फरो गुज़ाश्त की हो, वहां अगर वह फिर गौर कर ले कि कोई चीज छूट तो नहीं रही है तो बेहतर है । अगर हम उसी तजवीज को एडाप्ट करते (अपनाते) हैं तो इसके मानी हैं कि हमने क़ानून के दोनों रुख सामने नहीं रखे । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उजलत की जा रही है, लेकिन आप पहले यह बता दीजिये कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कानूनी मशवरा लिया है या नहीं और अगर लिया है तो वह क्या है । देखना है कि किस प्वाइण्ट आफ ला (विधि-बिन्दु) पर अब गिरफ्तारी हो सकती है । यह भी देखने की जरूरत है कि किस निजा पर दोबारा एरैस्ट या ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है । इस पर भी गौर करना है कि जैसा श्री खुशवक्त राय जी ने कहा था कि इस तरह की तमाम कार्यवाही प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के बाद लेप्स (निरस्त) हो जाती है । हालांकि इस पर हम को रूलिंग मिल चुकी है, लेकिन जब मामला बाहर जायगा तो वहां जिस तरह से कि एक काम हमने किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उस के खिलाफ दिया और इसी तरह से अगर यह रूलिंग जो हुई है कि प्रोरोगेशन के बाद.....

माननीय अध्यक्ष---मैं इसको कहने की इजाजत नहीं दूंगा और जहां तक इस सदन का ताल्लुक़ है इस रूलिंग को मानना ही है ।

श्री अब्दुल बाक़ी---चूंकि अभी क़ानून के इस रुख पर मशविरा नहीं आया है इस वास्ते सही राय यही है कि इस तजवीज को इस वक्त मुल्तवी किया जाय और तरमीम

को मंजूर किया जाय और फिर आइन्दा मौका कब होगा यह तो जनाबवाला और उस तरफ के बैठने वाले ही फ़ैसला करेंगे और अगर लेना ही है तो फिर दोबारा कानूनी मशविरा लेने के बाद इसको लिया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की मुआफ़िक़त और इस रिज़ोल्यूशन की मुखालिफत करता हूं।

श्री हरगोविन्द पन्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है उसके संबंध में केवल मुझे यह कहना है कि उन का जो अभिप्राय है वह इस बात से भी पूरा हो सकता है कि हम इस समय इस सदन की राय को जो रिपोर्ट आई है उस पर प्रकट कर दें और पनिशमेंट (दंड) के बारे में बिचार करने के लिये भविष्य में इस बात को मुल्तवी कर दें। इससे उन का अभिप्राय पूरा हो सकता है। इस समय केवल इस पर विचार करने का प्रश्न है और वह विचार इस भवन में इतने समय से हो भी रहा है। कम से कम भवन की क्या राय है कि जो रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी ने भेजी है उस पर सदन की राय तो प्रकट होना ही चाहिये ताकि नैतिक समर्थन उस रिपोर्ट का भवन प्रकट कर दे। इसलिये मैं समझता हूं कि श्री त्रिलोकी सिंह जी अपने इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो बात अभी फ़रमायी उसमें जो मैं चाहता था वही बात है लेकिन वे चाहते हैं कि मैं अपने इस संशोधन को कि "विचार स्थगित किया जाय" वापस ले लूं और इस लिये कि उनका प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जो प्रस्ताव सदन पारित करेगा उसमें सजा के प्रश्न को उठा रखा जायगा। वह एक आगे की बात है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वह यह था और वही मेरी दिक्क़त अभी है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी काम हो उससे इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों को और उसके मान को ऊंचा किया जाय। मेरा जो प्रस्ताव था वह महज इसी नियत से था कि बहुत सोच समझ कर यह आदरणीय सदन जो कुछ भी कार्यवाही इस सिलसिले में मुनासिब समझता हो वह करे। माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो फ़रमाया उससे यह मालूम होता है कि मेरे दिल में जो विचार था उसको आगे जो यह सदन फ़ैसला करने जा रहा है उसमें उसका लिहाज रखा जायगा। जरा सी दिक्क़त की बात है। मैं अगर उस प्रस्ताव की शक्ल देख लेता तो मेरे लिये बड़ा आसान हो जाता।

(माननीय सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्यों ने उस प्रस्ताव को देखा।)

माननीय अध्यक्ष---माननीय नेता विरोधीदल ने मैं समझता हूं कि अब फैसला कर लिया होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह---मुझे देर इसलिये हुई, श्रीमान्, आपकी सेवा में अर्ज़ करने से कि कई साथी चाहते थे कि उसे देख लें। यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें सभी की दिलचस्पी है और इसलिये मैं आपसे दो, तीन मिनट की मोहलत चाहूंगा। श्री जमशेद अली खां साहब भी चाहते हैं कि उसे देख लें। मुझे इसका मौका नहीं मिला था कि मैं माननीय सदस्यों से इस संबंध में कुछ सलाह कर सकूं।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव का मसविदा मुझे मिला उस पर इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों से सलाह कर लेने के बाद मैं अब आपसे इस बात की इजाज़त चाहूंगा कि जो संशोधन मैंने पेश किया था उसे वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर, जिसके अनुसार २९ सितम्बर, १९५१ ई०, के प्रकाशित बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" के प्रकाशक व मुद्रक श्री होमी दीनशा मिस्त्री, इस सदन के अध्यक्ष की मानहानि के अपराधी हैं, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

"ब्लिट्ज" के सम्पादक श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का अपराधी ठहराने के सम्बंध में प्रस्ताव

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)—जनाबवाला, मैं चाहता था कि मूव करने के पहले कुछ अर्ज करता, लेकिन चूंकि यह गालिबन हाउस के हर हिस्से से मंजूर इस तहरीक के होने जा रही है लिहाजा कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी तहरीक यह है। अभी तरजुमा नहीं हो सका है बाद में हो जायगा।

"This House accepts the finding of the Committee of Privileges dated 18th January, 1952, and adjudges Sri Homi Dinshaw Mistry to be guilty of contempt of the House and requests the Speaker to issue necessary process for his presence at the Bar of the House for receiving such punishment as the House may determine after hearing such submission as he may wish to make."

[यह सदन विशेषाधिकार समिति के १८ जनवरी, सन् १९५२ ई० के विनिश्चय को स्वीकार करता है और श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का अपराधी ठहराता है और अध्यक्ष से प्रार्थना करता है कि वे उनके (श्री मिस्त्री के) सदन के "बार" पर उपस्थित होने के लिए और ऐसा दंड पाने के लिये, जो सदन उनके स्पष्टीकरण को, जो भी वह प्रस्तुत करना चाहें विचार में लेकर तय करें, आवश्यक आदेश जारी करें।]

इस तहरीक के जरिये से, जो रिपोर्ट कमेटी आफ प्रिविलेजेज की है वह मंजूर की जा रही है। सिर्फ यह कि क्या सजा उनको दी जावे यह इस वजह से मुल्तवी किया जा रहा है कि वह आ करके जो कुछ उनको कहना है अपनी सफाई में वह उसको बयान कर सकें ताकि हाउस को मौका मिले कि फैसला कर सकें कि कितना और किस किस्म की सजा उनको दी जावे। चूंकि यह ला आफ क्रिमिनल जस्टिस का बहुत एलीमेंट्री रूल है कि किसी के एबसेंस (अनुपस्थित) में नहीं होना चाहिये, हालांकि यह जाहिर है कि मिस्टर मिस्त्री को आज के लिये हाजिर होने का हर किस्म का मौका था लेकिन उन्होंने अपनी किसी मसलहत की बिना पर आज यहां हाजिर होना पसन्द नहीं किया।

ऐसी सूरत में उन को एक मौका और दिया जाता है कि अब भी वह आना चाहें तो आकर के अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। इतना ही मुझको अर्ज करना है। मुझे उम्मीद है कि इस तजवीज को पूरा हाउस मंजूर करेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री ने अभीस उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने इसी सिलसिले में जो विचार इस आदरणीय सदन में प्रगट किये थे उन का बहुत कुछ समाधान माननीय न्यायमंत्री के प्रस्ताव से हो जाता है। मैं इस सिलसिले में यह बात बिलकुल साफ निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कि इस सदन की प्रिविलेजेज का प्रश्न है उन पर निर्णय देने का अधिकार सम्पूर्णतया इसी आदरणीय सदन को है। किसी दूसरी अथारिटी को नहीं है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो और यह इस आदरणीय सदन का कर्त्तव्य है कि वह विचार करें कि अपने विशेषाधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाय, उस सिलसिले में जो मुनासिब कार्यवाही वह अमल में लाये। साथ ही साथ मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहां तक कि इस मामले का प्रश्न है जो कुछ ब्लिट्ज अखबार ने निकाला वह साधारण तौर पर ऐसा मालूम होता है कि उसमें स्पीकर महोदय के ऊपर कुछ आक्षेप किया गया है और यह इस प्रकार का आक्षेप स्पीकर का अवमान नहीं है, किसी एक सदस्य का अवमान नहीं है, बल्कि पूरे हाउस का

अवमान है और उसके विशेषाधिकारों की अवहेलना है और हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा हर प्रकार से की जाय । मैं यह समझता हूं कि जब माननीय उपाध्यक्ष ने अपना प्रस्ताव पेश किया था तब उस समय इस बात का भी हवाला दिया था कि ब्लिट्ज अखबार में कुछ ऐसी खबर निकली थी, जिस समय कमेटी ने उनको नोटिस इश्यू (जारी) किया था कि वह आकर कमेटी के सामने सफाई दें तो उन्होंने ताकीद भेजी थी कि वह वहां जाकर कमेटी के सामने इस सिलसिले में सफाई दे दें। यहां तक उसमें लिखा हुआ था कि अगर इस सिलसिले में रेग्रेट एक्सप्रेस (खेद प्रकट) करने की जरूरत हो तो वह भी कर दें। मैं समझता हूं कि किसी जिम्मेदार अखबार को किसी भी नागरिक को इस बात की जैसे कि हम को इस बात की, फिक्र है कि इस सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना न हो, उसकी रक्षा हो, वैसे ही इस देश के जितने भी नागरिक हैं और अखबार हैं उन को भी हम से कम फिक्र नहीं है कि इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा हो। उसका किसी प्रकार अवमान न हो। मैं मुल्तवी करने के प्रस्ताव के द्वारा यही चाहता था कि उस अखबार के जो मिस्त्री साहब हैं या जो भी हों उन को पूरा मौका दिया जाय कि वे इस सिलसिले में यदि कुछ कहना चाहें तो आकर कहें।

जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें इस की गुंजाइश रखी गयी है कि मिस्त्री साहब यहां आकर अपने सिलसिले में जो कुछ भी कहना चाहें वह कहें। उनको इस बात का मौका दिया जायगा । मैं इसमें यह भी अर्ज करूं कि साधारण तौर पर यह विचार है कि एक बार जब इस आदरणीय सदन ने यह फैसला दे दिया कि कंटेम्ट आफ हाउस (सदन का अवमान) हो गया तो अब उस फ़ैसले को पलटा नहीं जा सकता । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन को पूरा अधिकार है कि मिस्त्री साहब को सुनने के बाद अपने उस फैसले को भी रद कर दे कि इससे कोई कंटेंप्ट हाउस का नहीं होता है । तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जैसा कि साधारण तौर पर समझा जाता है कि एक बार ऐसा फैसला हो गया तो उसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। इस संबंध में हाउस के जो रूल्स (नियम) हैं उन में भी हर मौके पर गुंजाइश है कि आप का ऐसा निर्णय हो जाने के बाद भी यह आदरणीय सदन इस प्रश्न पर विचार करे और जो कुछ फैसला करना हो वह करें।

इसलिये मैं जो न्यायमंत्री ने प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, जो तरमीम इस वक्त आनरेबिल मिनिस्टर आफ़ जस्टिस ने पेश की है मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले मैं इस सिलसिले में एक दो बात जरूर अर्ज करूंगा। बेशक यह चीज अच्छी तरीके से यहां पर तय हो जाने की जरूरत थी कि इस अखबार के इस फेल को और इस बात को जो उन्होंने आनरेबिल स्पीकर के सिलसिले में खयाल जाहिर किये हैं उसको निहायत नफरत की निगाह से हम लोग देखते हैं और इस काबिल समझते हैं कि वह सजा के मुस्तौजिब हैं। लिहाजा इस तरमीम के जरिये से यह चीज साबित हो चुकी है कि यह हाउस पूरे तौर पर मुत्तफिक है कि जो कुछ आनरेबिल स्पीकर के मुताल्लिक कहा गया है वह इस काबिल है कि जरूर कहने वाले को सजा मिलनी चाहिये और सजा के काबिल चीज है । लेकिन जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस ने कहा है कि उनको फिर एक दफा मौका दिया जाय, गो उनको एक दफा मौका दिया गया था, लेकिन फिर मौका दिया जाय कि जो कुछ वह कहना चाहें, इस हाउस के सामने पेश करें हाउस को पूरा अख्तियार हासिल है कि जो सजा वह मुनासिब समझें इस सिलसिले में तजवीज करें।

यह सवाल मेरे खयाल में नहीं है कि जो कुछ हाउस ने राय तय कर ली है कि जुर्म सरजद हुआ उनकी जानिब से, इसके अन्दर दो रायें नहीं हो सकतीं और इस मसले पर दुबारा गौर नहीं किया जा सकता। अब तो देखना यह है कि वह क्या कहते हैं अपनी सफाई में और उनकी सफाई के बाद हमें यह तय करना है कि उनको क्या सजा दी जाय। यह मसला हरगिज

[नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां]

तय करना नहीं है कि आया यह चीज काबिले इल्जाम थी या नहीं थी । यह मसला तो आज पूरे तौर से तय हो गया है कि हाउस इसको काबिले इल्जाम समझता है और मुस्तौजिब सजा समझता है जिसकी जबान से या कलम से इस किस्म के अल्फाज निकले । सिर्फ यह मसला रह जाता है कि एक और मौका उनको सफाई का दिया जाता है और उसके बाद हाउस को यह तय करना है कि किस नौइयत की सजा दी जाय यानी सजा की तफसील तय करना है। इन अल्फाज के साथ में पूरेतौर पर इस तजवीज की ताईद करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । आप इस बात को शायद मानेंगे कि जिस दिन आपका चुनाव इस भवन के अन्दर हुआ था इस उच्च पद के लिये उस दिन भवन में सब तरफ से एक मत से प्रसन्नता जाहिर की गयी थी । इस बीच हममें से प्रत्येक ने इस बात का प्रयत्न किया कि आप की मान मर्यादा इस भवन की मान मर्यादा है। हमने इस भवन में न मालूम कितनी बार एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कड़ी से कड़ी आलोचना की, लेकिन यह हमेशा महसूस किया कि जहां तक आपके इस पद का ताल्लुक है हमारा हमेशा यह विश्वास रहा कि आपका हमेशा निष्पक्षता के साथ व्यवहार रहा है । गो हमारी पार्टी के लोग दो-चार ही सदन में रहे, लेकिन कभी भी हमने यह महसूस नहीं किया कि भवन के हुकूमत के पक्ष में बैठने वाला इतना बड़ा समुदाय किसी भी मौके पर कोई ज्यादती कर सके। इसका श्रेय मैं दे सकता हूं आपके निष्पक्ष होने का। हमने हमेशा इस बात को महसूस किया है और अब भी विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ब्लिट्ज ने जो कुछ निकाला उससे आपका और इस भवन का अपमान हुआ, इसमें दो रायें नहीं हैं। यह इलजाम लगाना कि जब कभी इस भवन के अन्दर कोई मसला आता है, उस वक्त आप स्वयं कोई निर्णय न करके सदैव हुकूमत की तरफ निगाह रखते हैं यह बात मुनासिब नहीं है। मैं मान सकता हूं कि कोई व्यक्ति भवन में न हो और उसे कोई शिकायत आप से रही हो और इस तरह से यह अल्फाज आप के लिये लिख दिया हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस भवन में बैठने वाले माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या चाहे उधर के हों हर व्यक्ति यह कहेगा कि हमेशा आपने निष्पक्ष भाव से काम किया है।

मैंने भी जब ब्लिट्ज अखबार देखा मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि वास्तव में अगर यह देखा जाय और सच्चे और ठंढ़े दिल से विचार किया जाय तो मेरा विश्वास है कि ब्लिट्ज के सम्पादक भी अपनी जगह पर शायद और शायद क्यों मैं यक़ीन से कह सकता हूं कि उनको भी वह चीज पसन्द नहीं है, क्योंकि उस अखबार में यह बात भी शाया हुई है क्योंकि उसी समय जब कि आप का खत ब्लिट्ज के पास पहुंचा उसी वक्त उन्होंने अपने लखनऊ के सम्बाददाता के पास लिखा और उसमें उन्होंने यह भाषा इस्तेमाल की कि वह यहां पर कमेटी के पास जायें और इस मामले में मिल कर बातें करके रफा-दफा कर लें । इससे मेरा अपना खयाल यह है कि जहां तक ब्लिट्ज के सम्पादक का ताल्लुक था उसकी बातचीत से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने भी अपने दिल में यह महसूस किया कि हमारे यहां एक ऐसी चीज छपी जो कि खत्म होनी चाहिये, तो उन्होंने अपने सम्वाददाता को लिख दिया कि तुम ऐसा करो। मेरे खयाल में उनके दिल में यही असर रहा होगा और इसीलिये उन्होंने इस काम को किया होगा, लेकिन मैं इतनी गलती उनकी जरूर मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपने सम्वाददाता के पास लिखा अगर उसकी एक प्रति आपके पत्र के जवाब में आपके यहां भी भेज देते तो इस तरीके से इस कमेटी को शायद न करना पड़ता और शायद उसकी यह राय होती कि जहां तक ब्लिट्ज के सम्पादक का ताल्लुक है उसकी खेद भावना है और उसने भवन का अपमान करने की ग़रज से इसको नहीं छापा । मैं यह मानने के लिये अब तैयार नहीं हूं कि उन्होंने जिद से इसको लिखा होगा । हां, इसके लिये मुझे अफसोस है कि ब्लिट्ज के स्थानीय सम्वाददाता ने उस चीज को विशेषाधिकार समिति को नहीं पहुंचाया और वे इस गलतफहमी में थे कि बात आपको पहुंच गई और प्रिविलेज कमेटी के बिल

र यह असर पड़ा कि उनकी जिद है। जिस जिद की वजह से उन्होंने यह बात नहीं की और एक संघर्ष जिसे कहते हैं इस भवन के और ब्लिट्ज के सम्पादक के बीच में शुरू हो गया है। उसके बाद की जो घटनायें हैं व सारी एक मामूली सी खेद भावना के साथ सुलझाई जा सकती थीं। उसमें कटुता आ गई इसमें कोई शक नहीं है कि कल आपने एक मौका दिया कि वह इस भवन में आयें और सफाई दें और मेरा ख्याल है कि भवन ने काफी मौका दिया। मैं समझता हूं कि भवन ने सही काम किया है। और आज भी इतनी सब बातों के बाद भी आपने उनको एक और मौका दिया। वह आज भी नहीं आये इसके लिये आदरणीय सदन ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि उनको फिर एक मौका दिया कि वह इस भवन के सामने आयें और अपनी बात कहें। हम चाहते हैं कि उनकी बातें सुनकरके ही सदन इस बात का फैसला करे कि वास्तव में क्या करना है। मैं अपने दिमाग में बिलकुल स्पष्ट हूं कि जहां तक इस चीज का फैसला है कि आपका और सदन का अपमान हुआ इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। अब सवाल यह आयेगा कि हम आगे का प्रोसीजर क्या अख्तियार करें। इसके संबंध में मैं अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि सवाल बार-बार यह आता है कि उन्हींको यहां लाया जाय और उनको सुनने के बाद कोई फैसला करें। मैं केवल इतना चाहूंगा कि जो भी क़दम हम उठावें काफी सोच समझ कर उठावें। कहीं ऐसा न हो की असल मसला जो है वह तो पीछे रह जाय और क़ानूनी अड़चनों की वजह से दूसरे मसले हमारे सामने आजायें। अंत में मैं इस सदन के जरिये खासतौर से ब्लिट्ज के सम्पादक से अपील करूंगा कि जहां सदन बार-बार इस बात की सद्भावना दिखलाना चाहता है कि आप आवें, अपनी बात कहें और इस बीच में जो कुछ हो गया जिसकी वजह से एक कटुता सी आ गयी, मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को नजरअन्दाज कर दे। जो एक जिद शुरू हो गयी थी और जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट से छूट गये थे, उनके दिल में यह ख्याल पैदा हो कि मेरे लिये जो कटघरा बना था वह खाली रहा और हम छूट गये। अब हम क्यों उसके अन्दर जा कर खड़े हों, ऐसा सोचना गलत है।

मेरा अपना ख्याल है कि सदन ने एक सही क़दम उठाया है। कोई क्रोध से नहीं बल्कि सद्भावना से हमने यह मौक़ा दिया था, इसी तरह से मेरा विश्वास है ब्लिट्ज के सम्पादक उसे उसी माने में लेकर उस सद्भावना की कद्र करेंगे और यह भवन उनकी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहता, लिहाजा उनका फ़र्ज हो जाता है कि वह अपनी बात आ कर कहें। मैं भी इसी बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश की जो प्रजातंत्र की नींव है उसकी रक्षा करने के लिये जरूरी है कि हम इस सदन के अधिकारों की रक्षा करें और तभी हम प्रजातंत्र राज्य का गौरव बढ़ा सकते हैं। पत्रकार कला जो है उसकी भी उस गौरव के रखने में उतनी ही जिम्मेदारी है और यह गौरव तभी बढ़ सकता है जब किसी मुल्क की पत्रकार कला और व्यवस्थापिका सभा दोनों मिल कर सद्भावना से काम करें। जितनी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस सदन के अन्दर प्रजातंत्र की रक्षा करें, उतना ही मेरा ऐसा विश्वास है कि पत्रकारों का भी फर्ज हो जाता है कि वह भी इस बात का ख्याल रखें कि जो आजादी उनको मिली है उसका वह दुरुपयोग न करें। सही तरीके की पत्रकारिता पर हमारे देश का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है। जो कुछ दुखद घटनायें हुई हैं उनको नजरअन्दाज करके भवन ने जिस सद्भावना से रास्ता अख्तियार किया है, ब्लिट्ज के सम्पादक भी उसे उसी रूप में लेकर एक उदाहरण पेश करें, ताकि ऐसी घटना न हो कि पत्रकार जगत् और भवन के बीच में कोई कटुता पैदा हो जाय जिससे हमारा देश एक ग़लत रास्ते पर चला जाय।

मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसको उसी सद्भावना के साथ लिया जायगा जिस सद्भावना का इजहार इस सदन ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन बातों को हमने सही समझा वहां पर सही कहा और जहां गलत समझा वहां गलत कहा। लेकिन

[श्री राजाराम शास्त्री]

जो बातें मैंने कहीं उनका यह मंशा कभी नहीं रहा कि इस सदन के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनका जो उच्चासन है, उसकी मान मर्यादा के खिलाफ हों। हो सकता है कि मेरे शब्दों से कोई ऐसा माने निकाले लेकिन मैं यह समझता हूं कि भाषा में गलत शब्द का प्रयोग भले ही हो गया हो लेकिन जहां तक भावना का ताल्लुक है मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि इस भवन की मान मर्यादा, गौरव की रक्षा करना हमारा सब का फर्ज है। उसी भावना को लेकर मैंने कहा होगा। इसी भावना से प्रेरित हो कर मैंने कहा और उसी भावना से प्रेरित होकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसी भावना को लेकर यह प्रस्ताव पास किया जाय, इसी में हमारे भवन का गौरव है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बी तक़रीर करनी नहीं है लेकिन जब इस किस्म का मसला सदन के सामने आता है तो मैं समझता हूं कि दो चार लफ्ज कहने मेरे लिये भी जरूरी हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री जी ने रखा है वह सबको मान्य है। हमारी सदन की कीर्ति और मान-मर्यादा को रखने के लिये यह जरूरी भी था कि हम सब इस तरह के मसले पर एक मत होते। जहां तक इस सदन की मान मर्यादा का सवाल है उसमें हम सब काम एक मत हो कर कर रहे हैं। क्योंकि वह किसी वर्ग या दल का सवाल नहीं है। वह तो हम में से कोई भी यहां हो, हर एक की जगह तभी कायम रह सकती है जब कि इस सदन की इज्जत और शान कायम रहे। अलग-अलग नजरियों से उन बातों को जो सदन की मान और मर्यादा से ताल्लुक रखती है देखना नहीं है बल्कि एक ही नजरिये से देखना है और मुझको वास्तव में इस बात का संतोष है कि यह जो प्रस्ताव इस सदन के सामने है वह सब को मान्य है और इस बात में सारा सदन एक मत है कि ब्लिट्ज में जो आक्षेप हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय पर किया गया है वह सर्वथा अनुचित है। इस बात को इस सदन का हर एक सदस्य मानता है और इस को मान कर इस बात को साफ कर दिया कि जहां तक इस मसले का सवाल है इस सदन के अन्दर कोई मतभेद नहीं है। इससे हमारी यह कतई इच्छा नहीं है कि ब्लिट्ज के साथ या किसी दूसरे के साथ हम अनावश्यक निष्ठुरता का व्यवहार करें। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सदन की मर्यादा बनी रहे और इसमें हम सब को सहायता पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रेस भी स्वतंत्र बना रहे।

प्रेस हमारे देश में एक शक्तिशाली संस्था है और प्रेस की स्वतंत्रता के जरिये एक और तरह से हम शासन का काम करते हैं। जहां हम डैमोक्रेटिक संस्था के रूप में काम करते हैं वहां हमको इनसे अधिक सहायता मिल सकती है। किसी देश के प्रेस को शक्तिशाली होने के लिये और उसकी शक्ति को कायम रखने के लिये इस बात की जरूरत है कि वहां की व्यवस्थापिका सभा की शान और शुद्धता बनी रहे क्योंकि उन्हीं के जरिये प्रेस की भी स्वतंत्रता कायम रह सकती है। अगर उनकी शान नहीं रहती है तो प्रेस की भी स्वतंत्रता और आजादी में कमी आ जाती है उनके भी नीचे एक खाई खुद जाती है। इसलिये दोनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो, हरएक की शान कायम रहे। एक दूसरे का अनादर करना अच्छा नहीं है। समालोचना करना एक बात है लेकिन किसी के खिलाफ यह कहना कि वह शख्स स्वतंत्रता से काम नहीं करता है यह उचित नहीं है यह किसी को जेब नहीं देता। कितने ही जोरदार शब्दों में कोई बात कही जाय मगर इस क़िस्म की बात कही जाय जिससे दूसरे की ईमानदारी, बेलाग काम करने, शुद्ध विचारों से काम करने पर आक्षेप हो। तो वह सर्वथा बेजा और अनुचित है। इसलिये यदि इस सिलसिले में स्पीकर साहब को कोई कार्यवाही करनी पड़ी तो कोई व्यक्तिगत रूप से उसका जात का सवाल नहीं है, बल्कि इसलिये कि इस सदन की जो कुछ भी शान है वह पूरी तरह से यदि कायम न रहे तो फिर इस सदन की बातों का जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। हमारा काम चाहे कितने ही अच्छे ढंग से किया जाय उनमें गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिये यह सिर्फ इस गरज से नहीं कि किसी को खास दंड देने का कोई विचार हो, बल्कि आइन्दा जो काम हो उसके लिये यह जरूरी हो जाता है और असल में इस बात के

लिये अब हम सब को ज्यादा सजग रहना है क्योंकि इधर बहुत जगह के अखबारों में बाज वक्त ऐसी बातें आ जाती हैं कि जिनसे फायदा किसी का नहीं होता और हम सब का स्तर कुछ नीचे गिरता है। इस तरह की चीजें बन्द होनी चाहिये। समालोचना कड़ी से कड़ी हो, इसकी बात नहीं है लेकिन जातिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये। गैर ईमानदारी से उनके ऊपर हमला होना यह ठीक नहीं है।

जहां तक कि सारे सादन का ताल्लुक है, सदन के जो सर्वोच्च अधिकारी यहां के अध्यक्ष हैं, अगर उनका अपयश किसी तरह से किया जाता है तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि इसके ऊपर कार्यवाही की जाय। इस संबंध में अगर कोई बात की गयी तो वह काफी सहिष्णुता और सब्र के साथ की गयी। पहले नोटिस दी गयी, उसके ऊपर जब वह नहीं आये तो फिर नोटिस दी गयी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानूनी मसले के बारे में इस हाउस में कोई वाद-विवाद करना उचित नहीं है। उसके बाद आज उनको फिर बुलाया गया। लेकिन वे नहीं आये। मगर फिर भी यह समझा गया कि एक मौका और दिया जाय और अगर वे नहीं आवेंगे तो हमारा हाथ तो खुला हुआ है। जो हम आज कर सकते हैं वह फिर बाद में भी कर सकते हैं। मगर वे फिर इस बात की शिकायत नहीं कर सकेंगे कि उनके साथ फय्याजी का बर्ताव नहीं किया गया। और हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं बल्कि एक भलमनसाहत का व्यवहार भी करना चाहते हैं। अगर इस पर भी वे ऐसा करें तो फिर इस हाउस की कोई कोताही नहीं होगी और इसके लिये फिर वे ही जिम्मेदार रहेंगे। इस बारे में कोई शुबहा नहीं है कि हाउस के माने यह है कि हमारी असेम्बली जो आज है, अगर इस बीच में बदल जाय, जब तक कि यह मामला तय न हो डिजाल्व (भंग) हो जाय या प्रोरोग (अनिश्चित काल के लिये बैठक थगित) हो जाय तो फिर असेम्बली जो होगी उसको भी यही अधिकार होगा जो कि आज की असेम्बली को है। जो कार्यवाही इस संबंध में की गयी है उस जगह पर हम रुकते हैं तो फिर जो दूसरा हाउस बनेगा वह इसके लिये जिम्मेदार होगा और उसका यह फर्ज होगा कि उसको आगे बढ़ाये और उसके मुताबिक अमल करे। इस बारे में मैं समझता हूं कि यहां कोई किसी तरह का शुबहा नहीं है और न इख्तलाफ राय है, इस खयाल से इस तजवीज को पेश कर रहे हैं।

मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि जहां तक सदन का, स्पीकर का और गवर्नमेंट का ताल्लुक है किसी तरह से मिस्त्री साहब, ब्लिट्ज के सम्पादक और सहायक सम्पादक को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। उनको एक बहुत अच्छे होटल में रखा गया और जो भी उनसे मिलना चाहता था उनसे मिलने का मौका दिया गया, उन्हें बाहर घूमने की भी इजाजत दी गयी। तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई ऐसी बात हुई है जो अपमान-जनक या तकलीफदेह हो। यह अफसोस की बात जरूर है कि उनको बम्बई से यहां लाना पड़ा लेकिन लखनऊ भी एक अच्छा शहर है। दो चार दिन के लिये यहां आना कोई बात नहीं है हवाई जहाज से आने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। मगर इसकी भी जिम्मेदारी हम पर नहीं हो सकती है। अगर पहली मर्तबाही वह आ जाते या कुछ लिख कर ही दे देते कि हम फलां तारीख को आवेंगे तो भी उनको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ती और हमें भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मगर मजबूर हो कर इस किस्म की कार्यवाही करनी पड़ी जिससे उनको तकलीफ पहुंची। जो कुछ भी तकलीफ हुई है उससे मैं समझता हूं कि आयन्दा वह समझेंगे कि ऐसे मामले में फौरन् ही कुछ न कुछ जवाब दे देना बेहतर है और उसमें किसी तरह की ढिलाई या कोताही करना कोई फायदेमन्द बात नहीं है। जहां तक इस मसले का सवाल है वह तो साफ कर दिया गया है। उनको मौका दिया जायगा और उनको जो कुछ मौका दिया जा रहा है उससे वह फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर वह भी न चाहें तो स्पीकर साहब को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे उनको मौका दें कि जिससे यहां पर अपने स्पष्टीकरण के लिये आ सकें। यह एक मानने के लायक बात है और सब ने इसको माना है। लीगल रिमेम्बरेन्सर (सरकारी कानूनी अधि-

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कारी) की जो राय थी वह तो आपके सामने रख दी गई । मैं उम्मीद करता हूं कि इसका "व्लिट्ज" पर असर होगा और यहां पर उनके साथ जो हमदर्दी जाहिर की गयी है उसका उनको खयाल होगा । इस सदन के सब माननीय सदस्यों की यह राय है कि जो लेख था, वह हमारे स्पीकर पर आक्षेप है और निन्दनीय है। इस बात को उनको मान लेना चाहिये कि आइन्दा के लिये ऐसी बात न होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सदन की शान हमेशा ऊंची रहेगी और उस शान को ऊंची बनाने में हममें से हरएक पूरी कोशिश करेगा और कभी कोई कोताही किसी किस्म की नहीं रखेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के १८ जनवरी, सन् १९५२ ई० के विनिश्चय को स्वीकार करता है और श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का अपराधी ठहराता है और अध्यक्ष से प्रार्थना करता है कि वे उनके (श्री मिस्त्री के) सदन के "बार" पर उपस्थित होने के लिये और ऐसा दंड पाने के लिये जो सदन उनके स्पष्टीकरण को जो भी वह प्रस्तुत करना चाहें विचार में लेकर तय करें, आवश्यक आदेश जारी करें ।

अंग्रेजी में यह इस तरह है—

"This House accepts the finding of the Committee of Privileges dated 18th January, 1952 and adjudges Sri Homi Dinshaw Mistry to be guilty of contempt of the House and requests the Speaker to issue necessary process for his presence at the Bar of the House for receiving such punishment as the House may determine after hearing such submission as he may wish to make."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के विघटन से पूर्व विदाई सम्बन्धी भाषण

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन की यह आखिरी बैठक मालूम होती है। अब इसके बाद जो कि हाल में चुनाव हुये उनके अनुसार थे अब नये ढंग से सदन की कार्यवाही होगी और एक दूसरा अध्याय शुरु होगा । मैंने इस बारे में कुछ थोड़ा सा जिक्र अपने बजट के भाषण में भी किया था, पर आज जब कि हम बिदा हो रहे हैं कम से कम जहां तक इस हाउस का संबंध है मैं समझता हूं कि मेरा यह फ़र्ज़ है कि इस सदन के सभी सदस्यों को और विशेषकर जो कि हमारे सामने की बेंचों पर बैठने वाले हैं उनको धन्यवाद दूं। हम ने कई सालों से यहां काम किया और उस काम को करने में हमने अपनी बुद्धि और विचार के मुताबिक अपने इस प्रदेश की और अपने देश की और अपनी जनता की सेवा करने का यत्न किया । उस में हमारे विचारों में हमारी परेशानियों को हल करने में बहुत अंश तक आपस में एक मत भी रहा और कभी-कभी हम में एक दूसरे से मतभेद भी हुआ और कभी-कभी वह मतभेद तीव्र भी हुआ, परन्तु यह तो किसी भी जीती जागती संस्था में जहां तक अपने मन और अक्ल को काम में ला कर लोग जो सवाल उनके सामने आते हैं उन पर गौर करते हैं तो ऐसे मतभेद का होना लाजिमी और अनिवार्य है और यह न हो तो हम सब को इतनी संख्या में बैठ कर काम करने का पूरा लाभ ही नहीं हो सकता है। कभी-कभी तीव्र मतभेद होने पर भाषा भी कुछ जोरदार हो सकती है और उसका भी एक संस्था में होना एक तरह से बाज़ समय में आवश्यक सा हो जाता है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमारे बीच सदैव एक सद्भाव रहा और हमने अपनी-अपनी तरफ से अपने नुक्तेनिगाह को सामने रखते हुये देश की सेवा करने का यत्न किया है।

इस में मतभेद हो सकता है, मुख़तलिफ राय हो सकती हैं कि जो कुछ भी काम किये गये वे सभी ठीक ढंग से किये गये या नहीं और सब उन्हीं कामों को करते या नहीं और अगर उनको भी करते तो उसी तरीके से करते या नहीं जिस तरीके पर हम लोगों ने कर नेकी

कोशिश की। हमारा दावा कभी नहीं रहा और आज भी नहीं है कि हमने कोई ग़लती नहीं की और न कोई यह दावा है कि हमने जो कुछ किया उस से इतना काम हुआ कि आइन्दा के लिये सब सहूलियतें हो गईं। मैंने तो बजट में भी कहा था और अब भी कहता हूं कि जो कुछ हमने किया है और जिन हालात में हमने काम किया है उनमें हम ज्यादा काम करने में कामयाब न हुये हों पर जो कुछ भी हमने किया है वह यह भी समझा जाय कि इन वाक़यात में इतना ही हो सकता था, वह कोई काफी और ज्यादा नहीं है। हमारे मुल्क में लोगों को तरह-तरह की तकलीफें हैं, लोगों को हर तरह की परेशानियां हैं और उन सब को हमें अभी दूर करना है और उन तकलीफों को दूर करना ही नहीं है बल्कि लोगों के आराम व आसायश को बढ़ाना है और उनकी जिन्दगी के मयार को ऊंचा करना है और सब के भावों और दिलों को इस तरह से एक करना है कि जिससे सब एक हो कर अपना काम कर सकें। इन सब बातों के लिये इस बात की जरूरत है कि चाहे हम सब यहां हों या न हों, चाहे हम में से कुछ लोग यहां न हों तब भी हम सब यथासंभव जहां तक हो सके मिलजुल कर काम करें क्योंकि जो समस्यायें हमारे यहां की अन्न, वस्त्र, मकानों की और रहन-सहन की है वे सब ऐसी हैं जिनके बारे में कोई मदभेद नहीं होता। और हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। मुझे तो सबको धन्यवाद देना है और खास कर, जैसा मैंने पहले कहा था, जो कि मुख़्तलिफ विरोधी दल बने हैं उनके नेता जो हैं उनके प्रति तो मुझे और भी अधिक अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी है। हमने काम करने में एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की है और उससे हम कुछ आगे बढ़े हैं। अभी हमको फिर भी आगे काम करना है। परन्तु इस बात की जरूरत है कि जिस अवस्था में आज हैं उसमें जहां-जहां भी हमारा मेल हो सके उन बातों पर ज्यादा जोर दें, बमुक़ाबले उनके जिनमें कि हमारे विचार पूरी तरह से एक न हों क्योंकि किसी भी जीवित संस्था में, विचारशैली में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का या दलों का भेद होना तो शायद अनिवार्य होता है। परन्तु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें कोई मतभेद नहीं होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस सदन के सदस्य जो हैं चाहे यहां रहें चाहे बाहर रहें वे उदारता से अपनी सहायता देते रहेंगे। जो कुछ अब तक यहां कार्य हुआ है, यदि कोई जनहित का कार्य हुआ है तो उसका श्रेय केवल गवर्नमेंट को ही नहीं है, उसका श्रेय तो इस सारे सदन को है और के विरोधी दल को भी उतना ही है जितना कि हम लोगों को है क्योंकि सब ने मिल कर उन बातों को किया है, किन्हीं न संशोधनों के जरिये से और किन्हीं ने प्रस्तावों के जरिये से।

हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ है, चार साल के क़रीब हुये। दुनिया की हालत अब भी एक तरह से उलझन की है। बड़ी बड़ी शक्तियां परस्पर विरोधी हैं और उनका एक दूसरे पर अविश्वास ही नहीं है बल्कि एक दूसरे से खिंचाव-तनाव रहता है। हमें अपनी स्वतंत्रता को दृढ़ करना है। अपने देश में जो सदियों की दासता की अवस्था में कमियां रही हैं उनको पूरा करना है और इस बड़े देश को ऊंचा उठाना है। हमारे आपस में मदभेद होते हुये भी सद्भाव की आशा है और जहां भी उसके लिये अवसर हो, मिल जुल कर काम करने की जरूरत है।

मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं चाहे वे इधर के हों और चाहे उधर के हों और यह आशा करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब अपने देश को आगे ले जाने में और स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सब से ऊंचा स्थान होना चाहिये उसे प्राप्त करने में परस्पर सहयोग और सहायता देने में सफल हों।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो उद्गार अभी प्रकट किये उनसे मैं अपनी सम्पूर्ण सम्मति प्रकट करता हूं। मुझे इस सदन के द्वारा पिछले ६ वर्ष सेवा करने का मौक़ा मिला। और यह मेरा सौभाग्य था कि इन ६ वर्षों में मुझे इस सदन के दोनों हिस्सों में शरीक होने और बैठने का मौक़ा हासिल हुआ। जो कुछ भी इन चार वर्षों में काम हुआ उससे मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि हमारे प्रदेश की तरक़्क़ी हुई, हमारे प्रदेश की गति आगे बढ़ी और इसका रुख उस तरफ हुआ कि जिससे इस प्रदेश की रहने वाली ६ करोड़ जनता की समस्यायें थीं जो दिक्कतें थीं उनके दूर होने में सहायता

[श्री त्रिलोकी सिंह]

होगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे आने वाला सदन उन तमाम कामों को जिनको कि यह सदन नहीं कर सका और उन तमाम बातों को जो इस प्रदेश की तरक्की के लिये जरूरी है उन्हें सफलतापूर्वक और कामयाबी से करेगा। श्रीमन्, मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, मैंने सदा इस सदन के हर माननीय सदस्य में यह इच्छा पाई कि वह इस ढंग से काम करे, रुख और अन्दाज यह हो कि जिससे इस सदन के काम चलाने में सुविधा हो और सदन के ऊपर जो इस प्रदेश के राज्य के कार्य को करने का बोझ है उसमें सहूलियत पैदा हो। यह काम सफलतापूर्वक हुआ और उसका गौरव माननीय नेता सदन को प्राप्त है। यह माननीय नेता सदन की खूबी थी, यह उनकी कार्यकुशलता थी, यह उनकी होशियारी थी कि जिसने पिछले छः वर्षों के अन्दर इतने बड़े प्रदेश का इस प्रकार राज्य किया और इस-आदरणीय सदन में ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न लाये कि जिनसे इसमें किसी को भी संदेह नहीं कि हमारे प्रदेश और देश की प्रगति में बहुत बड़ी तरक्की हुई।

मैं आशा करता हूं कि और विश्वास दिलाता हूं अपने माननीय नेता सदन को और अपने दूसरे भाइयों को कि जो इच्छा, जो भावना जिससे कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य पिछले ६ वर्षों प्रेरित रहे हैं वह भावना उनकी आज भी है और उसमें कमी नहीं है, चाहे उनको इस बात का मौका मिले कि वह सदन में रह कर इस प्रदेश की सेवा करें या इस सदन के बाहर जा कर इस प्रदेश की सेवा करें। मेरा तो यह सौभाग्य था कि मैं इस सदन के दोनों हिस्सों में शरीक हुआ और अगर सौभाग्य होगा तो इस सदन के बाहर भी जा कर इस प्रदेश की सेवा करूंगा।

मैं इस सदन के माननीय नेता तथा दूसरे माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि जिनसे मुझे इस बात का गौरव पिछले ६ वर्षों काम करने का प्राप्त हुआ और श्रीमन्, साथ ही साथ मैं आपका भी कृतज्ञ हूं क्योंकि इस सदन का अध्यक्ष, उसके मान और हितों का रक्षक ही नहीं है बल्कि वह उसकी शान का भी द्योतक है और मुझे इस बात को इस मौके पर प्रकट करने में बड़ी खुशी होती है कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही को चलाने में जिस ढंग से आपने काम लिया उससे हमारे इस सदन का गौरव बढ़ा और मैं आशा करता हूं कि आइन्दा का जो सदन होगा और उसके बाद का जो सदन होगा वह इस आदरणीय सदन के ६ वर्षों के कार्य को और इस आदरणीय सदन को अच्छी निगाह से देखेगा और जो प्रथा इन ६ वर्षों में कायम हुई है उससे उसको अपने काम को चलाने में सहूलियत और आसानी पैदा होगी।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, जो कुछ लीडर आफ दि हाउस (सदन के नेता) ने इस जुदाई के सिलसिले में फरमाया है मैं उससे इत्तिफाक करता हूं। अलहदगी और जुदाई का वक्त यक़ीनन थोड़ा सा तकलीफदेह हुआ करता है, लेकिन मुझे मसर्रत है कि वह जिम्मेदारियां जो इस हाउस के मेम्बरान पर, जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं, आयद होती थीं वह बहुत अच्छे हाथों के अन्दर जा रही हैं और मुझे यकीन है कि आइन्दा वह साहबान जो इस सदन में आइन्दा आकर बैठेंगे वह मुल्क और कौम की खिदमत हम लोगों से कहीं ज्यादा अंजाम देंगे। इस हाउस के अन्दर मुख्तलिफ मजामीन पर, मुख्तलिफ मसलों पर मुख्तलिफ गुफ्तगुयें रहीं, बहस और मुबाहिसे हुये, लेकिन मुझे, जनाबवाला, निहायत मसर्रत है यह कहने की और इस तरफ के तमाम बैठने वाले गालिबन मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जितने मुबाहिसे यहां हुये वह निहायत अच्छे तौर के साथ, बहुत अच्छे लहजे में और बहुत दिलचस्प तरीके से हुये और कभी इस तरफ के बैठने वालों ने इसकी कोशिश नहीं की कि कोई दिल दुखाने वाली बात इस किस्म की अपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से हो कि जिसका असर बाद मे कायम रहे। जो भी इस तरफ से कहा गया हमेशा इस ख्याल को मलहूज रखते हुए कहा गया कि यह ऐवान अपने फरायज को खूबी के साथ अंजाम दे सके। न कि यह कि किसी जाती ऐतबार से कोई चीज कही गयी हो। मुझे बेइन्तहा खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूं और आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनट के तमाम हजरात का जिनसे

अपोजीशन को इस बात के सिलसिले में बहुत कुछ इत्तिफाक रहा है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जहां तक मुमकिन हो सके अपोजीशन की बात का ख्याल रक्खें और जहां तक उनसे हो सके, उन मामलात के अन्दर जितनी दूर तक जा सकें उनके साथ, इस का लिहाज और ख़याल रखें।

मैं जनाब वाला से अर्ज करूंगा कि इस हाउस के ऊपर वक्त आज जिसको मुद्दत तकरीबन खत्म हो रही है इसके ऊपर आजाद हिन्दुस्तान के बाद बड़ी जिम्मेदारियां थीं। बहुत से नये-नये मसायल जो पहले कभी पेश नहीं हुआ करते थे वह सब नये-नये मसायल इस हाउस के सामने पेश हुए और उनको हल करना और सुलझाना पड़ा।

मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि उनकी लीडरशिप और कयादत के अन्दर इस मुल्क की खिदमत निहायत खूबी के साथ अंजाम दी गयी। मैं इस तरफ के बैठने वालों की जानिब से अगर यह कहूं तो शायद बेजा न होगा कि—

दुवाएं दें मेरे बाद आने वाले मेरी वहशत को।
बहुत कांटे निकल आये मेरे हमराह मंजिल से।

गालिबन इस तरफ के बैठने वालों ने और इस हाउस के दोनों तरफ बैठने वाले मेम्बर साहबान ने जो खिदमत इस सिलसिले में अंजाम दी है वह गालिबन आइन्दा हमारे भाइयों के लिए जो इस हाउस में बैठेंगे जरूर सहूलियत की मूजिब होगी।

जनाबवाला, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जनाबवाला का शुक्रगुजार हूं। जनाब ने हम लोगों को इजहार ख्याल का पूरा-पूरा मौका दिया। निहायत आजादाना तरीके से, हर तरीके की बात का लिहाज रखते हुये आपने हम लोगों की कयादत बहैसियत स्पीकर के की और हम सब लोग शुक्रगुजार हैं कि जिस शान के साथ आपने जिस बेलौसी के साथ अपनी स्पीकरी के फरायज को अन्जाम दिया है, आपने ऐवान के वकार का हमेशा ख़याल रखा है और आपकी मौजूदगी से हमारे इस हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) बहुत ज्यादा ऊंची और बुलन्द हो गयी। मैं आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, साथ ही माफी का ख्वास्तगार हूं, खसूसन आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू साहब से जिन को मुझे इस हाउस में ज्यादा मुखातिब करने का मौका हुआ है और मैं यह कह सकता हूं कि जब कभी भी जिस किस्म की भी तकरीरें हुई हैं तो आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू की तरफ से गोकि वह बहुत ही अहम मसायल कम से कम हम लोगों के लिये थे और हमारे आइन्दा के खाने-पीने का दारोमदार उनके ऊपर था, तो वह तल्ख और कडवी बातें भी ऐसे लहजे में कहा करते थे कि वह भी नागवार नहीं हुआ करती थीं और मैं हमेशा उन की तकरीर सुनने के बाद यह कह दिया करता था—

लगती हैं गालियां भी तेरे मुंह से क्या भली।
कुर्बान जाऊं, फिर मुझे कहदे उसी तरह।।

हुजूरवाला, हम लोगों से जो कुछ खामियां हुई हों या जो कुछ हम लोगों की कमजोरियां हों, मुझे उम्मीद है कि आप और ट्रेजरी बैंचेज के बैठने वाले साहबान को कोई शिकवा या शिकायत का मौका इस तरफ के बैठने वालों से और खसूसन मुझसे और मेरी पार्टी की जानिब से हुआ हो तो मुझे उम्मीद है कि आप माफ फरमायेंगे। मुझे आज इस तरह का मौका हासिल हो रहा है, क्योंकि गालिबन मैं बहुत पुराने गुनहगारों में से हूं। सन् १९२० से बराबर मुझे इस सदन के हाजिरी का इत्तिफाक रहा है। इसलिये मेरी जात से गुनाह भी ज्यादा सरजद हुये होंगे। इसलिये मैं अपनी जानिब से ख्वास्तगार माफी हूं। बड़ी खुशी और मसर्रत के साथ हम सब ने इस इंतजाम की नाव को जिसका खेना कुदरत ने हमारे सुपुर्द किया था अपनी दानिश्त में हमने पूरी कुव्वत के साथ साहिले मुराद तक पहुंचाने की कोशिश की है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस अवसर पर जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आज जिस वातावरण में इस भवन को

[श्री राजाराम शास्त्री]

कार्यवाही समाप्त हो रही है वह भी इस बात का द्योतक है कि इस प्रकार से सरकार और विरोधी पक्ष के लोगों ने आपस के सहयोग के साथ काम किया है। ऐसे मौके भी कई बार आये हैं जब हमें कड़ी से कड़ी भाषा में हुकूमत के कार्यों की आलोचना करनी पड़ी है, लकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने कहा है वह अपना कर्तव्य या पालन समझ कर कहा है। हुकूमत ने जब कभी कोई ऐसा काम किया है जिसको हमने जनता के पक्ष में समझा है तो हमने बिना किसी बात के ख्याल के सरकार की नीति का पूरा पूरा समर्थन किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हमने महसूस किया है कि जनता की सेवा इस तरह से नहीं बल्कि दूसरे ढंग से की जा सकती थी तो उसी भावना से प्रेरित हो कर हमने हुकूमत की कड़ी से कड़ी आलोचना की है।

इस बात को हम जरूरी समझते हैं कि जहां एक तरफ हुकूमत का यह फर्ज है कि जनता की अधिक से अधिक सेवा करे और प्रयत्न करे कि जनता को अख्तियार प्राप्त हुये हैं जनतंत्र के बाद उनकी रक्षा होगी। वहां निश्चित रूप से हम मानते हैं कि उतनी ही जिम्मेदारी विरोधी पक्ष वालों के ऊपर भी है कि उन अधिकारों की रक्षा करें और प्रजातंत्रवाद को सूबे में फलत-फूलते देखें।

देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हमारा प्रदेश काफी आगे रहा है और स्वतंत्रता मिलने का श्रेय हमारे संयुक्त प्रांत को भी है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा प्रदेश आज सब से आगे बढ़ा हुआ है। और शासन की व्यवस्था की तरफ भी हमार प्रदेश का ध्यान रहा है। हमारे इस भवन में जो कार्यवाई हुई है, हमने वैधानिक तरीके के निर्णय किये उनकी तरफ देश का ध्यान गया। स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से हमने नाम पैदा किया है उसी तरह से स्वराज्य के बाद जब शासन करने का मौका आया है तब हमारा सूबा अच्छे शासक पैदा करेगा, जो दूसरे प्रदेशों के लिये नमूना होंगे।

मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हुकूमत और जनता के बीच में कभी-कभी संघर्ष भी हो जाया करता है और मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे देश की जो दशा है उसको देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि एक नैतिक पतन हमारा होता जा रहा है और इस वातावरण के बीच में चाहे सरकार को काम करना पड़े, चाहे हमको काम करना पड़े लकिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां हुकूमत कोई काम करती है हमने इस बात का सदैव ख्याल रखा है कि किन कठिनाइयों के बीच में हुकूमत को कार्य करना पड़ा है। जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको जनता के बीच में जा कर कार्य करना पड़ता है उनके सामने भी कठिनाइयां आती हैं। जनता की मुसीबतें होती हैं तो उनका निराकरण होना ही चाहिये, अगर उन पर किसी प्रकार का जुल्म होता है तो उसका विरोध होना ही चाहिये और जब कभी हमें या समाजवादी पार्टी के लोगों को हुकूमत की मुखालिफत करनी पड़ी है या जनता के संघर्ष को ले जाना पड़ा है तो मैं इस हुकूमत को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी आपकी नीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां तक जनता की सेवा करने की भावना का ताल्लुक है वहां तक तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना प्रदेश की उन्नति का ख्याल उधर के बैठने वाले लोगों को है उतना ही या उससे अधिक हम लोगों को भी है। अगर हमारे सूबे पर कभी भी कोई आंच आवेगी तो मैं हुकूमत को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी मौके पर चाहे वह आन्तरिक खतरा हो और चाहे बाहर का, जब कभी इस प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरे आवेंगे हम लोग जो सदैव हुकूमत की आलोचना करते हैं उन खतरों को रोकने के लिये हुकूमत के साथ रहेंगे। जहां मैं इस बात को कहता हूं वहां एक बात और यह भी कह देना चाहता हूं कि जैसी लोगों की हालत है उसमें जिस तरीके से भी बुरी परिस्थितियां चल पड़ती हैं वहां हमें कितनी ही परिस्थितियों में जनता की हालत को सुधारने के लिये कभी-कभी अवैधानिक तरीकों से भी आपका विरोध करना पड़ता है। कभी सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ता और कभी आन्दोलन करना पड़ता है, लेकिन उसके अन्दर यह भावना कभी भी नहीं है

है कि इस हुकूमत को या यहां की राज्य-व्यवस्था को नुक्सान हो या उसको कमजोर करना चाहते हैं नहीं तो सुधार के दृष्टि से ही यह काम करने पड़ते हैं। ऐसी हालत में मुझे हुकूमत से बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना पड़ता है कि अगर हमारे प्रान्त में कभी सत्याग्रह होते हैं या हमारे जैसे लोग जो जनता के पक्ष का संचालन करते हैं वह ऐसा कार्य करते हैं, जो जनहित की दृष्टि से होता है तो उसको ऐसी भावना से नहीं करना चाहिये जिसमें यहां कहीं भी यह मालूम पड़े कि हमने किसी और भावना से कार्य किया है। जैसा आज के अखबार में हमने पढ़ा कि दो-दो साल की कड़ी से कड़ी सजायें दे दी गयी हैं, तो जरूर यह विचार हुआ कि हम सब को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे हम अधिक से अधिक जनता की सेवा कर सकें और कायदे-कानून के खिलाफ काम न करें और जब मजबूरी की वजह से सत्याग्रह का सहारा लें तो उसमें भी दोनों पक्षों में कोई कटुता न आवे। सत्याग्रह तो हमारा एक आदर्श रहेगा और किसी भी मौके पर गांधी जी ने जो हमको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिये सत्याग्रह का मार्ग बताया, उसी को हम अपनायेंगे और उससे विमुख नहीं होंगे। हम सत्याग्रह की लड़ाई या जन-आन्दोलन इसी भावना से करते हैं कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, जनता के हितों की रक्षा के लिये यही सब से अच्छा हथियार है और अगर कभी उसका मौका आता है तो उसको भी उसी भावना से देखा जाय।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस भवन के अन्दर और मन्त्रि-मंडल के अन्दर और माननीय सदस्यों के अन्दर कई एक हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक मुझे शिक्षा दी है और कई बार तो इस भवन में जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा मालूम होता था कि कहीं निरादर न मान जायं, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि भवन के बाहर वे हमारे गुरु रहे हैं और आज भी मानता हूं लेकिन जहां भवन के अन्दर किसी भी कार्य के लिये कहीं मौका आ गया है उसमें जनता के हित में उनके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ी है और अक्सर उठानी पड़ी है तो मैं समझता हूं कि अगर हमने ऐसा किया है तो हमने कर्त्तव्यपालन की भावना से यह काम किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी अगर हमारे बुजुर्गों ने हमारा ध्यान किसी बात की तरफ दिलाया है तो मैंने उसको उसी रूप में मानने की कोशिश की है।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने अभी कहा था और फिर कहता हूं कि आपने जिस निष्पक्षता के साथ इस भवन के अन्दर कार्य का संचालन किया है उसकी हम सराहना करते हैं। माननीय टंडन जी यहां के स्पीकर रहे। प्रत्येक सदस्य ने उनकी बात को माना और उनकी अध्यक्षता में हमारे राज्य का गौरव बढ़ा। उसके बाद आपने उस पद को संभाला। मैं इस बात को कह सकता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं कि इस भवन में कांग्रेस पक्ष का बहुत बड़ा बहुमत है, हम लोग बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कभी इस भवन के अन्दर ऐसा मौका नहीं आया जब हमने एक पक्ष के लिये भी यह महसूस किया हो कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हुई और उसके सब से बड़े रक्षक आप हमारे सामने रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पर हमारा सदैव विश्वास रहा, अभी भी है और मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में जब कभी भवन यहां बैठेगा, उसमें सदस्य चाहे सरकारी पक्ष के हों चाहे विरोधी पक्ष के, वे सदैव इस भावना से काम करेंगे कि हमारा यह उत्तर प्रदेश का राज्य दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। यह भावना उनकी रहेगी और इस भावना को लेकर हम काम करते रहेंगे। इसी में सदन का गौरव है और इसी में इस प्रान्त की जनता का हित है।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स—श्रीमान् सभापति महोदय, चन्द अल्फाज इस वजह से कि मैं ईसाई बिरादरी का नुमाइंदा हूं इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। इस मिनिस्ट्री के जमाने में हम लोगों को बड़ा फख्र रहा है और आपका ईसाई बिरादरी से बड़ा कोआपरेशन रहा और जो खिदमात आपने कीं वह हम लोगों को पसन्द आईं।

[श्री ई० एम० फ़िलिप्स]

खासतौर से मैं शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। शिक्षा फैलाने में इसाई बिरादरी से बड़ा सम्बन्ध रहा है। हमको शिक्षा के मुताल्लिक़ हर किस्म की इमदाद मिली। मुख्य मंत्री जी से मुझे एक बात कहना है कि ऐसे मौके आये कि बहैसियत विरोधी दल के मेम्बर के मेरे कुछ कहने पर अगर कोई गलतफहमी हुई हो तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका यह मंशा नहीं था कि आपकी गवर्नमेंट की तौहीन हो। अगर सही तरीक़े पर देखा जाय तो इतने बड़े सूबे में इतनी कठिनाइयों के साथ इस मिनिस्ट्री ने जो खिदमात सूबे की कीं उसके मुताल्लिक़ वह मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। मैं इतना और कहूंगा कि श्रीमान् टंडन जी जब यहां के स्पीकर थे जो बड़ा साफ सुथरा जजमेंट उनसे मिलता था और वैसा जजमेंट उनके बाद, लोग कहते थे, नहीं मिलेगा। लेकिन आप उनकी शागिर्दी से निकल कर आये और उस पर पूरी तरह से अमल करके दिखला दिया। हम लोगों को इसका फख्र है कि हम को आपकी रहबरी से अपने हुकूक को बहुत महफूज पाते रहे जिनको कि बहैसियत स्पीकर के आपके लिये तहफ्फुज करना बहुत जरूरी था। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री अब्दुल बाक़ी--जनाबवाला, ६ साल गुजर गये जब कि हम इस ऐवान में आये थे। हम आये तो मुस्लिम लीग के टिकट पर थे पर बाद को हमने जनता पार्टी में अपने आपको तबदील कर लिया। इस अरसे में जरूर ऐसे मवाके आये जब कि हमने गवर्नमेंट बेंचेंज की नुक्ताचीनी की। मगर उसका कभी भी यह मंशा नहीं था, कि गवर्नमेंट बेंचेंज की तरफ से हमारे कोई शुकूक थे। मगर हम अपने दिल में यह ख़याल रखते थे कि हमको इस सूबे के ६ करोड़ आदमियों की खिदमत करनी है। इसलिये अगर हमने कोई इख्तिलाफ किया तो सिर्फ इस वजह से किया कि हम यह समझते थे कि हम जो राय रखते हैं इससे सूबे के लोगों की ज्यादाखिदमत हो सकती है चाहे वह राय अपनी जगह पर सही हो या ग़लत। मगर, जनाबवाला, एक बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि हम इस ६ साल के जमाने में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं आया जब कि हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान ऐसी खलीज पैदा हो गई हो, जो बंद न हो जाय। एक कानूनी मसला आया जिसमें इस सूबे की खिदमत का सवाल था। हमने उसके मुताल्लिक एक राय रखी, गवर्नमेंट की उसके मुताल्लिक़ दूसरी राय थी। लेकिन कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। हमने गवर्नमेंट की ताईद भी की और मुखालिफत भी की, लेकिन वह सब इस सूबे के रहने वालों की खिदमत के लिहाज से ही की।

हमने आनरेबिल चीफ़ मिनिस्टर के, जो बड़ी शिगुफ्तगी के साथ तक़रीर करते हैं, उनके साथ ६ साल गुजार दिये। हमारी तरफ से और उस तरफ से भी इस वक्त काफी लोग ऐसे हैं जो यह समझ कर जा रहे हैं कि यह आखिरी वक्त है, लेकिन चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों में काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह फिर आने वाले हैं। हमने अपना ६ साल का जमाना निहायत खूबी और खैरियत के साथ चीफ मिनिस्टर के साथ गुजार दिया और हमारा यही नजरिया रहा कि हम इस ऐवान की शान को, उसकी कद्र को और बुलन्द करें।

जनाबवाला, मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने यह कभी भी महसूस नहीं किया कि हमारे साथ कोई बेइंसाफी हुई है। आपने बहैसियत स्पीकर जो खिदमत अंजाम दी है वे काबिले कद्र रही हैं। मैं उन तमाम अल्फाज के साथ जो आनरेबिल चीफ मिनिस्टर और आनरेबिल मेंम्बरान ने कहे हैं ताईद करता हूं और मैं इस खुशी के साथ वापिस जाता हूं कि ये ६ साल जो गुजरे वे खूबी और खैरियत से गुजरे। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमारे और गवर्नमेंट के दर्मियान में कोई ऐसी खलीज पैदा हो जाय

जो भर न सके। इन चन्द अल्फाज़ के साथ हमारी गुज़ारिश यह है कि इन ६ सालों में आनरेबिल चीफ मिनिस्टर, या इधर या उधर के बैठने वालों को अगर किसी किस्म की हमसे कोई तक़लीफ पहुंची हो तो वे दरगुज़र करके माफ फरमायें।

माननीय अध्यक्ष—इस मौजूदा असेम्बली की जिन्दगी के ६ वर्ष अब करीब करीब खत्म होने जा रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि आज के बाद फिर इस असेम्बली की कोई बैठक हो। इस मौक़े पर माननीय मुख्य मंत्री और अन्य माननीय सदस्यों ने जो खयालात जाहिर किये हैं उनकी मैं पूरी तरह से ताईद करता हूं। इस ६ वर्ष के जमाने में ज्यादातर तो, बल्कि ५ वर्ष के करीब मेरे बुजुर्ग श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन जो इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं उन्होंने ही इस स्पीकरी के ओहदे को सुशोभित किया। जो कुछ कार्यवाही इस असेम्बली के जमाने में हुई वह सब उन्हीं की हिदायतों के मुताबिक हुई। मुझे यह फख्र रहा कि मैं उनकी हिदायतों के मुताबिक काम करता रहा। एक साल भर जरूर मुझे ऐसा मिला जब वह हम लोगों की बदकिस्मती से यहां से हमें छोड़ कर चले गये और तब मुझे इस जगह को कबूल करना पड़ा। कुछ माननीय सदस्यगण ने मेरे मुताल्लिक कुछ कहा है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो कुछ मैं थोड़ी बहुत सेवा इस सिलसिले में कर सका हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस आदरणीय सदन के हर एक कोने से मुझे सहयोग मिलता रहा और मैं यह समझता रहा कि इस आदरणीय सदन का हर एक शख्स मेरे साथ पूरा तुआवुन कर रहा है और मुझे सहयोग दे रहा है। इसलिये अगर मैं कुछ कर पाया हूं तो वह मेरी खूबी नहीं है बल्कि वह खूबी माननीय सदस्यों की है। यह जमाना बहुत ही अहमियत का गुजरा। इसलिये कि इसी असेम्बली के जमाने में हमारे मुल्क को आजादी मिली, इसी असेम्बली के जमाने में नया संविधान रायज हुआ और इसी जमाने में हमें यह भी मौका हुआ कि हम अपने नियम बनायें और उनको पास कर सकें और कई प्रथायें इस जमाने में ऐसी कायम हुई हैं कि गालिबन आगे आने वाली असेम्बली उनसे पूरा फायदा उठा सकेगी। एक और खास बात इस असेम्बली के जमाने में यह हुई कि बावजूद रायों में इख्तलाफ होने के, बावजूद एक मत रखने वाले एक दल के मेम्बर दूसरा मत रखने वाले दूसरे दल के मेम्बरों से आपस में एक दूसरे से बड़ी खुशी से मिलते जुलते थे और यह बात मैं समझता हूं कि अगर प्रजातन्त्र और जम्हूरियत को आगे बढ़ाना है तो उसके लिये यह जरूरी है कि हमारे इख्तलाफ राय होने के, एक दूसरे की राय में अन्तर होने के, हमारे जाती ताल्लुकात एक दूसरे से मिलने जुलने के ज्यादा हों। उसके ऊपर किसी किस्म का असर न पड़े। हो सकता है कि एक आदमी एक राय रखता हो और दूसरा आदमी दूसरी राय रखता हो, लेकिन इस वजह से अगर जाती ताल्लुक़ात में कोई फर्क पड़ जाता है तो गालिबन हमारे यहां का प्रजातन्त्र तरक्की नहीं कर सकता है। यहां पर जो मुबाहसे उस जमाने में होते रहे और जितनी भी बातें कही गईं मैं यह समझता हूं कि उसमें एक दूसरे के सम्मान का काफी ख्याल रखा गया और हमारे यहां जो कार्यवाही हुई जैसी कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश अपनी तहजीब के मियार के लिये ऊंचा समझा जाता है उसी तरह से उसकी झलक हमारे यहां इस आदरणीय सदन में तमाम कार्यवाहियों में हर मौके पर पाई गई। इस वक्त जब कि हम गालिबन आखिरी दफा मिल रहे हैं मैं इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१९ मार्च, १९५२ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६२ पर)

बाराबंकी जिले के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र नवाबगंज

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र	ग्रा० नरौली, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	टेरा कलां	
२	श्री छंगा लाल पासी	ग्रा० गड़िया, पो० खिझना	,,	,,	हर्रई
३	श्री राम लषन सिनहा	उखरी, पो० खैवली	उर्दू व हिन्दी, अंग्रेजी ८वां पास	खैवली	
४	श्री राधेश्याम जैसवाल	ग्राम० व पो० सआदतगंज	हिन्दी मिडिल पास	मामापुर	
५	श्री वया राम ..	ग्रा० बकौली, पो० पूरे कामगार	मिडिल तक पढ़ा	मलूकपुर	
६	श्री श्रीपाल वर्मा ..	ग्राम व पो० हर्रई	हिन्दी मिडिल पास	रसूलपूर किदवाई	
७	श्री महेन्द्रपाल सिंह ..	गौरिया, पो० खैवली	हिंदी कक्षा ६ तक	गौरिया	
८	श्री दुर्गा बक्श सिंह ..	ग्राम मड़वा, पोस्ट हथौधा	हिन्दी मिडिल पास	कोटवा कलां	
९	श्री राम दुलारे ..	नकटा सिहरिया, पो० उसमानपुर	हिन्दी, उर्दू मिडिल पास	मयरा	
१०	श्री ईश्वर दीन सिंह	ग्राम सराय परसंडा पो० सतरिख	,,	,,	जहांगिराबाद
११	श्री माता प्रसाद ..	ग्राम पाटमऊ, पो० पाटमऊ	हिन्दी मिडिल पास	पाटमऊ	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० बि०
१	२	३	४	५	६
१२	श्री तुलाराम पासी . .	ग्राम पूरे गुरदयाल सिंह, पो० त्रिवेदी-गंज	उर्दू, हिन्दी मिडिल	टिकरिया	
१३	श्री राम सागर वर्मा	ग्राम पूरे दुलार, पो० उधौली	हाई स्कूल परीक्षा पास, दूसरे श्रणी में हिन्दी व उर्दू	तिन्दोली	
१४	श्री हर नारायण श्रीवास्तव	ग्राम व पो० शाह-पुर	मिडिल पास	खसपरिया	
१५	श्री बाबूलाल कुर्मी . .	अकबरपुर धनेठी, पो० सफदरगंज	हिन्दी मिडिल व इन्टरमीडियट प्रथम साल पास	गदिया	
१६	श्री कन्हैया लाल चौबे .	ग्रा० व पो० राम-नागर	हिन्दी कक्षा ४ पास	वरौलिया	
१७	श्री बाबूराम . .	अमरादेवी, पो० वदो सराय	हिन्दी मिडिल तक	माथुरी	
१८	श्री स्वामी दयाल सिंह	कोटवा कलां पो० देवा	,,	,,	बड़ैल
१९	श्री मनीराम . .	जौरास, पो० गढ़ी भिलवल	हिन्दी मिडिल पास हाई स्कूल फेल।	शहावपुर	
२०	श्री द्वारिका प्रसाद यादव	रामचरनपुरवा, पो० सफेदाबाद	हिन्दी मिडिल पास	बाराबंकी	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र जैदपुर

२१	श्री मोहम्मद असगर	ग्राम टेसुवा, पो० टिकरा	उर्दू मिडिल पास	टेरा	
२२	श्री गया प्रसाद	ग्रा० बेरी, पो० उधौली	हिन्दी, उर्दू मिडिल पास	गोठिया	
२३	श्री देवानन्द शुक्ल	ग्राम भटखोरिया पो० लाही	हिन्दी, उर्दू मिडिल पास	वलछत	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
२४	श्री कल्लू राम पासी	ग्राम व पोस्ट भानमऊ	हिंदी-उर्दू मिडिल पास	भानमऊ	
२५	श्री ईश्वर दीन सिंह	ग्राम सराय परसंडा पो० सतरिख	,,	इब्राहिमाबाद	
२६	श्री दुर्गा सिंह	ग्राम ग्वालामऊ, पो० सतरिख	,,	हरख	
२७	श्री गोपाल सिंह	ग्राम नेमापुर पो० सतरिख	,,	शरीफाबाद	
२८	श्री पुत्तीलाल स्वर्णकार	ग्राम व पो० मसौली	हिन्दी मिडिल तक	मसौली	
२९	श्री छेदा लाल	ग्राम भनौली, पो० रसौली	हिन्दी मिडिल पास	बड़ा गांव	
३०	श्री बाबू लाल	ग्राम रायपुर, पो० सफदरगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	लछवरवजहा	
३१	श्री खुशी राम	ग्राम मचौची, पो० जैदपुर	,,	सैदाबाद	
३२	श्री अच्युतानन्द	ग्राम ववेना, पो० मवासीह, जिला मुरादाबाद।	हिन्दी मिडिल पास	सफदरगंज राजनीतिक पीड़ित	
३३	श्री श्याम सुन्दर	ग्राम सूरजपुर खपरेला पो० उधौली	,,	उधौली	
३४	श्री रामनरेश वर्मा	याकूतगंज, पो० परतापगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	रसौली	
३५	श्री सन्तराम	डिहवा, पो० टिकरा	,,	पडरा	
३६	श्री त्रिभुवन दत्त पांड़े	ग्राम बहादुरपुर पो० लाही	,,	न्यूछना	
३७	श्री माता प्रसाद	ग्राम अतरौली, पो० उसमानपुर	,,	सिद्धौर	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
३८	श्री नागेश्वर प्रसाद	ग्राम० चांदपुर, पो० उसमानपुर	हिन्दी मिडिल पास	बीबीपुर	
३९	श्री शिव सहाय	ग्राम सराय परखू, पो० उसमानपुर	छठा दर्जा पास	सेमरावां	
४०	श्री राम दुलारे वर्मा	ग्राम नकटासिहरिया पो० उसमानपुर	हिंदी उर्दू मिडिल पास	नकटा-सिहरिया	

पंचायत निरीक्षक प्रथम क्षेत्र राम सनेही घाट

४१	श्री विजय बहादुर शर्मा	ग्राम व पो० दरियाबाद	हिन्दी मिडिल पास	वनीकोडर	
४२	श्री रमाकान्त मिश्र	ग्राम धनौली, मिश्रान पो० दरियाबाद	,,	उमरापुर राय साहब	
४३	श्री भारत राम वर्मा	ग्राम व पो० मऊ-गोरपुर	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	अहमदपुर	
४४	श्री जगतनारायण तिवारी	ग्राम राजपुर, पो० हथोधा	हिन्दी के साथ हाई स्कूल फेल	सनौली	
४५	श्री नागेन्द्र नारायण	ग्राम व पो० उधौली	हिन्दी मिडिल पास	गोरपुर	
४६	श्री उमादत्त मिश्र	ग्राम व पो० धनौली मिश्रान	,,	महुलारा	
४७	श्री शिव शर्मा अवस्थी	ग्राम व पो० उधौली	,,	खुसहटी	
४८	श्री रामपाल द्विवेदी	ग्राम० वरोली, पो० धनौली मिश्रान	,,	रामपुर	
४९	श्री राम बहादुर त्रिपाठी	ग्राम ववुरीगांव पो० धनौली मिश्रान	हिन्दी मिडिल प्रथम श्रेणी से पास	टिकरा	
५०	श्री वंश बहादुर सिंह	ग्राम मालिनपुर, पो० सुमेरगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	मवैया	
५१	श्री रामगोपाल लाल	ग्राम व पो० सुमेर-गंज	हिन्दी मिडिल पास	लालगंज	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
५२	श्री श्रीनाथ उर्फ मेऊ	ग्राम अरूवा पो० टिकैतनगर	हिन्दी मिडिल	उदईमऊ	राजनैतिक पीड़ित ।
५३	श्री द्वारिका प्रसाद	ग्राम व पो० दरिया-बाद	मिडिल पास		हसौर
५४	श्री रामचन्द्र दीक्षित	ग्राम अरियामऊ, पो० रानी कटरा	हिन्दी मिडिल पास	इटहुआ पूरब	राजनैतिक पीड़ित ।
५५	श्री पृथ्वीनाथ मिश्र	ग्राम अरूवा, पो० टिकैतनगर	हिन्दी मिडिल तक	सेमरी	
५६	श्री श्याम सिंह	ग्राम ढड़ियामऊ, पो० रानी कटरा	,,	,,	कसबा इचौली राजनैतिक पीड़ित ।
५७	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह	ग्राम भवानीपुर-ददरौली पो० मैला रायगंज	हिन्दी मिडिल पास	भवानीपुर ददरौली	
५८	श्री पुत्तन लाल श्रीवास्तव	ग्राम व पो० रामपुर कटरा	हिन्दी मिडिल तक	चौखण्डी	
५९	श्री वीरेन्द्र नारायण दीक्षित	ग्राम अटवा, पो० मैला रायगंज	हाई स्कूल फेल हिन्दी के साथ	मैला रायगंज	
६०	श्री छोटे लाल	ग्राम गाजीपुर पो० हथोधा	हिन्दी मिडिल पास	खजुरी	
६१	श्री नन्दकिशोर मिश्र	ग्राम जरौली, पो० घनौली मिश्रान	,,	विरौली	
६२	श्री मथुरा सिंह	ग्रा० सिनौना, पो० उधौली	,,	हमीदनगर	
६३	श्री मारकंडे बख्श सिंह	ग्राम कसभर, पो० दरियाबाद	हिन्दी मिडिल पास	कमौली	
६४	श्री विहारी लाल लोध	ग्राम व पोस्ट रानी कटरा	हिन्दी मिडिल तक	कोटवा जगजीवन दास	राजनैतिक पीड़ित ।

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
६५	श्री रामपाल यादव	ग्राम पूरे भवानीगंज पो० टिकैतनगर	हिन्दी मिडिल पास	मियागंज	
६६	श्री महेन्द्र पाल सिंह	ग्राम एहार, पो० रुदौली	कक्षा ९ तक पढ़ा	गाजीपुर	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र रुदौली

६७	श्री भगोले प्रसाद	रसूलपुर, पो० अलियाबाद	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	मखदूमपुर	
६८	श्री रघुराज बहादुर	ग्राम पुरई चितई, पो० राम सनेही घाट	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	रानीमऊ	
६९	श्री गुरुप्रसाद श्रीवास्तव	ग्राम० हलीमनगर, पो० शुजागंज	हिन्दी मिडिल पास	लखीमपुर	राजनैतिक पीड़ित
७०	श्री जगदम्बा प्रसाद	ग्राम पुरई चितई, पो० राम सनेही घाट	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	अमेसिया	
७१	श्री मंजूर अहमद खांन	ग्राम डिहवल, पो० पूरे कामगार	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	मवई	
७२	श्री रामभजन	ग्राम सदुवा, पो० मवई	,,	सिपहिया-कोटवा	
७३	श्री सूर्य बख्श चतुर्वेदी	ग्राव व पोस्ट नेवेरा	हिन्दी मिडिल पास	दैवैत	
७४	श्री श्याम नारायण	ग्राम बरावा, पोस्ट रुदौली	,,	गनेशपुर	
७५	श्री पाटन दीन	ग्राम रामपुर, पो० सैमसी	,,	सैमसी	
७६	श्री बुनियाद हुसैन	ग्राम कटरा, पो० रूदौली	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	ऐहार	
७७	श्री मो० आबिद	ग्राम मीरापुर, पो० रूदौली	हाई स्कूल पास	फ़िरोजपुर मखदूमी	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
७८	श्री गौरी शंकर	ग्राम तालगांव, पो० मौरमऊ	हाई स्कूल पास	मौरमऊ	
७९	श्री शिव प्रसाद वर्मा	ग्राम नरौली, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	नरौली	
८०	श्री मु० मुसलिम	ग्राम रुदौली	उर्दू हिन्दी मिडिल पास	सरैठा	
८१	श्री भवानी प्रसाद द्विवेदी	ग्राम हलीम नगर शुजागंज	हिन्दी मिडिल पास	फिरोजपुर पवारान	
८२	श्री जानकी प्रसाद खरे	ग्राम लखनीपुर, पो० मवई	हिन्दी मिडिल तक	भेलमर	राजनैतिक पीड़ित ।
८३	श्री देवराज सिंह	ग्राम नेवती, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	हलीमनगर	
८४	श्री रामनेवल सिंह	ग्राम पस्ता, पो० शुजागंज	,,	वरई	
८५	श्री शाह आलम हुसेन	ग्राम रजागंज, पो० अलियाबाद	,,	अलीयाबाद	
८६	श्री चौहान राम	ग्राम पटरंगा, पो० पटरंगा	हिन्दी मिडिल तक	सीवन	राजनैतिक पीड़ित ।
८७	श्री मु० अनवर हुसैन	ग्राम महदीपुर, पो० अलियाबाद	हाई स्कूल पास हिन्दी के साथ	खमौली	
८८	श्री तेजपाल सिंह	ग्राम नीसा, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल तक	चिर्रा	
८९	श्री भगौती प्रसाद	ग्राम टाडा, सोफिया पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	पूरे डलई	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र हैदरगढ़

९०	श्री छेदा सिंह	ग्राम मुहम्मदपुर, पो० त्रिवेदीगंज	उर्दू हिन्दी मिडिल व पी० टी० सी० व ऐडवांस पास	भिलवल	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
९१	श्री रामसुमेर तिवारी	ग्राम शाहपुर, पो० जामी सुल्तानपुर	हिन्दी के साथ कक्षा ८ तक पढ़ा	शिवनाम	
९२	श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी	ग्रा० ठाकुरपूर, पो० त्रिवेदीगंज	हिन्दी मिडिल पास	खैरा कनक	
९३	श्री राम प्रताप मिश्र	ग्राम व पो० सआदत-गंज	हिन्दी मिडिल तक	राम-नगर	राजनैतिक पीड़ित
९४	श्री रघुपति सिंह	ग्रा० इलियाजपुर पो० गढ़ी	उर्दू मिडिल पास	दहिला	
९५	श्री रामकृष्ण त्रिवेदी	ग्राम मवारपुर, पो० लाही	दर्जा ४ तथा संस्कृत से मध्यमा पास	बहुता	
९६	श्री रामसेवक श्रीवास्तव	ग्राम लालपुर मजरे अनसारी, पो० हैदरगढ़	हि० उ० मि० पास	हैदरगढ़	
९७	श्री आदित्य प्रसाद मिश्र	ग्राम व पो० त्रिवेदी-गंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	त्रिवेदी-गंज	
९८	श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र	ग्राम जरौली, पो० धनौली मिश्रान	हिन्दी मिडिल पास	सुवेहा	
९९	श्री नारायण दत्त पांडे	ग्राम रामपुर, पो० सुवेहा	,,	बलिया	
१००	श्री शारदा बख्श सिंह	ग्राम भिखरा, पो० हैदरगढ़	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	गेरावां	
१०१	श्री शिव प्रसाद पांडे	ग्राम देवपुरा पो० सुवेहा	हिन्दी मिडिल पास	सरायगोपी	
१०२	श्री सन्त बख्स सिंह	ग्राम मरूई, पो० कमेला	हि० दर्जा ४ तक	चौबीसी	
१०३	श्री गिरीशदत्त द्विवेदी	ग्राम व पो० हैदरगढ़	हिन्दी दर्जा २ तक	कमेला	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० ग्रा० क्षेत्र	पं० वि०
१	२	३	४	५	६
१०४	श्री राजा नरेश सिंह	ग्राम बगावा, पो० कमेल	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	बगावां	
१०५	श्री त्रिभुवन बहादुर सिंह	ग्राम बहादुरपुर, पो० लाही	,,	बरहरोली बरसातिया	
१०६	श्री रामनारायण तिवारी	ग्राम रौनी, पो० त्रिवेदीगंज	हिन्दी कक्षा ६ तक	रतौली	
१०७	श्री पूर्णकामी	ग्राम पूरे कुबेर, पो० उस्मानपुर	हिन्दी मिडिल तक	कोदी	
१०८	श्री देवकी दीन मिश्र	ग्राम शेखपुर, पो० मौतिकपुर	,,	[illegible]	
१०९	श्री विश्वनाथ प्रसाद	ग्राम शेखपुर, पो० मौतिकपुर	,,	शेखपुर जाफिरतकी	
११०	श्री भोलानाथ मिश्र	सराय राबता, पो० तुंदरगढ़	,,	[illegible]	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र रामनगर

१११	श्री रामदास वर्मा	सुहई, पो० मामापुर खाला	हिन्दी मिडिल तक	खेड़ा
११२	श्री राम बिहारी शुक्ल	ग्राम पल्हरी, पो० मुहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल पास	बखारी
११३	श्री [illegible] सिंह	मुड कुन्डा, पो० मुहम्मदपुर	,,	मोहम्मदपुर खाला
११४	श्री शौकत अली	चन्दूरा, पो० मोहम्मदपुर	दर्जा ५ पास हिन्दी के साथ	[illegible]
११५	श्री रामनाथ चतुर्वेदी	दौलतपुर, पो० सूरत गंज	हाई स्कूल फेल हिन्दी से	दुर्गापुर नोबरत
११६	श्री स्वामी दयाल	चन्दूरा, पो० मोहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल पास	[illegible]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० अ० वि० क्षेत्र
१	२	३	४	५ ६
११७	श्री राम प्रताप वैद्य	चन्दूरा, पो० मुहम्मदपुर	हिन्दी मिडिलपास	सूरतगंज
११८	श्री जगन्नाथ प्रसाद	उमरी विशुन, पो० बेलहरा	,,	डिहवा
११९	श्री मनीराम अवस्थी	ग्राम मथुरा, पो० भिटौली	,,	लालपुर करौता
१२०	श्री राम पदारथ पांडे	अछोकपुर, पो० रामनगर	,,	भिटौली
१२१	श्री राम सहारे	तिलयानी, पो० तिलोकपुर	,,	बरौलिया
१२२	श्री हर नन्दन सिंह	ग्राम डडियामऊ, पो० रानी कटरा	८वां दर्जा तक पढ़ा	किन्तूर
१२३	श्री जगजीवन प्रसाद	तासीपुर, पो० रानी कटरा	हिन्दी मिडिल तक	भरकामऊ
१२४	श्री शिवदुलारे सरन त्रिवेदी	लोहटी जई, पो० बहराम घाट	हिन्दी मिडिल पास	गनेशपुर
१२५	श्री राम तिवारी	रामनगर	हिन्दी मिडिल तक	विछलखा राजनैतिक पीड़ित
१२६	श्री ईश्वर दीन मिश्र	विछलखा, पो० राम नगर	,, पास	सुरवारी
१२७	श्री जय किशोर अवस्थी	मुकाम व पोस्ट सहादतगंज	हिन्दी मिडिल पास हाई स्कूल फेल	सहादतगंज
१२८	श्री बद्री प्रसाद निगम	मुकाम व पोस्ट रामपुर कटरा	हिन्दी मिडिल पास	तिलोकपुर
१२९	श्री देवी प्रसाद	मुकाम व पोस्ट अमोली कलां	हिन्दी मिडिल तक	अमोली कलां
१३०	श्री कालिका प्रसाद अवस्थी	लोधौरा पोस्ट रामनगर	मध्यमा संस्कृत पास	जुरौडा
१३१	श्री धर्मदास पासी	रौली, पोस्ट लाही	हिन्दी मिडिल पास	बुढ़वल

अवधांचल संग्रह

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१३२	श्री इन्द्रजीत सिंह	अकोहरा, पो० रामनगर	हिन्दी मिडिल पास	सेमराय	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुर

१३३	श्री मनोहर लाल वर्मा	ग्राम महसन्द	हिंदी-उर्दू मिडिल पास	कुर्सी
१३४	श्री श्रीकृष्ण	निन्दुरा	,,	निन्दुरा
१३५	श्री लाल बिहारी पांडे	ग्राम जुलवा, पोस्ट कुर्सी	हिन्दी मिडिल तक	चौरहरा
१३६	श्री माखनलाल	मुकाम व पोस्ट दाइरा	,,	दीन पनाह
१२७	श्री बाबू लाल	मुकाम व पोस्ट खिझना	हिन्दी मिडिल पास	खिझना
१३८	श्री नन्दराम	अटहरा, पो० खिझना	हिन्दी मिडिल तक	अटहरा
१३९	श्री रामलाल पासी	ग्राम बड़िया, पो० खिझना	हिन्दी मिडिल तक	बड़ुतरी कलां
१४०	श्री रामदत्त तिवारी	गैरिया	हिन्दी-उर्दू मिडिल पास	बड़ुतर
१४१	श्री बिल्ला प्रसाद	मियांपुर, पो० फतेहपुर	हिन्दी मिडिल तक	मिहाली
१४२	श्री चन्द्रिका प्रसाद	रसिया, पो० फतेहपुर	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	गरिया
१४३	श्री नानक सरण	ग्राम व पो० फतेहपुर	हिन्दी-उर्दू मिडिल पास	विशुनपुर
१४४	श्री रामबली पासी	बुढ़ानपुर, पो० सूरतगंज	कक्षा ६ तक	बसारा
१४५	श्री अब्दुल मोहसिन	रामपुर, पोस्ट मोहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल तक	शाहपुर
१४६	श्री देवकली प्रसाद	मुकाम व पोस्ट मुहम्मदपुर खाना	हिन्दी मिडिल पास	तालगाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१४७	श्री राम खेलवान	खैरिया पो० फतेहपुर	हिन्दी मिडिल पास	विलौली	
१४८	श्री रामानन्द	मुकाम व पोस्ट फतेहपुर	,,	रसूल-पनाह	
१४९	श्री मेढी लाल	मंदाभारी, पो० मोहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल तक	बिलहरा	
१५०	श्री टेकचन्द वर्मा	मन्दाभारी, पोस्ट मोहम्मदपुर	हाई स्कूल पास	मिठौरा	
१५१	श्री जानकी प्रसाद	खजुरिहा, पोस्ट मैलारायगंज	हिन्दी मिडिल तक	साढ़ेमऊ	राजनैतिक पीड़ित
१५२	श्री माता प्रसाद	गुरसैल	,,	शेखपुर अलीपुर	

नोट—पंचायती अदालत अमर संडा का कार्यभार श्री लाल बिहारी पांडे पंचायती अदालत क्षेत्र धौरहरा ने ग्रहण किया है।

निम्नलिखित मंत्री मुअत्तल हैं इनके स्थानों पर कुछ चुने हुए और कुछ स्थायी मंत्री कार्य कर रहे हैं

१	श्री इन्द्रसेन सिंह	भिखारीराम पुरवा पो० जहांगिराबाद	कक्षा ६ तक पढ़ा है	मैला रायगंज
२	श्री गया प्रसाद पांडे	ग्राम भिलौना, पोस्ट दरियाबाद	हिन्दी मिडिल पास	मवैया
३	श्री खलीक अहमद	मो० कानूनगोयान नवाबगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	कोटबां कलां
४	श्री आत्माराम	ग्राम हिदायतपुर, पो० शाहपुर भगौली	हिन्दी मिडिल पास	विशुनपुर
५	श्री सुन्दरलाल	मुकाम व पोस्ट किन्तूर	,,	किन्तूर
६	श्री महादेव प्रसाद वैद्य	ग्राम परसा, पोस्ट रामनगर	,,	गदिया

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ. २६२. . पर)

राजनीतिक पीड़ित पंचायत-मंत्रियों की सूची

क्रमांक	सूची क्रमांक	नाम मंत्री	विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में
१	२	३	४
१	५२	श्रीनाथ मिश्र . .	प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में लिखा है कि " गत कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेने के कारण पढ़ न सका और इस समय कांग्रेस मंडल में प्रधान-मंत्री पद पर कार्य कर रहा हूं।" इसी प्रार्थना पत्र पर चुनाव समिति के अध्यक्ष ने इनको राजनैतिक पीड़ित मान कर मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र राजनैतिक पीड़ित होने का नहीं है।
२	५३	श्री द्वारिका प्रसाद अवस्थी ..	मंडल कांग्रेस कमेटी दरियाबाद तथा जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि १९४० के आन्दोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और तब से अब तक कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। इसी के आधार पर इनका चुनाव किया गया।
३	५५	श्री पृथ्वीनाथ मिश्र . .	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० द्वारा इन शब्दों में कि "प्रार्थी एक तेज कार्यकर्ता है यदि अधिक योग्य उम्मीदवारों की कमी हो तो प्रार्थी तरजीह देने योग्य है।" प्रार्थी समिति द्वारा चुना गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी अंकित किया है कि इस समय वह रानीमऊ कांग्रेस दफ्तर में कार्य कर रहा है। इन्हीं आधारों पर चुनाव समिति के अध्यक्ष ने इनको राजनीतिक पीड़ित मान लिया था। इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
४	६९	श्री गुरुप्रसाद श्रीवास्तव	प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया है कि "गत १९३० के आन्दोलन में ६ मास कारावास-भोग फैजाबाद तथा बदायूं जेल में किया है। तब से आज तक कांग्रेस का

क्रमांक	सूची क्रमांक	नाम मंत्री	विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में
१	२	३	४
			कार्य करता आ रहा हूं। १९३९ में कांग्रेस कमेटी फैजाबाद का मंत्री भी रह चुका हूं।" इसी के आधार पर चुनाव समिति द्वारा इनको चुना गया है। इसके अतिरिक्त और अन्य राजनीतिक पीड़ित होने का कोई भी प्रमाण नहीं है।
५	७२	श्री राम भजन सिंह ..	प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि कांग्रेस कमेटी बसौढ़ी का मंत्री हूं, साथ ही मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी प्राचीन कांग्रेस कार्यकर्ता है, वर्तमान काल में भी मं० कां० क० का प्रधान-मंत्री है। इसी आधार पर इनको चुना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण-पत्र राजनैतिक पीड़ित होने का नहीं है।
६	८३	श्री जानकी प्रसाद खरे	प्रधान-मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी को भली प्रकार जानता हूं और राजनैतिक क्षेत्र में कई बार कारागार भोग चुके है। इसी आधार पर चुनाव कमेटी ने इनको मंत्री चुना। श्री सत्यप्रेमी एम० एल० ए० ने भी प्रमाणित किया है कि प्रार्थी कई बार जेल गये हैं और हिन्दी उर्दू में मिडिल के समकक्ष योग्यता रखते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है।
७	८६	श्री चौहान राम .	श्री सत्यप्रेमी जी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी कांग्रेस कार्यकर्ता है और अल्प-संख्यक जाति का है।
८	९३	श्री राम प्रताप मिश्र..	श्री सत्यप्रेमी एम० एल० ए० ने प्रमाणित किया है कि ये कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता और सच्चरित्र व्यक्ति हैं।
९	१२५	श्री श्रीराम तिवारी ..	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी को मैं भली भांति जानता हूं। यह वास्तव में १९३० ई० में कांग्रेस आन्दोलन में जेल गये थे और सच्चरित्र व्यक्ति हैं।

क्रमांक	सूची	नाम मंत्री	विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में
१	२	३	४
१०	१३६	श्री माखन लाल ..	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी जेल यात्री कांग्रेसी भी है और अल्पसंख्यक जाति गड़रिया से सम्बन्ध रखता है । इसी आधार पर इसका चुनाव किया गया है ।
११	१५१	श्री जानकी प्रसाद पांडे	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर प्रमाणित किया है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि जानकी प्रसाद जी पांडे एक राजनैतिक पीड़ित हैं। इसी के आधार पर चुनाव समिति ने प्रार्थी को मंत्री के पद पर चुना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण-पत्र नहीं है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

PSUP A.P. 1 L.A.—1952—660.